बेघरों के लिए शहर को समावेशी एवं सक्षम बनाना

आईजीएसएसएस और ऑफर द्वारा

सीएसओ और बेघर समुदाय के नेताओं के लिए
शहरी बेघरपन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

प्रॉक्सिस इंस्टीट्यूट फॉर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिस
द्वारा प्रस्तुत

igsss Indo-Global Social Service Society

THIS PROJECT IS FUNDED BY EUROPEAN UNION

OFFER

साभार

यह मॉड्यूल शर्मिष्ठा सरकार द्वारा धीरज और इंदु प्रकाश सिंह के जानकारी के सहयोग से तैयार किया गया है।

इसमें चित्रण क्षितिज रॉय द्वारा किया गया है।

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Indo-Global Social Service Society and OFFER and do not necessarily reflect the views of the European Union.

परिवर्णी शब्द

एबीसी – एटीट्यूड बिहेवियर एंड चेंज

DUSIB – दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

IGSSS – इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी

एनजीओ – गैर सरकारी संगठन

एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

पीएलए – सहभागी शिक्षण और कार्य

PUCL – पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

एसएएम – शहरी अधिकर मंच

एससी – सुप्रीम कोर्ट

SDG – सतत विकास लक्ष्य

विषय सूची

1. यह मॉड्यूल किसके लिए है। 5
2. इस मॉड्यूल से कैसे लाभ होगा। 5
3. मॉड्यूल का उद्देश्य। 5
4.. तीन दिनों के मॉड्यूल की रूपरेखा। 5
5. प्रशिक्षण के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली। 5
6. मॉड्यूल का विषय। 6
   - 6.1 सहभागी शिक्षण और कार्य, सूत्रधार की भूमिका और, दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन। 6
   - 6.2 परिचय; आशाओं का मानचित्रण; मूल सिद्धांत स्थापित करना; अध्ययनों का विश्लेषण। 6
   - 6.3 समुदाय आधारित विश्लेषण करने के लिए सहभागी प्रक्रिया। 8
   - 6.4 अधिकारों के ढांचे के माध्यम से बेघरपन की सैद्धांतिक समझ 8
   - 6.5 क्षेत्र के दौरे और सामुदायिक दौरे की योजना 8
   - 6.6 अधिकारों और कानूनी ढांचे को प्रतिबिंबित करने के साथ समुदाय आधारित जानकारी का संश्लेषण करना। 9
   - 6.7 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप। 9
   - 6.8 शहरी शासन। 10
   - 6.9 एसडीजी 16 : महत्वपूर्ण पहलू 10
   - 6.10 कार्य योजना 10

अनुलग्नक

- अनुलग्नक I – मामलों का अध्ययन 12
- अनुलग्नक II – सहभागी प्रक्रिया 26
- अनुलग्नक III – अधिकारों के ढांचे के माध्यम से बेघरपन होने की समझ 29
- अनुलग्नक IV – महत्वपूर्ण फैसलें 34
- अनुलग्नक V – शहरी शासन के प्रासंगिक पहलू 37
- अनुलग्नक VI – सतत विकास लक्ष्य १६ 40
- अनुलग्नक VII – बेघरपन पर प्रशिक्षण के लिए सत्र योजना 46

1. यह मॉड्यूल किसके लिए है।

यह मॉड्यूल गैर सरकारी संगठन भागीदारों या संगठनात्मक कर्मचारियों या शहर में बेघर लोगों के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है।

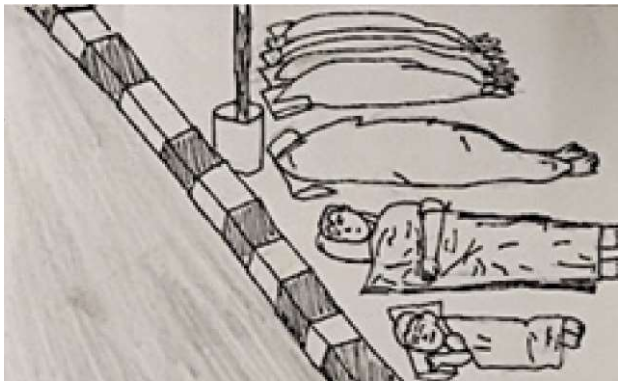

2. इस मॉड्यूल से कैसे लाभ होगा।

इस मॉड्यूल निम्नलिखित बिन्दुओं पर एक समझ देता है -

क) बेघरपन के विभिन्न मुद्दों

ख) विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे

ग) शहरी बेघरों के लिए आवश्यक मानव अधिकार और कानूनी पहलू

घ) SDG के साथ बेघरों के संबंध बनाने में सक्षम करना

ड़) समुदाय और उनके मुद्दों को समझने के लिए सहभागी प्रक्रियाओं का एक संग्रह

च) सहभागी शिक्षण और कार्य

छ) सिद्धांतों का जमीनी अनुप्रयोग

ज) सामुदायिक स्तर की जानकारी व नीति और कानूनी पहलुओं पर चिंतन और विश्लेषण

3. मॉड्यूल का उद्देश्य।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य बेघरपन के विषय पर कौशल, दक्षता और संवेदनशीलता में सुधार करना और एक तैयार मार्गदर्शिका के रूप में मॉड्यूल का उपयोग करना है। इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं -

क) मानव अधिकारों, प्रशासनिक मुद्दे, नीतिगत और कानूनी पहलुओं, एसडीजी और समुदाय के साथ संवादात्मक तरीके के बारे में उपयुक्त जानकारी प्रदान करना

ख) समुदाय के साथ सहभागी तरीकों के अनुप्रयोग को समझने के लिए

ग) शहरी बेघरों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रशिक्षक और प्रतिभागियों को इसे एक तैयार मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग करने में मदद करने के लिए, और

घ) इसे आगे के प्रशिक्षणों में एक मॉड्यूल के रूप में उपयोग करने के लिए

4. तीन दिनों के मॉड्यूल की रूपरेखा

पहला दिन :

परिचय; आशाओं का मानचित्रण; मूल सिद्धांत स्थापित करना; अध्ययनों का विश्लेषण; अधिकारों की रूपरेखा; महिलाओं और बच्चों के लिए अनुकूल कार्य; समस्याओं की पहचान; मूल समस्या का विश्लेषण, सुरक्षित क्षेत्रों का मानचित्रण, भागीदारों का मानचित्रण (सहभागी प्रक्रिया); क्षेत्र के दौरे के लिए योजना सत्र

दूसरा दिन :

क्षेत्र का दौरा (सहभागी प्रक्रियाओं का बेघरों के साथ पांच समूह में उपयोग करना); सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप; शहरी शासन, एसडीजी 16 और बेघरों के लिए नीतियां

तीसरा दिन :

क्षेत्र दौरे से निकला चिंतन, अधिकार ढाँचे के साथ समझ बनाना; कार्य योजना तैयार करना; समग्र चिंतन; समापन

सत्र योजना का विस्तार अनुलग्नक 7 में संलग्न है

5. प्रशिक्षण का दृष्टिकोण और पद्धति

सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग प्रतिभागियों को बातचीत करने, एक साथ काम करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने की सहजता देने के लिए किया जाएगा। ऐसी कुछ विधियाँ निम्नलिखित है -

- बेघर होने के विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए अध्ययन का दृष्टिकोण
- सामूहिक कार्य – मंथन और सामूहिक अनुभवों को इकट्ठा करने के लिए
- सहभागी प्रक्रिया – समस्या वृक्ष का विश्लेषण, गतिशीलता

मानचित्रण और जोड़ीवार मैट्रिक्स

- कक्षा प्रशिक्षण का बेघरों के साथ अभ्यास करना – प्रतिभागी विभिन्न क्षेत्रों में बेघर लोगों का दौरा करेंगे और चयनित सहभागी तरीकों का उपयोग करते हुए उनसे बातचीत करेंगे।
- मंथन सत्र के साथ एबीसी पर उर्जा भरने वाला कोई खेल या क्रियाकलाप

6. मॉड्यूल का विषय

6.1 सहभागी शिक्षण और कार्य, सूत्रधार की भूमिका और दृष्टिकोण व व्यवहार परिवर्तन

सहभागी शिक्षण और कार्य

सहभागी शिक्षण और कार्य (PLA) का संक्षेप : लोगों को सभी के साथ सीखने में और फिर सीखने की प्रक्रिया पर कार्य करने में मदद करने का एक तरीका।

समुदाय को एक विशेष मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, पीएलए सूत्रधार को एकसाथ समुदाय को विश्लेषण, योजना, कार्य, मूल्यांकन और मंथन करने में मदद करता है। पीएलए किसी भी समुदाय आधारित मुद्दों को संबोधित करने के लिए समुदायों को जुटाने के लिए एक बहुत प्रभावी साधन प्रदान करता है।

परस्पर सहभागिता में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक जाँच-सूची :

- सभी सामुदायिक वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- यह सुनिश्चित करना कि प्रयासों से ठोस परिणाम और निर्णय हो
- समुदाय को विश्वास में लेना
- मंथन और सीखने के लिए स्थान प्रदान करना
- जिम्मेदारियों को साझा करना

सूत्रधार की भूमिका और दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन

सहभागी शिक्षण और कार्य प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूत्रधार की आवश्यकता :

- सक्रिय सुनने का कौशल – रुचि दिखाएं और जो कहा जा रहा है उस पर मंथन करें; यह सुनिए कि कैसे बातें कही जा रही हैं, बोलने वालों के स्वर, उनकी शारीरिक भाषा का निरीक्षण करना, कौन भाग लेता है और कौन नहीं। कम बोलने वालों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और हावी होने वालों को शांत करने की कोशिश करें।
- प्रभावी पूछताछ कौशल – समूह चर्चा में प्रभावी प्रश्न लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। खुले व सामान्य सवाल पूछें : क्यों? क्या? कब? कहा पर? कैसे?
- समुदाय के साथ एक मंच पर एकसाथ रहें, अधिमानतः एकसाथ समुदाय के साथ फर्श पर रहें
- समय और स्थान के मामले में कठोर होने के बजाय लचीले रहें

किसी भी भागीदारी प्रक्रिया को जाहिर करने के लिए लोगों का भरोसा बेहद महत्वपूर्ण है। समुदाय को धीरज से सुनें और मार्गदर्शन करें। इस बात पर ध्यान दें कि समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं या किसी भी घटना को कैसे सुनाते हैं।

सूत्रधार के लिए – क्या करें और क्या न करें

प्रशिक्षण के दौरान या किसी भी सामुदायिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें :

क्या करें

- लोगों पर भरोसा करें ताकि वे विश्लेषण, योजना, कार्य, निगरानी, मूल्यांकन और मंथन कर सकें
- लोगों की सुनिए
- लोगों से सीखें और अपने स्वयं के ज्ञान को उचित रूप से साझा करें
- लोगों का सम्मान करें और मित्रवत रहें
- त्रुटि को स्वीकार करें और उससे सीखें
- लोगों के साथ आराम से रहें
- प्रसन्न रहें

क्या न करें

- लोगों पर अपनी राय न बनायें, लेकिन लोगों को चीजों को नए तरीके से देखने में मदद करने के लिए हानिकारक विचारों को चुनौती दें
- व्याख्यान न दें और लोगों पर हावी न हों
- जल्दी ना करें, चीजों को अपनी गति से बढ़ने दें
- लोगों के लिए काम न करें, उनके साथ काम करें

6.2 परिचय; आशाओं का मानचित्रण; मूल सिद्धांत स्थापित करना; अध्ययन विश्लेषण

परिचय सत्र :

उद्देश्य: प्रशिक्षण में एक-दूसरे के महत्व की समझ के साथ एक-दूसरे को जानना

सामग्री: जूट की रस्सी

प्रक्रिया: प्रतिभागी और सूत्रधार एक गोलाई में खड़े होंगे। रस्सी का एक छोर पकड़ कर सूत्रधार में से कोई एक खुद के बारे में तीन बातें बताकर अपना परिचय देते हुए यह प्रक्रिया शुरू करेंगे - नाम, वह कहाँ से है, वह जीवन में क्या पसंद करता/करती है।

रस्सी को पकड़ते समय / वह रस्सी के गुच्छे को अन्य प्रतिभागी की तरफ फेंक देगा और उसे उसी तीन चीजों पर परिचय देने के लिए कहेगा और इस तरह से रस्सी की गेंद को दूसरों तक उस समय तक फेंका जाएगा जब तक सभी को परिचय का मौका नहीं मिल जाता।

यह एक जाल बनाएगा जो मुद्दों, भूगोल, स्थितियों, प्रत्येक प्रतिभागियों या टीम में प्रत्येक व्यक्ति के मुद्दे और काम करने के मामले में टीम की जटिलता को परिभाषित करता है। सूत्रधार इस नोट के साथ समाप्त करेगा और प्रतिभागियों से रस्सी को फिर से समेटने के लिए कहेगा जैसा वो पहले था।

आशाओं का मानचित्रण और सत्र योजना को साझा करना

उद्देश्य: प्रतिभागियों की व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा करना और प्रशिक्षण में शामिल करने के लिए संभावनाएं तलाशना

सामग्री: इंडेक्स कार्ड या चिपकने वाले कागज, चार्ट पेपर, मार्कर या स्केच पेन

प्रक्रिया:

- सूत्रधार प्रत्येक प्रतिभागी को तीन कार्ड लेने और इस प्रशिक्षण से अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं को लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक बिंदु को अलग-अलग कार्ड पर लिखा जाना चाहिए।
- दो या तीन वालंटियर की मदद से इन कार्डों को श्रेणीबद्ध करें और उन्हें एक चार्ट पेपर पर लगायें।
- वालंटियर प्रतिभागियों को वर्गों में बाँट कर उनकी अपेक्षाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।

अब, दिन के हिसाब से सत्र योजना को सभी के साथ साझा किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि क्या इस अभ्यास से कोई अलग अपेक्षाएं सामने आई हैं और उन्हें कैसे इसमें शामिल किया जा सकता है।

बुनियादी / मूल नियम

प्रतिभागियों में से किसी को वालंटियर के रूप में बुलाया जा सकता है और उसे बुनियादी नियमों पर विचार करने और उन्हें चार्ट पेपर पर लिखने और कक्षा में एक दृश्यमान स्थान पर रखने के लिए कहा जा सकता है।

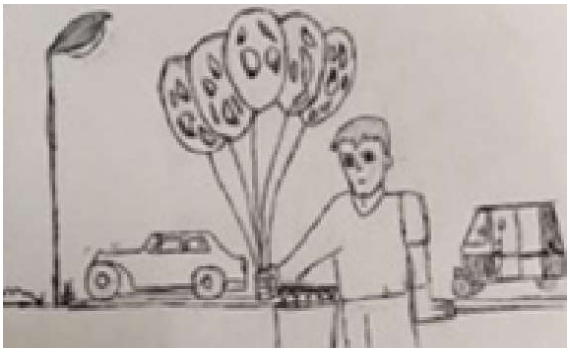

अध्ययन विश्लेषण

उद्देश्य: प्रतिभागियों को विभिन्न परिस्थितियों में बेघर लोगों की समस्याओं और स्थितियों को जानना होगा; वे एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे।

सामग्री: चार्ट पेपर, इंडेक्स कार्ड, चिपकने वाला टेप, मार्कर

प्रक्रिया: प्रतिभागियों को पांच समूहों में बांटा जाएगा और उन्हें अलग-अलग विषय-आधारित अध्ययन दी जाएगी (अनुलग्नक 1 में अध्ययन संलग्न हैं)। निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक समूह को अध्ययन पढ़कर उसके माध्यम से मुद्दों और संभावित कारणों की पहचान करने और उन्हें चार्ट पेपर या इंडेक्स कार्ड पर रखने के लिए कहें। यह अध्ययन महिलाओं, बच्चों, सरकारी

संस्थान, पुलिस की बर्बरता, बेदखली आदि के विभिन्न मुद्दों से संबंधित है।

प्रत्येक समूह अपने निष्कर्षों की प्रस्तुति करेंगे।

इस प्रस्तुति के बाद, सभी विषयगत आधारित समूह को उनके कार्य अनुभव के आधार पर मुद्दों और कारणों (समान चार्ट पेपर / इंडेक्स कार्ड, जिसमें वे पहले से काम कर रहे थे) की सूची का विस्तार करने के लिए कहा जाएगा।

समूहों की प्रस्तुति के बाद मुद्दों, कारणों और संभावित तरीके पर एक खुली चर्चा की जाएगी।

सूत्रधार के लिए सुझाव: सूत्रधार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि चर्चा नियंत्रण से परे नहीं होनी चाहिए और यह सत्र मुद्दों और कारणों पर बातचीत की शुरुआत है। क्योंकि आगे वाले सत्रों में समस्या विश्लेषण के विवरण के साथ बढ़ेंगे। प्रशिक्षण के चौथे दिन उनसे निपटने के ऊपर गंभीर चर्चा की जाएगी।

6.3 समुदाय आधारित विश्लेषण करने के लिए सहभागी प्रक्रिया

उद्देश्य: यह तालमेल बनाने और समुदाय के साथ बातचीत करने में उनकी समझ को बढ़ाएगा; समुदाय-आधारित विश्लेषण करने के लिए उनके कौशल को बढ़ाएगा।

सामग्री: चार्ट पेपर, मार्कर, इंडेक्स कार्ड, चिपकने वाला टेप

प्रक्रिया: सूत्रधार प्रतिभागियों के साथ तीन सहभागी प्रक्रिया पेश करेगा और उन्हें अपने संबंधित अध्ययनों और बेघर लोगों के साथ काम करने के अनुभवों के आधार पर अपने समूहों (समूह पहले वाला ही रहेगा) में अभ्यास करने के लिए कहेंगे। प्रत्येक समूह अपने अभ्यास के लिए उनमें में से किसी दो सहभागी प्रक्रिया का चयन करेंगे।

सहभागी प्रक्रिया होंगे -

1. समस्या वृक्ष विश्लेषण - यह प्रक्रिया समस्या के मूल कारणों की पहचान करने में होने वाली समस्या का विश्लेषण करेगा और उनके आधार पर हस्तक्षेप की योजना बनाई जा सकती है।
2. गतिशीलता मानचित्रण - यह महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थानों के संदर्भ में किया जाएगा।
3. जोड़ीदार रैंकिंग - महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हितधारकों की पहचान करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

प्रत्येक सहभागी प्रक्रिया का विवरण अनुलग्नक 2 में संलग्न किया गया है।

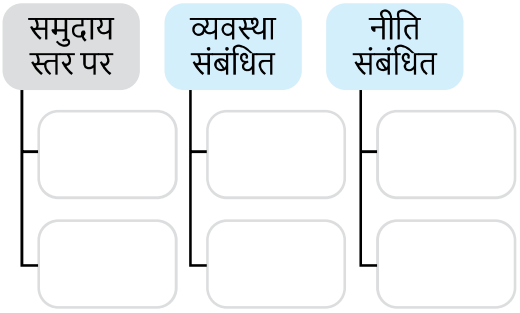

प्रतिभागियों को आगे के कारणों का विश्लेषण करना होगा कि किस स्तर पर हस्तक्षेप की योजना बनाने की आवश्यकता है। इस विश्लेषण के लिए निम्नलिखित मैट्रिक्स का उपयोग किया जा सकता है –

6.4 अधिकारों के ढांचे के माध्यम से बेघरपन की सैद्धांतिक समझ

क) बेघर की परिभाषा

ख) मौलिक अधिकार

ग) अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार

घ) महिलाओं के लिए अधिकार और कानूनी ढांचा

उद्देश्य: प्रतिभागियों को मानवाधिकारों की व्यापक रूपरेखा और बेघरों के क़ानूनी पहलुओं की जानकारी होगी।

सामग्री: जानकारियों या प्रशिक्षण सामग्री का प्रिंटआउट, चार्ट पेपर, मार्कर

प्रक्रिया: प्रतिभागी चार समूह बनाएंगे और प्रत्येक समूह प्रत्येक पहलुओं के हैंडआउट्स (अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न) को ध्यान से पढेंगें और दूसरों के साथ साझा करेगा। हर समूह प्रस्तुतिकरण के किसी भी तरीके का चयन कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बिंदु छूट न जाए।

अधिकारों और कानूनी ढांचे का स्पष्टीकरण पर खुला सत्र। अधिकार और कानूनी ढांचे के प्रत्येक पहलुओं का विवरण अनुलग्नक 3 में संलग्न किया गया है।

6.5 क्षेत्र की यात्रा और सामुदायिक यात्रा की योजना

उद्देश्य: सहभागी प्रक्रिया को इस्तेमाल करने और इसके उपयोग को समझना।

क्षेत्र के दौरे की योजना बनाना।

समुदाय की उपलब्धता के आधार पर, समूहों की संख्या बनाई

जाए। अगर 25 प्रतिभागी होते हैं तो आदर्श रूप से पांच समूह बनाना ठीक रहेगा।

प्रत्येक समूह आपस में योजना बनाएंगे कि वे समुदाय के साथ क्या समझने जा रहे हैं, और तदनुसार सहभागी प्रक्रिया का चयन किया जाए।

यदि आवश्यकता हो तो सूत्रधार उन्हें अपने उद्देश्य की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।

प्रत्येक समूह तय करेगा - सूत्रधार, सह-सूत्रधार, दस्तावेजकर्ता, पर्यवेक्षक, बंदोबस्त, परिणाम, परिणाम की प्रस्तुति और पूरे अभ्यास से क्या सीख मिली।

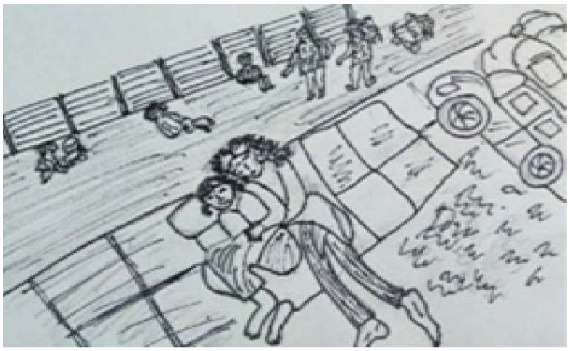

प्रत्येक टीम अपने साथ आवश्यक स्टेशनरी लेकर जाए।

क्षेत्र दौरा – सहभागी शिक्षण और कार्य में क्या करें और क्या ना करें को ध्यान में रखते हुए बेघरों के साथ नियोजित गतिविधि करें।

६.६ अधिकारों और कानूनी ढांचे पर विचार विमर्श करते हुए समुदाय आधारित जानकारी का संश्लेषण करना

उद्देश्य: समुदाय से निकले निष्कर्षों का प्रतिभागी विश्लेषण करेंगे और अधिकार ढांचे के साथ उसके संबंध को समझेंगे

प्रक्रिया: क्षेत्र का दौरा करने वाले प्रत्येक समूह अपनी प्रस्तुति देंगे और बेघर के साथ उनकी बातचीत को साझा करेंगे।

सूत्रधार यहां मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानून का उनसे संबंध के बारे में बताएँगे।

इस बात पर चर्चा की जा सकती है कि संगठन किस तरह हस्तक्षेप कर सकते हैं और कानूनी सहायता की मांग कर सकते हैं या किस संस्था को बेघर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संपर्क करें।

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद के लिए कुछ सफल कहानियों को साझा किया जा सकता है।

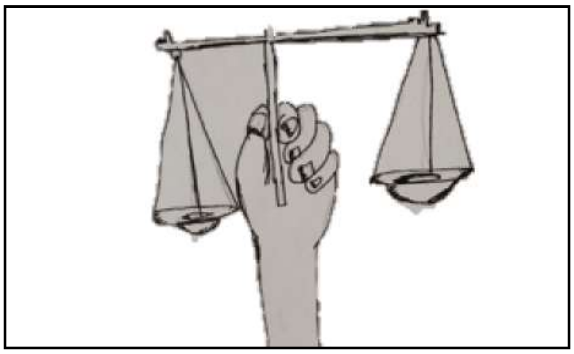

अंत में सूत्रधार चर्चा का समापन करते समय प्रतिभागियों से चर्चा किए गए बिंदुओं के बारे में जल्दी से पूछेंगे।

6.7 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप

उद्देश्य: बेघर के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना।

सामग्री: निर्णय के प्रिंटआउट

प्रक्रिया: प्रतिभागियों को प्रोत्साहित व उत्तेजित करने के लिए सूत्रधार कुछ सवाल पूछेंगे -

- कब अदालत का दरवाजा खटखटाना है?
- हमें अदालत का रुख क्यों करना चाहिए?
- कब हम कानून ला सकते थे?
- कानूनी सहायता मांगने का सही समय क्या हो सकता है?
- जनहित याचिका कैसे दायर करें?
- जनहित याचिका के संबंधित महत्वपूर्ण कारक - समय,

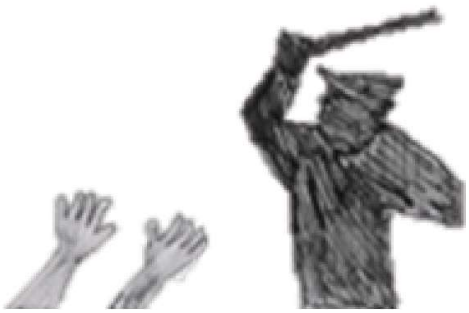

जोखिम, राजनीतिक माहौल, सामाजिक संगठनों की भागीदारी, निगरानी, आदि।

- याचिका के अलावा और क्या किया जा सकता है?
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सहभागिता प्रक्रिया?
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का महत्व।

प्रतिभागियों के साथ कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा की जाएगी।

1. पीयूसीएल बनाम भारतीय संघ व अन्य (W.P. (C) 196/2001)
2. जस्टिस गंभीर कमेटी की रिपोर्ट
3. सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार कार्य करने के लिए कहते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि वे शहरी बेघरों को सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं - दिनांक: 05/05/2010

अनुलग्नक 4 में महत्वपूर्ण निर्णय संलग्न हैं।

6.8 शहरी शासन

उद्देश्य: विभिन्न योजनाओं और एनयुएलएम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण

सामग्री: एनयुएलएम योजना दस्तावेज के प्रिंटआउट और आश्रय गृह की कार्यक्षमता पर महत्वपूर्ण नोट्स

प्रक्रिया: एक खुली चर्चा के माध्यम से शहरी शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की जायेगी - शासन के पहलु, कार्यक्षमता, आमतौर पर होने वाली कठिनाईयाँ और चुनौतियाँ, चुनौतियों पर काबू पाना, आदि।

चर्चा विभागों, समितियों और महत्वपूर्ण निकायों के बारे में भी होगी और वे कैसे कार्य करते हैं और बेघर मुद्दों को दूर करने के लिए उनकी क्या जवाबदेही है।

शहरी सामजिक संगठनों का समन्वय जैसे बेघरों के लिए शहरी अधिकार मंच (एसएएम), कैसे बेघरपन पर सफलता से काम करती आ रही है? इस पर चर्चा की जायेगी।

एनयुएलएम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, शहरी अधिकार मंच के प्रासंगिक पहलुओं में से कुछ अनुलग्नक 5 में संलग्न हैं।

6.9 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 16 - महत्वपूर्ण पहलू

उद्देश्य: एसडीजी 16 पर उन्मुखीकरण और यह स्पष्टता लाने पर कोशिश कि यह कैसे बेघरपन से जुड़ा हुआ है।

सामग्री: एसडीजी 16 के प्रिंटआउट, चार्ट पेपर, मार्कर

प्रक्रिया: पांच समूह बनाए जाएंगे और कुछ प्रासंगिक एसडीजी 16 के लक्ष्य (16.6, 16.7,16.9, 16.1 और 16.b) को समूहों के बीच बेघरपन से इसके जुड़ाव पर विचार-विमर्श के लिए वितरित किया जाएगा। एक खुली चर्चा के बाद समूह अपनी-अपनी प्रस्तुति देंगें। निम्नलिखित बिंदुओं को समूह प्रक्रिया और खुली चर्चा में लिया जाएगा।

क) एसडीजी लक्ष्यों का बेघरपन के साथ संबंध
ख) भागीदारों की सीमा
ग) IGSSS / OFFER इसको कैसे संबोधित कर रहे है?
घ) कैसे भागीदार IGSSS / OFFER के साथ मिलकर या अलग से काम कर सकते हैं?
ड़) निगरानी पहलुओं और कार्य करने की सीमाओं के साथ एक कार्य योजना तैयार करें (अंतिम कार्य योजना में इसे संबोधित किया जा सकता है)

विस्तृत SDG 16 अनुलग्नक 6 में संलग्न है।

6.10 कार्य योजना

उद्देश्य: प्रतिभागी परिवर्तन मैपिंग चरणों पर विचार करते हुए अगले छह महीनों के लिए अपने कार्यों की योजना बनाएंगे।

परिवर्तन मानचित्रण के चरण प्रतिभागी निम्नलिखित चरणों के आधार पर अपने संगठन का नक्शा तैयार करेंगे।

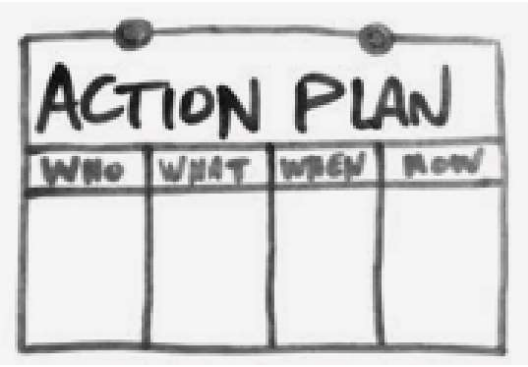

1. समुदाय के साथ संगठनात्मक जुड़ाव के चरण

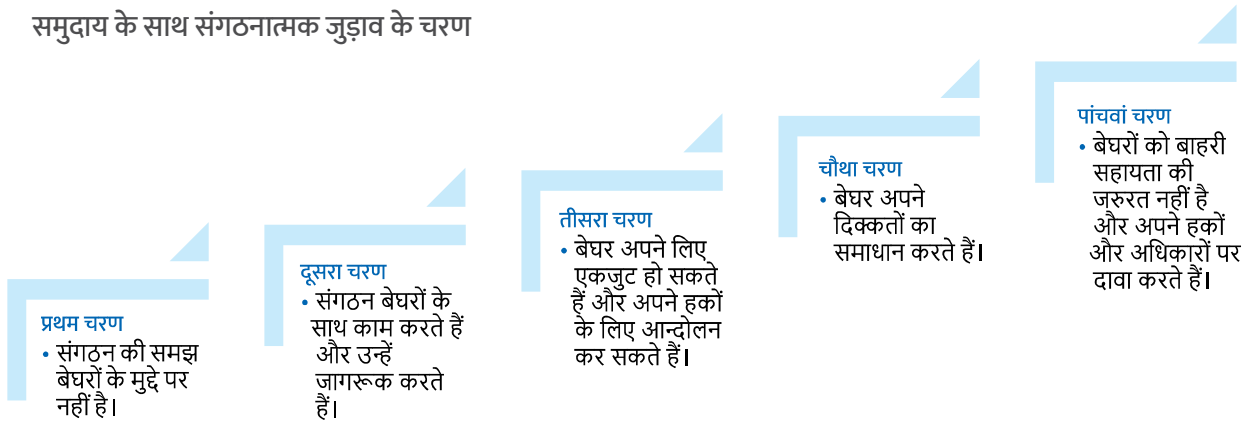

2. नीति के साथ संगठनात्मक जुड़ाव के चरण

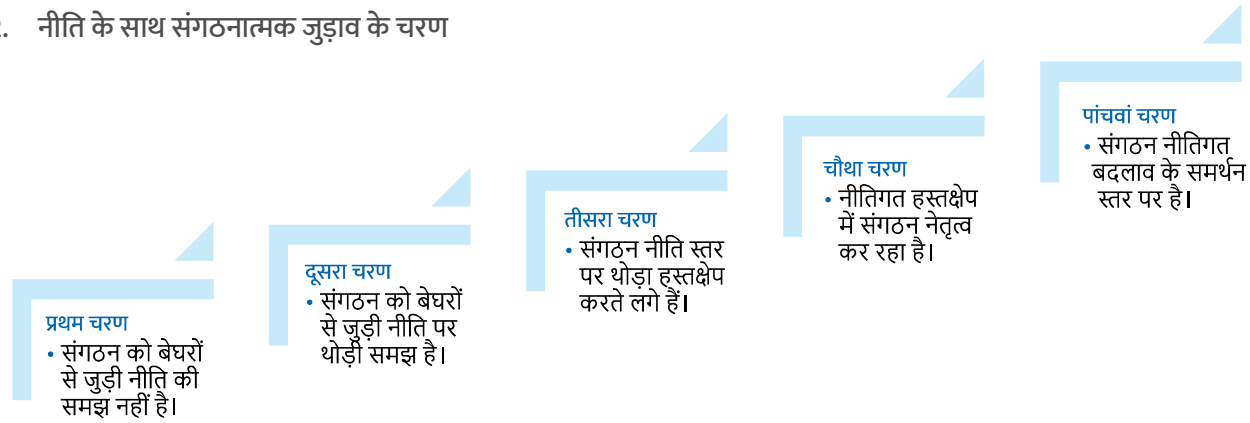

प्रत्येक संगठन या राज्य वार संगठन उपरोक्त चरणों के आधार पर अपनी कार्य योजना तैयार करेंगें।

1. सामुदायिक सहभागिता पर कार्य योजना

संगठन का नाम	सामुदायिक सहभागिता में संगठन किस चरण में हैं।	आगे करने वाले कार्य	समय अवधि	जरुरी सहायता	कार्य पूरा करने में आने वाली मुश्किलें

2. नीतिगत व्यस्तता पर कार्य योजना

संगठन का नाम	सामुदायिक सहभागिता में संगठन किस चरण में हैं।	आगे करने वाले कार्य	समय अवधि	जरुरी सहायता	कार्य पूरा करने में आने वाली मुश्किलें

तैयार कार्य योजना IGSSS प्रतिनिधि को दें।

समापन

प्रतिभागी इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी समझ साझा करेंगे -

1. प्रशिक्षण से मिली सीख 2. सफलता मिलनी कितनी मुश्किल या आसान होगी

अनुलग्नक 1 : मामलों का अध्ययन

पहले मामले का अध्ययन : महिलाओं पर

सिर्फ भौतिक आधिपत्य जो उसका दिल चाहता है, वो है...

बीना सर्दियों में धूप में बैठी है, उसका चेहरा लगभग खिल उठता है जब कोई उसके साथ बैठता है और बस उसकी कहानी सुनता है। वह कहती है कि एक दिन दूसरे से ज्यादा अलग नहीं होता, "मैं बैठती हूं, सोती हूं और अपनी दवाई लेती हूं"। वह कहती है, "कभी-कभी मैं सब्जियां काटती हूं, अगर वे मुझे काटने देते हैं,"। जिस महिला के बारे में बात हो रही है, वह रेगरपुरा में एक बेघर आश्रय में रहने वाली महिलाओं (आईजीएसएसएस द्वारा संचालित) के साथ रहती है, जहां वह पिछले तीन वर्षों से हैं।

बीना के आश्रय में रहने की यात्रा, जिसे वह अब घर कहती है, के बारे में कम से कम कहें तो दर्दनाक है। वह अब शांत रहती है, लेकिन उसका मन शायद ही कभी ऐसे परिवार के विचारों से हटता है जो उसके पास था ही नहीं। वह कहती हैं, "मेरे पांच बच्चे थे - दो बेटे और तीन बेटियाँ" उसकी आँखें नम हो गईं। लगभग 25 वर्षों से - वह तारीखों और संख्याओं के बारे में अनिश्चित है - उसका जीवन एक माँ का सबसे बुरा सपना रहा है : उसने अपने सभी बच्चों को अपने जीवित रहते ही खो दिया।

उसके सबसे छोटे बेटे का निधन हो गया जब वह सिर्फ एक महीने का था; एक हफ्ते बाद उसके पांच साल के बेटे ने एक ऐसी बीमारी के चलते दम तोड़ दिया, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। उसके बाद दो बेटियों की मौत भी हो गयी। हर बार वह अपने पति द्वारा समर्थन या देखभाल पर बात नहीं करती है, और कहती है, "वो नाम की शादी थी"।

बीना ने अपना बचपन देहरादून में बिताया, लेकिन उसका परिवार कानपुर आ गया जब उसके पिता, जो सेना में कार्यरत थे, का स्थानांतरण हो गया। यही वह जगह है जहां उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी सारी आदतों में सबसे छोटी आदत महिलाओं को बुरी नजर से देखने की थी। उसे एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या हो गयी जिससे उसके हाथ सख्त हो गए, और वह अपने बाएं पैर से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके इलाज़ में लखनऊ में एक डॉक्टर से मिलना, बालाजी मंदिर जाना और कानपुर के एक क्लिनिक में 15 बिजली के झटके शामिल हैं। उसके पति ने उन्हें 'भभूत' भी दिया, लेकिन इससे केवल उसका सर घूमा और कुछ नहीं हुआ। तब जाकर उसने अपनी अकेली जीवित बच्ची, ममता, के साथ घर छोड़ने का फैसला किया।

"मैं अपने पिता के घर गयी था, लेकिन लंबे समय तक नहीं रही। उसने मेरी माँ के मरने के बाद पुनर्विवाह किया, और फिर उसका छह बच्चों का एक बड़ा परिवार था। उसकी दूसरी पत्नी भी गंभीर रूप से जल गई थी," वह बताती है। वह ममता के साथ दिल्ली आई, जो उस समय 14 साल की थी, और सेक्टर 40 नोएडा में एक कमरा 50 रुपये महीने पर किराए पर लिया। शहर में पहला साल थोड़ा पानी या भोजन के साथ बीता, लेकिन वापस जाने का कोई विकल्प नहीं था। "ममता ने हमें वापस नहीं जाने दिया; उसने कहा कि उसके पिता हमारे साथ मारपीट करेंगे", वह बताती है।

बीना नोएडा में एक फैक्ट्री में काम करने लगी, जहां उसने धागा काटा, एक नौकरी जहाँ उसने परीक्षण के दौरान तीन घंटों में 75 टुकड़ों में काट दी। फैक्ट्री बंद होने तक उसने 800 रुपये महीने पर तीन वर्षों तक वहां काम किया। फिर, उसने नोएडा में एक अन्य इकाई में काम किया। वह अपनी बेटी की खातिर खुद को धक्का देती रही, लेकिन 1998 में उसे भी खो दिया। ममता का निधन हो गया।

अपनी बेटी के बारे में याद करते हुए, वह कहती है, "अगर मैं रात के खाने के लिए दो चपातियाँ लाने में कामयाब रही, तो मैं दोनों उसे दे दूँगी। लेकिन उसने हमेशा जोर देकर कहा कि हम अलग हो गए। उसे टेलीविजन से प्यार था, और हमेशा खाना बनाने में मेरी मदद करती थी।"

उसे एक अफसोस यह है कि मरने से पहले ममता की तस्वीर लेने के लिए कोई नहीं था, बस उसे अपनी प्यारी बेटी की यादों के साथ छोड़ दिया। ममता की मौत ने उन्हें एक सदमे में भेज दिया, जिससे उबरना मुश्किल था। उसने काम करने की इच्छा और ऊर्जा खो दी, और भोजन के लिए मंदिरों पर भरोसा करने लगी। हनुमान मंदिर में, मुहीम सिंह ने उन्हें (वर्ष 2000 में) देखा और उनकी कहानी सुनी। 1500 रुपये महीने पर, उसने उनके कार्यालय (AAA) में काम किया, चाय या पैकिंग की दवाइयाँ बनाईं, और वहीं रही जब तक अनुगृह नामक आश्रय बंगला साहिब गुरुद्वारा में बनाया गया था।

"मैं अनुगृह आश्रय में प्रभारी थी, और मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS) से 15 दिन का कोर्स भी किया," वह कहती हैं। उनकी नौकरी में महिलाओं को आश्रय में लाना, उनकी देखभाल करना, उनके कपड़े बदलना और उन्हें नहलाना, खाना बनाना और सर्वेक्षण के लिए बाहर जाना शामिल था। उसे ऐसी ही एक महिला पूनम दास की याद आती है; जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ तोड़ दिया था और उसे लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया था। "उसने मुझे अपनी माँ की तरह माना। मैंने उसकी देखभाल की, उसे उसके घर (आसनसोल, पश्चिम बंगाल) भेजा, और यह देखने के लिए एक बार उसके घर भी गयी कि क्या वहां सब कुछ ठीक है," वह कहती है।

उसने अब काम करना बंद कर दिया है; उसका स्वास्थ्य उसे अनुमति नहीं देता है। बीना दिल, मानसिक बीमारियों और रक्तचाप के लिए दवाएं लेती हैं, जिसे वह अपने बिस्तर पर प्लास्टिक की थैली में रखती हैं। उसकी संपत्ति कुछ कम है - एक अमृतवाणी पुस्तक, कुछ प्लास्टिक की बोतलें, स्टील के बर्तन और कपड़े की एक सफेद प्लास्टिक की थैली। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सारे संपर्क खो चुकी है, लेकिन वह उन बच्चों के साथ अपना दिन बिताती है जिन्हें वह अपना मानती है। वह बहुत कम खाती है और स्वीकार करती है कि उसे आलू बड़ी और कड़ी पसंद है। एक गृहिणी ने चिल्लाते हुए कहा कि एक बिल्ली उसका दूध पी रही थी, लेकिन उससे बीना परेशान नहीं हुई, "उसे पीने दो, उसका पेट भर जाएगा," वह कहती है। सिर्फ भौतिक आधिपत्य किसी चीज का चाहिए उसके दिल को तो वो है ममता की एक तस्वीर की।

दूसरे मामले का अध्ययन : मानसिक रूप से परेशान

रंजन का मामला

16 अगस्त 2002 को शुक्रवार की रात 9.30 बजे आश्रय अधिकार अभियान (AAA) का रात्रि दौरा सामान्य तरीके से शुरू होता है, लेकिन सामान्य रूप से इसका अंत नहीं होता है, इस तरह जिसकी उम्मीद नहीं थी।

रात के 2.30 बजे, आश्रय अधिकार अभियान की गाड़ी चांदनी चौक (फव्वारा चौक) क्षेत्र में प्रवेश करती है और सड़क के बीच में खड़े एक युवक के पास जाती है। रंजन, (21 वर्ष की आयु) अपने चेहरे पर रूमाल बांधे हुए (अपनी आंखों को ढंकते हुए) खड़ा होकर मार्शल आर्ट प्रदर्शित कर रहा होता है। AAA टीम उसकी (स्पष्ट) मानसिक अस्थिरता के बावजूद रंजन को सड़क के किनारे लाने में सफल होती है। इसके बाद AAA टीम पास के पुलिस स्टेशन का रुख करती है ताकि रंजन को अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। पुलिस अधिकारी AAA टीम के साथ अस्पताल में जाने से इनकार करते हैं और बहुत जोर देने के बाद, पुलिस आखिरकार रंजन पर एक लिखित बयान देने के लिए सहमत होती है जिसमें उसके मानसिक अस्थिर हालत में पाए जाने की बात लिखी हुई थी। सुबह 4 बजे के करीब पुलिस चौकी का 'नाटक' ख़त्म हुआ और AAA टीम अपने साथ रंजन को लेकर एलएनजेपी अस्पताल जाती है।

LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टर रंजन को LHMC / S.K. हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते है क्यूंकि एलएनजेपी अस्पताल में कोई मनोरोग वार्ड नहीं था। इसलिए रंजन को एलएचएमसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां एक डॉक्टर उसकी जांच करता है और उसे आईएचबीएएस में ले जाने के लिए रेफर करता है। इस बीच, रंजन को शांत करने के लिए सेडेटिव दिया गया (क्यूंकि वह थोड़ा हिंसक हो रहा था)। सुबह 5.30 बजे तक AAA टीम रंजन को IHBAS लेकर जाते है। वहां प्रभारी डॉक्टर रंजन को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) के आदेश के बिना स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वह AAA टीम को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) / 100 नंबर पर कॉल करने के लिए कहते है ताकि पुलिस पहुंच जाए और मामले को संभालें। AAA के सदस्य 100 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस वैन का इंतजार करते हैं। एक घंटा बीत जाता है और किसी पुलिसकर्मी के नहीं आने पर वह फिर से फोन करते हैं। पीसीआर द्वारा दिए गए बार-बार आश्वासन के बावजूद, कोई भी पुलिस वैन सुबह 9 बजे तक हॉस्पिटल नहीं आती है। इंतजार के दौरान वो रंजन को ब्रेड और मक्खन खाने के लिए देते हैं। जब प्रतीक्षा निरर्थक हो जाती है तो 9:20 बजे AAA टीम रंजन को दिलशाद गार्डन पुलिस स्टेशन ले जाती है। जांच अधिकारी (आईओ) AAA टीम को बताते हैं कि रंजन को चांदनी चौक पुलिस स्टेशन ले जाया जाए क्योंकि वह वहां पाया गया था। इस बार AAA टीम ने श्री आमोद कंठ, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, को कॉल कर उनसे मदद मांगी। श्री कंठ ने आईओ से रंजन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने में AAA टीम की मदद करने के लिए कहा। जिसके बाद आईओ और AAA टीम रंजन के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट रवाना होते हैं।

10 बजे तक वे अदालत पहुंच जाते हैं। आईओ पहले से ही संबंधित मजिस्ट्रेट के चैम्बर में प्रवेश करता है जबकि AAA टीम रंजन को मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाने के लिए संघर्ष करती है। आईओ लौटने पर AAA टीम को बताता है कि मजिस्ट्रेट ने उन्हें रंजन को चांदनी चौक पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए निर्देशित किया है। यह महसूस करते हुए कि न्याय नहीं हुआ है, AAA टीम 'अनसुने' फैसले को चुनौती देते हुए अदालत में रंजन के मामले का प्रतिनिधित्व करती है। वे रंजन को मजिस्ट्रेट कोर्ट रूम में ले जाते हैं और वहां श्री मुहीम जी रंजन का

केस दर्ज कराते हैं और उसकी विषम परिस्थितियों और परेशानियों के बारे में बताया जिससे उसे रात भर गुजरना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने रंजन के पक्ष में फैसला सुनाया और आईओ को निर्देश दिया कि रंजन को आईएचबीएएस में भर्ती करवाए। जब तक आईओ अपना आवेदन पूरा नहीं कर लेता, तब तक मजिस्ट्रेट आस-पास के BSES (बॉम्बे उपनगरीय बिजली आपूर्ति) कार्यालय में चला जाता है। तो AAA टीम के 2 सदस्य और आईओ बीएसईएस कार्यालय जाते हैं और मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित आवेदन प्राप्त करते हैं। घटना में, मजिस्ट्रेट AAA टीम को IHBAS में रंजन को भर्ती करवाने से पहले 2 मनोचिकित्सकों की राय लेने के लिए पहले GTB अस्पताल का दौरा करने के लिए कहते हैं।

दोपहर करीब 12 बजे रंजन को जीटीबी अस्पताल लाया गया। जब तक कागजात पढ़े जाते तब तक मनोचिकित्सा वार्ड 12.30 बजे बंद हो गया। इसलिए मामला मेडिसिन वार्ड, दूसरी मंजिल पर कमरा नं. 259 में रंजन को आखिरकार एक बिस्तर मिल जाता है और AAA टीम जॉन को उसके परिचर के रूप में नियुक्त करती है। फिर टीम के बाकी सदस्य अपने नाश्ते के लिए IHBAS जाते हैं। यहां वे IHBAS के चिकित्सा अधीक्षक डॉ निमेश देसाई से मिलते हैं, और उन्हें रंजन के मामले के बारे में बताते हैं। वह बताते है कि अगर कोई समस्या हो, तो उन्हें फोन कर सकते हैं।

3:15 बजे जॉन को छोड़कर AAA टीम, घर के लिए रवाना होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। शाम 4 बजे जॉन श्री मुहीम को फोन करता है, उन्हें सूचित करता है कि रंजन को जीटीबी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। श्री मुहीम ने डॉ. निमेश देसाई को फोन किया और उन्हें रंजन के बारे में बताया। डॉ. निमेश का सुझाव है कि रंजन को IHBAS में भर्ती करवाने के लिए मेडिसिन वार्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के नाम से GTB अस्पताल को एक रेफरल बनाना चाहिए। शाम 6 बजे तक औपचारिकता पूरी हो जाती है और रंजन को IHBAS ले जाया जाता है। शाम 7:30 बजे रंजन आखिरकार IHBAS के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो गए। और उसे शांत करने के लिए फिर से सेडेटिव दिया जाता है जिससे उसे कुछ आराम मिल पाया।

लेकिन, क्या रंजन की आत्मा को कभी आराम मिलेगा, हालाँकि वह शारीरिक रूप से शांत हो सकता है। वह चुप है, बोल नहीं रहा अपने साथी इंसानों और मातृभूमि के नियमों से मिले दर्दों के बारे में। लेकिन, उसकी आत्मा दर्द में रोने रही होगी और यह उन सभी के दिलों को पीड़ा देगा जो इंसान हैं। और यह कब तक रोएगा... समय ही बताएगा।

AAA का रात्रि दौरा तनावपूर्ण था लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ था। रंजन डेढ़ महीने तक IHBAS में रहा और हमारे कार्यालय में लगभग एक पखवाड़े तक और फिर एक महीने के लिए दिल्ली हाउस में। उसके बाद वह नवंबर 2002 में हमारे पास वापस आया और हमें बताया कि वह जाना चाहता है और काम करना चाहता है।

रंजन जनवरी 2003 में फिर से आया। वह आजकल शादी पार्टियों के लिए काम कर रहा हैं। हमने उसे बताया है कि किसी भी समस्या के मामले में वह हमारे पास वापस आ सकता है, कभी भी, जब वह आना चाहता है।

तीसरे मामले का अध्ययन : सरकारी विभागों द्वारा उत्पीड़न

AAA का रात्रि दौरा बना एक दुःस्वप्न !

यह दिल्ली की सड़कों पर AAA का 174वां रात्रि दौरा था। AAA टीम ने शुक्रवार को रात 10 बजे दौरे की शुरुआत की जब सदस्य हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस में एकत्रित हुए। उन्होंने बेघर बच्चों और क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ बातचीत की। इसके बाद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDRS) के लिए टीम का नेतृत्व किया। जब वे स्टेशन पहुँचे तो लगभग 1 बजे थे। प्लेटफॉर्म 1 पर रहने वाले बच्चों को उस रात वहां नहीं देखा गया और इसलिए रात्रि दौरे की टीम ने अन्य गंतव्यों पर जाने का फैसला किया। बस जब टीम रवाना होने वाली थी कि जावेद ने टिकट काउंटर क्षेत्र में एक महिला को देखा। इस महिला को उस कहानी का केंद्र बनना था जिसके पल के बाद यह कहानी बनी। वह फर्श पर बैठी थी, गन्दी और बीमार-सी, और आस-पास से जाने वालों पर टिप्पणियां कर रही थी या चिल्ला रही थी। करीब से देखने पर, ज़ावेद ने पाया कि उसके कपड़े उसके पेशाब के साथ गीले और गंदे हो चुके थे, जिससे उसके आस-पास फर्श भी गीला हो गया था। उसके दाएं हाथ पर एक प्लास्टर भी था, जिससे पता चल रहा था कि उसका हाँथ टूटा हुआ था। ज़ावेद ने अपने निदेशक, श्री मुहीम और अन्य एएए सदस्यों के ध्यान में मामला लाया।

श्री मुहीम ने नरम शब्दों के साथ महिला से संपर्क किया और उसने अपना नाम, यानी पूनम दास, बताते हुए जवाब दिया। उसने अपने बाएं पैर पर कुत्ते के काटने की चोट दिखाई जिसके कारण वह खड़े होने और चलने में असमर्थ थी, इसलिए वह खुद को घसीटती है। पूनम ने जिस तरीके से बात की उससे पता चलता है कि वह मानसिक रूप से परेशान थी। वह जिस गंदी स्थिति में थी, उसे देखकर एएए सदस्यों ने उसे बदलने के लिए नए कपड़े दिए। फिर, परिस्थितियों को देखते हुए और इस बेसहारा महिला की मदद करने को तैयार, एएए टीम ने एनडीआरएस पुलिस से संपर्क किया। कुछ

पुलिसकर्मियों ने महिला का अवलोकन किया और उनमें से एक, श्री सुनील कुमार, एएए टीम के साथ जाने के लिए सहमत हुए जिसने उसे एक सरकारी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया।

यही करीब सुबह के 2.25 बजे थे जब पुलिसकर्मी के साथ एएए टीम पूनम को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) में ले आई। उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाना पड़ा क्योंकि वह चल नहीं सकती थी। वहां के सीएमओ ने एएए टीम को बताया कि उनके पास कुत्ते के काटने / रेबीज की कोई मुफ्त दवा नहीं है और टीम को सलाह दी कि वो पूनम को राम मोहन लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ले जाएँ। डॉक्टर द्वारा सुझाए अनुसार, एएए टीम पूनम को आरएमएल में ले गई। वहां उसे टीटी और एंटी रैबीज सीरम की एक खुराक दी गई। लेकिन आरएमएल स्टाफ ने एएए टीम को पूनम को वापस एलएचएमसी ले जाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास 24 घंटे मनोरोग विभाग थे, जो आरएमएल में नहीं था। LHMC में लौटने पर, मनोचिकित्सक डॉ अंजलि वर्मा ने पूनम की जांच की और उन्हें मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS) में भेजा।

सुबह 6.40 बजे, शनिवार को, जब पूनम के साथ AAA की टीम IHBAS पहुंची, तब प्रभारी डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे हो रहे दर्द से राहत देने के लिए उसे सीडेटिव के दो शॉट दिए गए। डॉक्टर ने एएए सदस्यों को बताया कि उन्हें रोगी को भर्ती करने से पहले चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए, उन्होंने एएए सदस्यों से कहा कि वे सुबह 9.30 बजे तक प्रतीक्षा करें जब तक एमएस आ जायेंगे। इस बीच, पुलिसकर्मी वहां से चला गया। सुबह 8.30 बजे, डॉक्टर ने एएए सदस्यों को बताया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ प्रभारी को फोन किया था और पूनम को भर्ती नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें शारीरिक चोटें थीं, जिसका पहले ध्यान रखना आवश्यक था। पूनम की शारीरिक चोटों के इलाज के लिए एएए सदस्यों द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, डॉक्टर ने मना कर दिया और टीम को उसे किसी भी सामान्य अस्पताल में ले जाने के लिए कहा।

सुबह के 9 बजे थे और एएए टीम को पूनम को फिर से एलएचएमसी ले जाना था। तब तक, AAA के सदस्यों को इस खेल का अनुभव मिल रहा था कि सरकारी अस्पताल बेसहारा महिला के साथ क्या खेल कर रही थी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि एक अस्पताल "दूसरे के मत्थे मढ़ने" की कोशिश कर रहा था। हर कोई इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जिसे वे "जटिल मामला" कहते थे। लगभग 9.30 बजे पूनम को तीसरी बार एलएचएमसी लाया गया।

एएए टीम को पूनम को मनोचिकित्सा ओ.पी.डी. ले जाने के लिए कहा गया। जहाँ श्री मुहीम और जावेद, डॉ मिनमय दास से मिले, जिन्होंने कहा कि पूनम को स्वीकार करना उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने उनसे कहा कि वे मरीज़ का पंजीकरण करवाएं और प्रवेश मामलों के बारे में सलाहकार डॉ (सुश्री) अरुण लता अग्रवाल की सलाह लें। कंसल्टेंट ने एएए सदस्यों के साथ मामले पर चर्चा की और डॉ मलिक और डॉ उन्नावती के माध्यम से रोगी के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया, जिसके बाद उसे भर्ती किया जा सकता है। इसलिए, दोपहर 3 बजे तक पूनम एक विस्तृत मनोरोग परीक्षा से गुजर रही थी। इस बीच, एएए के अन्य सदस्य रात्रि दौरे टीम में शामिल हो गए। परीक्षण के बाद, सलाहकार मनोरोग वार्ड में पूनम को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए, लेकिन केवल एक सामान्य चिकित्सा परीक्षण और 'गायने' परीक्षण के बाद। एक महिला परिचर की भी आवश्यकता थी और एएए उसके लिए सहमत हुई। जिसके बाद उसे सामान्य परीक्षण और फिर Gynaec परीक्षणों के लिए ले जाया गया। लेकिन, मेटरनिटी 4 की सीएमओ, डॉ स्वाति ने पूनम की जांच करने से इनकार कर दिया, जब तक कि एमएलसी के लिए पुलिस का पत्र प्रदान नहीं किया जाए। इसलिए, AAA के कुछ सदस्यों ने आवश्यक पत्र के लिए NDRS पुलिस स्टेशन का दौरा किया। शाम 7.45 बजे तक AAA सदस्य पुलिस कॉन्स्टेबल के साथ पत्र लेकर लौट आए। लेकिन डॉ स्वाति ने यह कहते हुए MLC और Gynaec परीक्षा कराने से इनकार कर दिया कि उनकी ड्यूटी रात 8.30 बजे खत्म होनी थी और वह अपने काम के घंटे नहीं बढ़ा सकती थीं। इसलिए, उन्होंने मामले को अगले प्रभारी को सौंप दिया, जो जल्द ही पहुंचे। लेकिन उसने यह कहते हुए एमएलसी बनाने से भी इनकार कर दिया कि यह मनोरोग वार्ड का प्रमुख था जिसने पूनम को भर्ती किया था और उन्हें ही एमएलसी बनानी थी, न कि उसे। इस बीच, व्हीलचेयर पर बैठे दर्द से पीड़ित पूनम ने अपनी पैंट गीली कर ली थी। एएए सदस्य उसके लिए नए कपड़े लाए और उन्होंने उसे बिस्कुट और केले भी खिलाए। सुश्री परमजीत ने दो बेघर महिलाओं (एएए में सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही) को अलग-अलग समय पर पूनम के परिचारक बनने की व्यवस्था की।

बस जब AAA के सदस्य बार-बार इधर-उधर चक्कर लगाते और मनाही का खामियाजा भुगत रहे थे, तो सीनियर रेजिडेंट, मनोचिकित्सा, डॉ सत्येंद्र कुमार बचाव में आ गए। उन्होंने सीएमओ आपात स्थितियों के माध्यम से MLC बनाया। तब एक हड्डी रोग विशेषज्ञ ने उसकी जांच की और एक्स-रे के माध्यम से पाया कि पूनम की टूटा हाँथ गलत तरीके से पलटा हुआ था। एक सर्जरी की सिफारिश की गई। इसके बाद, उसे गाइनेक परीक्षा के लिए भेजा जाता है जो लगभग 11 बजे तक चलता है। रात 11.20 बजे पूनम आखिरकार मनोरोग विभाग में भर्ती हुई।

चौथे मामले का अध्ययन : खाद्य असुरक्षा

बेघरों के बीच भूख की समस्या

मैं भी पुरानी दिल्ली क्षेत्र में फुटपाथ पर रहता हूं। और मुझे पता है कि लोग फुटपाथों पर कैसे रहते हैं। यदि एक बार भोजन मिलता है तो दिन में अन्य समय भोजन के बिना भी सोना पड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि सड़क पर खाद्य असुरक्षा हमेशा रहती है। कोई भी खाली पेट स्वेच्छा से और खुशी से नहीं सोता है। कोई क्या कर सकता है? हम कुछ काम खोजने जाते हैं; हमसे तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं जैसे,

"तुम कहाँ से आए हो? आप क्या करते हैं? क्या आप किसी भी चोरी में लिप्त हैं? आपने अपना घर कब छोड़ा है? इन सभी दिनों के लिए आप कहां थे और क्या कर रहे थे? आप कब से यहाँ हैं? उस अवधि के दौरान आप क्या कर रहे थे? क्या कोई है जो आपको जानता है? आपकी गारंटी के लिए कौन खड़ा हो सकता है? तुम्हें इस तरह का काम नहीं मिल सकता है।

अब आप ही बताइए, कोई अपना पेट भरने के लिए क्या करेंगे? चोरी और जबरन वसूली का सहारा लेने के अलावा क्या विकल्प हैं?

भूख सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वालों की पहली और महत्वपूर्ण समस्या है। अगर किसी को काम मिल जाता तो कोई भी सड़क पर नहीं रहता है। केवल अत्यंत कष्ट और असहाय की स्थिति में ही व्यक्ति फुटपाथ पर रहता है। जब यह भूख असहनीय हो जाता है तो कोई उस क्षेत्र के होटलों में जाता है जहां अमीर लोग भूखे और गरीबों को मुफ्त भोजन देते हैं। भोजन के इंतजार में कतार में बैठना भी कोई सुखद अनुभव नहीं है। सभी प्रकार के आरोपों को सुनना पड़ता है। मैं उस स्थिति में खुद से नफरत करता था। यह बहुत ही अपमानजनक और अमानवीय स्थिति है। हर रोज कोई लंगर (सामुदायिक रसोई भोजन) खाने के लिए गुरुद्वारों में नहीं जा सकता है।

मैं घर से भाग गया क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भोला था। मैंने बिना सोचे-समझे यह कदम उठाया और इसके लिए मुझे कई दिन तक पश्चाताप हुआ।

घर में, मेरे माता-पिता और भाई-बहन हैं। पिता की आय घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई बार हम सभी को एक साथ कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। मेरी माँ मेरे छोटे भाइयों और बहनों को डांटती थी जो रोते थे क्योंकि वे भूखे थे। उन्हें भूखा सोना पड़ता था क्योंकि मेरी माँ उन्हें रोने के लिए डांटती थी। मेरे लिए यह रोज का नजारा सहना बहुत दर्दनाक था। मैं भी कई दिनों तक बिना भोजन के रहा करता था।

फिर मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई। मैं बहुत चिंतित था। मुझे पता था कि ऐसे घर में, जहां परिवार के लिए एक भोजन सुनिश्चित नहीं है तो शादी कैसे हो सकती है? इस विचार ने मुझे सताया और शादी के एक दिन पहले मैं घर छोड़कर भाग गया। मुझे लगा कि एक शहर में पहुंचने के बाद मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। पहले मैं लखनऊ पहुँचा, वहाँ रुका फिर मैं दिल्ली पहुँच गया। मुझे नहीं पता था कि यहां जीवन इतना कठिन था। यहां मैंने कूड़ा बीनने का काम किया, रिक्शा खींचा, जेल भी गया। तब भी मुझे जीवन में कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ। भूख अभी भी मेरे जीवन का एक हिस्सा थी। कई बार आत्महत्या करने के बारे में सोचा। मेरा मानना है कि ऐसे माता-पिता जो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, उनके बच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए ...

पांचवें मामले का अध्ययन : सरकारी अस्पतालों के सामने संघर्ष करना

और रात कभी खत्म होती नहीं दिख रही थी

यह एक भीषण 22 घंटे और 30 मिनट का समय था, जो एक अंतहीन दर्द को बयां करता है। एक बेसहारा मानसिक रूप से बीमार महिला, पूनम दास, को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की कहानी। वह भी प्रतिष्ठित एनडीएमसी क्षेत्र (एनडीएमसी केयर एरिया) में।

हम 2/3 अगस्त, 2002 के अपने नियमित रात्रि दौरे पर थे (जो हम हर मंगलवार और शुक्रवार को रात 9:00 बजे से सुबह 5:30 बजे तक करते हैं)। हम 1:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। हम बेघर महिलाओं और लड़कियों के अलावा गली के बच्चों और युवाओं के एक समूह के साथ बातचीत कर रहे थे।

नीचे हम जो साझा कर रहे हैं वह वास्तव में चौंकाने वाला है। यह अब भी हो सकता है, उदासीनता के लिए जिम्मेदार किसी भी भावना के बिना, हम इस बारे में अभी भी हैरान हैं।

पूनम दास का मामला

संक्षेप में, यह एक अविस्मरणीय घटना है। इसका विवरण हमारी पूनम दास से मिलने से शुरू होता है। एक 32 वर्षीय महिला जो मानसिक रूप से बीमार है। उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाएं पैर में कुत्ते ने काटा हुआ था। हम निश्चित रूप से उसे

ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने में हमें जो भी सामना करना पड़ा, वह एक असभ्य स्मरण है कि हमारे समाज के लोग किसी भी व्यक्ति को संकट में मदद क्यों नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हमने उसे ले जाकर कोई अपराध किया हो। कोई भी हमारी तरफ नहीं था (ऐसा बताते समय SKH / LHMC के मनोरोग विभाग की डॉ उन्नती कुमार द्वारा प्रदान की गई अनुकरणीय सहायता को हम भूले नहीं है)। ऐसा लग रहा था जैसे हमें चिकित्सक बिरादरी / व्यथा के खिलाफ अहिंसक संघर्ष करना पड़ रहा था।

हम सबसे पहले सुचेता कृपलानी अस्पताल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH / LHMC) पहुंचे, उन्होंने हमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML) के लिए निर्देशित किया। ARS प्रदान करने के बाद, उन्होंने हमें LHMC को वापस निर्देशित किया। LHMC ने हमें मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS) के लिए निर्देशित किया। IHBAS ने हमें "पहला कुत्ते के काटने और दूसरा दाहिना हाँथ के लिए कोई भी सामान्य अस्पताल" जाने का निर्देश दिया। हम वापस एलएचएमसी पहुंचे, जहां से हमने शुरुआत की थी। मरीज पूनम दास आखिरकार एलएचएमसी में भर्ती हुईं, 19 घंटे बाद उनकी पहली रिपोर्ट मिली। और वह भी इसलिए क्यूंकि हमने एलएचएमसी में प्रवेश के लिए जोर दिया। एलएचएमसी के लिए, आरएमएल में कुत्ते के काटने का क्लिनिक था। आरएमएल के लिए, एलएचएमसी में 24-घंटे मनोरोग सेवाएं थीं। LHMC के लिए अब IHBAS मनोरोग रोगियों को संभालने में बेहतर था। IHBAS ने महसूस किया कि पूनम की शारीरिक समस्याओं को उसकी मानसिक बीमारी से ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसलिए IHBAS ने हमें मरीज को किसी भी सामान्य अस्पताल में ले जाने का निर्देश दिया। वापस एलएचएमसी में, डॉक्टर को पता नहीं था कि क्या करना है : क्या पूनम को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है या आर्थोपेडिक विभाग में ले जाया जा सकता है या कुत्ते के काटने के इलाज दिया जाए। उन्होंने हमसे कहा कि बजाय उनसे पूछने के हमें पता होना चाहिए कि पूनम को कहां ले जाना चाहिए। उन्होंने लगभग हमें यह सोचने में झकझोर दिया कि क्या पूनम को मनोरोग विभाग में लाना हमारे लिए सही था। या फिर, क्या हमें उसे कुत्ते के काटने के इलाज के लिए ले जाना चाहिए। हमारी पकड़ काम आ गई। हमने पूरी तरह से मनोचिकित्सा विभाग के माध्यम से उसे LHMC में लाने के लिए एकल प्रयास किया। और जैसा कि यह एक सामान्य अस्पताल भी था, पूनम से पीड़ित सभी समस्याओं को सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सकता था। और यह भी कि हमें इस अस्पताल को छोड़कर, एक नए हॉस्पिटल का पीछा नहीं करना था।

जो काम आया, वह था कि हमने पूनम के साथ जो जान पहचान स्थापित की थी। वह हमें अपने परिवार के सदस्यों के रूप में ले गई। जब मनोचिकित्सकों में से एक ने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि मैं कौन था। उसने कहा कि वह जानती है। उसने आगे मेरे बारे में उससे पूछा कि वह कौन है, वह दुबारा कहा कि वह मेरा बड़ा भाई है। वास्तव में वह डॉक्टरों से गाली-गलौज करती, लेकिन एक बार भी उसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। वह डॉक्टरों की एक बात नहीं मानती थी, लेकिन वह तुरंत वही करती जो हमने उसे करने के लिए कहते थे। हमने महसूस किया कि जिस चीज पर हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह सभी स्थितियों के लिए सही है। सभी के लिए प्यार (शांति और अहिंसा का निर्वाह करता है) और चुनौती भरे लोगों की देखभाल (समानता और चुनौती के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ), मानसिक या शारीरिक रूप से और सभी में विश्वास (निहित अच्छाई में गहरा विश्वास) किसी सामाजिक जुड़ाव और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए मूल तत्व हैं। और इसने हमें अच्छी स्थिति में रखा।

3 अगस्त 2002 को घटी घटना का तालिका में विवरण

समय	स्थान : हॉस्पिटल / पुलिस स्टेशन / रेलवे स्टेशन	किस कारण गए?	क्या हुआ?
रात 1:40 बजे	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	सामान्य रात्रि दौरे की तरह	पूनम दास को बहुत बुरी हालत में, फर्श पर फैले उसके पेशाब में बैठे पाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जनरल काउंटर पर बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना गा रही थी। उसका दाहिना हाँथ फ्रैक्चर था।
रात 1:45 बजे	पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मी को किसी पुलिस ऑफिसर को उसे हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में साथ चलने के लिए आग्रह करने	वो आये और तुरंत गायब हो गए।
रात 1:45 बजे से 2:15 बजे तक	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	--------	हमने पूनम से बात की, उसके बारे में जानकारी ली। हमें यह भी पता चला कि उसे कुत्ते ने भी काटा हुआ है। अपनी गाड़ी में से पहनने के लिए कपड़े लेकर उसे दिया। और मैंने और मेरे चार पुरुष साथियों और समुदाय के सदस्यों ने बाहर की ओर देखते हुए गोला बनाया ताकि वो कपड़े बदल सके।
रात 2:20 बजे	पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	उसे हॉस्पिटल के जाते समय पुलिस कर्मी को साथ में चलने के लिए आग्रह करने	सिपाही सुनील कुमार हमलोगों से मिले।
रात 2:25 बजे	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन		स्टेशन से पूनम को उठाया (क्यूंकि वह चल पाने की स्थिति में नहीं थी) और उसे सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH/ LHMC) लेकर गए।
रात 2:35 बजे से 2:55 बजे तक	सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH/ LHMC)	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	आपातकाल विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाने को कहा, क्यूंकि वहां एंटी रेबीज सीरम (ARS) मुफ्त में उपलब्ध होता है और वहां मनोरोगी वार्ड भी है। इसलिए पूनम को वहां भर्ती किया जा सकता है।
रात 3:05 बजे से 4:15 बजे तक	राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	उसे TT और ARS दिया गया। जहाँ तक भर्ती की बात है तो उन्होंने कहा कि आरएमएल में 24 घंटे मनोरोगी वार्ड की सुविधा नहीं है इसलिए सुबह 9:30 बजे तक इंतज़ार करना होगा। हमें पूनम को SKH/ LHMC में भर्ती कराने के लिए कहा गया।

रात 4:25 बजे से 6 बजे तक	सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH/ LHMC)	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	हमें उसे 9 बजे मनोरोगी ओपीडी में जांच के लिए लेकर आने को कहा गया। हमने पूछा, क्या इस हॉस्पिटल में 24 घंटे मनोरोगी वार्ड की सुविधा है? CMO ने कहा, अगर हम बोलेंगे तो वह मनोरोग चिकित्सक को बुला सकते हैं। हमने वैसा ही किया। डॉ अंजलि वर्मा करीब सुबह 5:15 बजे आई और उन्होंने पूनम को Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) में रोगी की जांच और उपचार के लिए रेफर कर दिया।
सुबह 6:05 बजे से 6:40 बजे तक	गाड़ी से IHBAS जाना		
सुबह 6:40 बजे से 8:30 बजे तक	IHBAS	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	पूनम को दो इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया था, क्योंकि एआरएस की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। हमें बताया गया था कि हमें उसके कुत्ते के काटने का उपचार और फ्रैक्चर का इलाज गुरु तेग बहादुर अस्पताल में करवाना होगा। हम ऐसा करने के लिए सहमत हुए, जैसा कि हमने पहले के मामले में किया था। हमने यह भी आश्वासन दिया कि एक बार पूनम ठीक हो जाए तो हम अन्य स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से उसके पुनर्वसन आदि का ध्यान रखेंगे। इलाज का पूरा ब्यौरा बनाया गया और हमें चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) की राय के लिए सुबह 9:30 बजे तक इंतजार करने के लिए कहा गया। सुबह 8:30 बजे हमें ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि पूनम को भर्ती नहीं किया जा सकता। कुत्ते के काटने की चोट और उसके फ्रैक्चर के लिए पहले उसका इलाज करने की जरूरत है, उसके बाद उसे भर्ती किया जा सकता है। उसे अपनी मानसिक बीमारी के लिए भर्ती होने के लिए शारीरिक रूप से ठीक होने की जरूरत है।
सुबह 8:30 बजे से 9:15 बजे तक	गाड़ी में IHBAS से LHMC जाना		

सुबह 9:20 बजे से 4:30 बजे तक	सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH/ LHMC)	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	आपातकाल वार्ड से मनोरोगी ओपीडी वार्ड तक हमें पूनम को उठाकर लें जाना पड़ा, जो हॉस्पिटल के दूसरे छोर के आखिर में था। पूनम बेहोशी की अवस्था में थी और कई बार दर्द में कराह उठती थी। (सुबह 9:30 - 9:45 बजे) हमें डॉ मिनमय दास से बहस करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि वह पूनम के दाखिले के संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम पूनम को मनोरोग ओपीडी में पंजीकृत करवाने के बाद कमरा नंबर 5 में सलाहकार से मिल सकते हैं। (सुबह 9:45 - 10:15 बजे) ओपीडी की लाइन में प्रतीक्षा कर रहे थे। (सुबह 10:45–10:50 बजे) कंसल्टेंट डॉ श्रीमती अरुण लता अग्रवाल से मिले। हमें मनोरोग जांच के लिए पूनम को मनोरोग विभाग ले जाने के लिए कहा गया था। (सुबह 11:30 – 12:15 बजे) पूनम की परीक्षा पहले एक जूनियर द्वारा की गयी, उसके बाद सीनियर रेजिडेंट डॉ उन्नति कुमार द्वारा। हमसे पूछा गया कि क्या कोई परिचारक होगा। हमने वादा किया था कि हम इसका ध्यान रखेंगे। हमने उन्हें बताया कि हम जो भी अटेंडेंट भेजेंगे, वे बेघर महिलाएँ होंगी। (दोपहर 2:30 बजे) डॉ अग्रवाल ने उसकी जांच की। (दोपहर 3:00 बजे) हमें सूचित किया जाता है कि औपचारिकता पूरी करने के बाद पूनम को भर्ती किया जाएगा।
			(दोपहर 3:10 – 4:25 बजे) हम मेडिकल और गाइने जांच के लिए पूनम को ले जाते हैं, यौन उत्पीड़न आदि की शंका दूर करने के लिए {(3:20 बजे) डॉ उन्नाति, पूनम की भर्ती के लिए अनुमति देती हैं। (3:30 बजे) हमें पूनम की भर्ती का पर्चा मिला, लेकिन फिर भी उसे वार्ड में नहीं ले जाया जा सका।" (शाम 4:25 बजे) जब तक कि एमएलसी के लिए पुलिस का कोई पत्र नहीं आता है तब तक के लिए मातृत्व वार्ड 4 की सीएमओ, डॉ स्वाति, पूनम की जांच करने से इनकार कर देती हैं। इस सब के बीच व्हील चेयर पर बैठे-बैठे थक कर पूनम हमें अस्पताल के आंगन के फर्श पर

			बिठाने के लिए कहती है। वह वहाँ बेहोश हालत में लेट गई, अब तक उसने अपनी पैंट गीली कर ली थी। हमें इसे हटाना था। हमने उसके प्राइवेट पार्ट को पैंट के सूखे हिस्से से ढकने की कोशिश की।
शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक	पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	एमएलसी लेटर लेने के लिए	एक कांस्टेबल पत्र के बिना हमसे मिलता है। वह फिर गायब हो जाता है।
शाम 5:40 बजे से 7:45 बजे तक	पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	एमएलसी लेटर लेने के लिए	हम सब-इंस्पेक्टर श्री किताब सिंह को पत्र के बारे में बताते हैं। फिर वह इसे लिखकर हमें दे देता है और उसी कांस्टेबल से कहता है कि वह हमारे साथ आए और इसे दें।
शाम 7:55 बजे से 11:15 बजे तक	सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH/ LHMC)	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	अब रात के 8 बज रहे हैं, CMO की ड्यूटी समाप्त हो गई और नए सीएमओ की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। वह एमएलसी रिपोर्ट करने से इनकार करती है। पूनम को पहले ही साढ़े तीन बजे मनोचिकित्सा विभाग ने प्रवेश पत्र दिए थे। उसने विभाग से कहा कि जब दाखिला हो जाता है तो उस विभाग से एमएलसी कराना होता है।
रात 11:20 बजे	सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH/ LHMC)	पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए	पूनम अंत में रात 11:20 बजे मनोरोग विभाग के वार्ड में पहुंचती है। प्रवेश फॉर्म में समय रात 11:20 बजे के अनुसार बदला गया है।

2:35 बजे SKH / LHMC में होने के बावजूद और फिर 9:20 बजे आने के बाद भी, पूनम दास को मनोरोग वार्ड में लगभग दोपहर 11:20 बजे भर्ती किया गया। पहले रेफरल से 19 घंटे और पांचवें रेफरल से 12 घंटे बाद।

सुचेता कृपलानी अस्पताल / लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (SKH / LHMC) नागरिक चार्टर (2--2 LHMC / ND / 2000, पेज 3 पर) कहता है: "गंभीर मामलों में, उपचार प्रबंधन को पंजीकरण और मेडिको कानूनी काम पर प्राथमिकता मिलती है। इलाज करने वाले डॉक्टर के ऊपर यह निर्णय निर्भर करता है। "ऐसा लगता है कि जो मरीज निराश्रित / गरीब हैं उन्हें कभी भी गंभीर नहीं माना जा सकता है, चाहे कुछ भी हो। कैसे, किस तरह, क्या हम सफ़ेद कोर्ट पहने पेशेवरों द्वारा पूनम की पूरी तरह से उपेक्षा व अवमानना पर कोई तर्क दे सकते हैं? दुर्भाग्य से, बहुतायत में ऐसे पेशेवर पर, हमारे समाज की तरह, बाहरी आवरण ने अभी भी व्यक्तियों के अंदरूनी हिस्सों पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। एक समझने में विफल रहता है कि हम अपने निहित मानवीय-कल्याण, अच्छाई को पुनः प्राप्त करने में कितना समय लेंगे ...

छठे मामले का अध्ययन : पुल मिठाई से बेदखली

पुल मिठाई समुदाय पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट है। निवासी केवल पतली प्लास्टिक शीट के साथ आश्रय के रूप में वहां सो रहे थे जिसमें साफ पानी और उचित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच नहीं थी। ओवरफ्लो हो रहे नाले के बगल में रहवासी पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं।

पुल मिठाई के निवासियों में अधिकांश समुदाय बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों के मूल निवासी हैं। कुछ उम्रदराज महिलाओं ने याद किया कि लगभग 35 परिवार इंदिरा गांधी की हत्या से पहले

बिहार से दिल्ली चले आये थे। कुछ बुजुर्गों को याद है कि वे शहर में पहुंचने पर सेंट स्टीफन अस्पताल के पास मोरी गेट पर झुग्गियों में रहने लगे थे। बुजुर्ग महिलाएं याद करती हैं कि मोरी गेट पर 26 साल पहले, "इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद" पहली जबरन बेदखली हुई थी, इसलिए, परिवारों को मोरी गेट पर स्थानांतरित कर दिया गया था। वे पिल्ली कोठी के फ्लाईओवर पर पगडंडी पर रह रहे थे। कुछ समय बाद, अधिकांश परिवार रेलवे लाइन के पास फ्लाईओवर के नीचे बस गए। और, फिर से पुलिस ने 9 जनवरी 2010 को 150 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया और पूरी बस्ती को जबरन हटा दिया गया। बेदखली के कारण 65 परिवारों ने स्थायी रूप से क्षेत्र छोड़ दिया, या तो बिहार के अपने मूल स्थान पर लौट गए या आजीविका के अवसरों की तलाश में पंजाब की ओर पलायन कर गए।

बेदखली के बाद लोगों के पास आजीविका के बहुत सीमित विकल्प बचते हैं क्योंकि उनके अधिकांश सामान या तो जला दिए जाते हैं या उन्हें तोड़-फोड़ दिया जाता है। जब पथ विक्रेता के रूप में वो फूटपाथ पर बैठते हैं तो एमसीडी के अधिकारी उनका माल निकालते हैं और उसे जब्त कर लेते हैं। विशेष रूप से, शनिवार को ये अधिकारी आमतौर पर ऐसी संपत्ति को तहस-नहस कर देते हैं, इसलिए जब वे ऐसे काम को जारी रखने की कोशिश करते हैं तो निवासियों को लगातार भय होता है। वर्तमान में, केवल कुछ ही प्रतिशत निवासी मसाले, दालें और चावल बेचते हैं, या दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं।

पहले औसत परिवार अपनी आजीविका से प्रति माह 4000 से 5000 रुपये कमाते थे और बेदखली के बाद इसमें बहुत कमी आई है और शेष परिवारों के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है।

जबरन बेदखली उनके जीवन में कई व्यवधान लेकर आये हैं। स्थानीय पुलिस निवासियों को केवल रात में खाना पकाने की अनुमति देती है, और यह उनके लिए दिन भर काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि वे दिन में भोजन तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस उनके बर्तन और भोजन फेंक देती है। नतीजतन, परिवार रोजाना रात में केवल एक समय भोजन कर पाते हैं।

लोग याद करते हैं कि तपेदिक से पीड़ित एक 23-24 वर्षीय रिक्शा चालक को पुलिस ने बुरी तरह पीटा था क्योंकि वह उनके निर्देशों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के परिणामस्वरूप, रवि स्थायी रूप से अपने पैतृक गांव लौटने के लिए दिल्ली छोड़कर चले गए। उस दिन, निवासियों का सामान और संपत्ति भी बर्बाद कर दिए गए थे। पुलिस ने लोगों के सामान और उनके कच्चे माल में भी आग लगा दी जो वे बाजार में बेचते हैं।

सातवें मामले का अध्ययन : पुलिस की बर्बरता

ममता देवी बताती हैं कि वर्ष 2010 में, 31 दिसंबर को, प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन (पूसा रोड) के पुलिसकर्मियों ने सैकड़ों गुब्बारे, जो बेघर महिलाएं उस शाम को बेचने जा रही थीं, उनसे छीन लिए और जला दिए। यह नए साल की पूर्व संध्या थी और समुदाय के सदस्य बहुत अधिक बिक्री की उम्मीद कर रहे थे। गुब्बारों के अलावा, पुलिसकर्मियों ने बच्चों के कपड़े और दो शॉल का एक पूरा बंडल भी जला दिया। हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ।

पिछले साल ममता देवी का जीवन नरकीय रहा है। 9 सितंबर, 2010 को उसकी सात साल की बेटी, पिंकी*, के साथ रचना गोलचक्कर के पास के जगह पर बलात्कार किया गया था (वह तब 6 वर्ष की थी)। बाद में उसे जहाँ परिवार रहता था, उस पार्क में नग्न पाया गया, उसके योनि से बहुत खून बह रहा था। समुदाय के सदस्यों का कहना है कि पिंकी उसी रास्ते से चलते हुए वापस आई होगी जिस रास्ते बलात्कारी उसे ले गया था।

ममता देवी ने आईजीएसएसएस टीम को बताया कि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उसकी योनि का मार्ग और मूत्रमार्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। उसे लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक महीने से अधिक समय तक उसका इलाज किया। फिर उसे गंगा राम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उसे फिर से एक महीने के लिए भर्ती कराया गया। उसके इलाज में परिवार को 77,000 रुपये लग गए। पिंकी अभी भी जीवित है और सामान्य है, उसकी माँ के अनुसार यह एक चमत्कार ही है। बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला शख्स अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है।

पिंकी का जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। वह कभी स्कूल नहीं गई, और जाना भी नहीं चाहती जब तक उसके दोस्त साथ में नहीं जा रहे होते हैं। ममता देवी भी, अपनी भाभी की तरह, चाहती हैं कि उनके बच्चे आवासीय विद्यालय में जाएं।

ममता देवी जब बहुत छोटी थी तो अपने माता-पिता के साथ कर्नाटका से दिल्ली आईं। वह बहुत गरीबी में बड़ी हुई, और आगे देखने के लिए उसके पास कभी बेहतर जीवन नहीं था। उनकी दो बेटियों की असामयिक बीमारियों से मृत्यु हो गई, क्योंकि परिवार की सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक कभी भी पहुँच नहीं थी। पुलिस उत्पीड़न

एक रोजमर्रा की घटना है। कोई स्थिर आजीविका नहीं, शिक्षा की कमी, और यहां तक कि सबसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं की पूर्ण अनुपस्थिति केवल समुदाय के कुछ सदस्यों की अन्य समस्याएं हैं।

आठवें मामले का अध्ययन : शंकर का मामला

24 सितंबर, 2001 की पूर्व संध्या पर, लाला राम एक वालंटियर मेरे पास आया और बताया कि एक गंभीर रूप से बीमार मरीज स्वास्थ्य केंद्र के पास पड़ा हुआ है। हम तुरंत उस स्थान पर पहुँचे और वहाँ एक दाढ़ी वाले, पतले, पीले पड़ गए भद्दे दिखने वाले व्यक्ति को फुटपाथ के एक तरफ पड़ा हुआ पाया। वह बैठने और यहां तक कि एक शब्द भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने जो भी संवाद किया उसके लिए इशारे का इस्तेमाल किया और बताया कि उसे छाती के एक तरफ तेज दर्द है और उसी की चिकित्सा सहायता लेने के लिए वह यहाँ आए थे। बाद में उन्होंने हमें बताया कि वह पहले से ही इस क्लिनिक के बारे में जानते थे।

उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉ दीप ने सुझाव दिया कि क्लिनिक में आपातकालीन उपचार मिलने के बाद मरीज को अस्पताल में उपचार के लिए रेफर करना होगा। दीप ने ठीक से उसकी जाँच की। अब मरीज ने अपना नाम 'शंकर' बताते हुए आगे बताया कि किस तरह उसे, एक दिन पहले जब वह उर्दू पार्क में बैठा था, तो उस इलाके के एक पुलिसकर्मी ने पीटा था। पुलिसकर्मी की लाठी की चोट की वजह से उसे पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हो रहा था। डॉ दीप ने मुझे बताया कि शंकर का जिगर जख्मी हो गया था और उस क्षेत्र के आसपास सूजन भी है।

डॉ. दीप ने क्लिनिक से कुछ दवाओं के नाम लिखकर दिए और अपने रेफरल कार्ड में उल्लेख करते हुए इसे पुलिस की बर्बरता का मामला बताया।

उसी रात लगभग 10 बजे, शंकर को रेफरल कार्ड के साथ वालंटियर द्वारा L.N.J.P अस्पताल ले जाया गया। वहां इमरजेंसी में मौजूद एक अटेंडेंट ने उन्हें दर्द निवारक इंजेक्शन दिया और कहा कि मरीज को सुबह लेकर आना। अगले दिन सुबह, शंकर को तुरंत आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। आमिर खान नाम का वालंटियर उसके साथ अस्पताल में रहा।

भर्ती होने के तुरंत बाद शंकर को ड्रिप लगाया गया और उसके बाद कई परीक्षण, एक्स-रे और अन्य नियमित परीक्षण किये गए।

उसी दिन उसके रेफरल कार्ड को देखकर, अस्पताल ने जामा मस्जिद के पुलिस स्टेशन को इस मरीज के बारे में सूचित किया। इसके तुरंत बाद, एक टीम जिसमें स्थानीय एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल थे, शंकर के बिस्तर के पास थे। उन्होंने वालंटियर और शंकर दोनों के बयान अलग-अलग दर्ज किए। सभी दबावों के बावजूद, शंकर संबंधित पुलिसकर्मी को सजा दिलाने के अपने फैसले पर अड़ा रहा। इस प्रकार F.I.R दर्ज हुआ और मामला मेडिको लीगल केस बन गया।

अब पुलिस और AAA के बीच असली झगड़ा शुरू हो गया। उसी दिन से, दो कांस्टेबलों को मरीज की ड्यूटी पर लगा दिया गया। अगले दिन मैं मरीज को देखने गया। वार्ड में घुसते ही मैंने देखा कि शंकर एक हाथ पर एक सलाइन ड्रिप और एक बड़ा प्लास्टिक ट्यूब (चेस्ट ट्यूब) जो कि डायफ्राम के करीब छाती के एक तरफ डाला गया था, के साथ बिस्तर पर पड़ा है। इस ट्यूब से जुड़ा बोतल गहरे गुलाबी रंग के स्राव से आधा भरा हुआ था। कुल मिलाकर पाँच ऐसे जार मवाद से भर गए थे। इस मवाद का नमूना एम्स प्रयोगशाला भेजा गया। शंकर अपनी पिछली स्थिति से बेहतर दिख रहे थे लेकिन फिर भी बैठ नहीं पा रहे थे। तब से मैं लगभग रोज़ शंकर से मिलने जाता रहा और ड्यूटी पर कॉन्स्टेबल से भी मिलता रहा। इसके अलावा आमिर खान मरीज की स्थिति के साथ-साथ अन्य घटनाओं के बारे में फोन कॉल के माध्यम से रोज बताते रहते थे। उसने बताया कि शंकर की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए 24 घंटे की ड्यूटी पर दो पुलिस वाले थे, खासकर फलों और दवा की लागत के लिए, यदि कोई भी जरुरत हो तो। जब तक शंकर इस अस्पताल में रहे, उनकी दवा की लागत, कुछ विशेष परीक्षण लागत और फल आदि पुलिस द्वारा वहन किए गए। उनके फेफड़ों के व्यायाम के लिए एक उपकरण की कीमत पुलिस को 600 रुपये पड़ी थी। इन कांस्टेबलों के साथ अस्पताल का दौरा हमारे लिए एक दिनचर्या बन गया था। ऐसे मिलने के दौरान वे पुलिस के रुख को सही ठहराने की कोशिश करते रहे।

शंकर इस अस्पताल में एक महीने से अधिक समय तक रहा। इस दौरान उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। अब वह बिस्तर पर बैठ सकता था, महीने के अंत तक वह बिस्तर से चल सकता था लेकिन छाती की नली अभी भी साथ लगी हुई थी। उस पर कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए थे, जिसमें एलिसा परीक्षण, एएफबी आदि शामिल थे। एएफबी परीक्षण पॉजिटिव होने की सूचना थी।

05 अक्तूबर 2003 के दिन शंकर को किंग्सवे कैंप स्थित एल.एन. जे.पी. से राजन बाबूटीबी (आरबीटीबी) अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। एम्बुलेंस सहित दूसरे अस्पताल में उसे स्थानांतरित

करने की सारी व्यवस्था अस्पताल द्वारा की गई थी। अस्पताल में एएए का योगदान केवल रोगी को एक परिचर प्रदान करने के रूप में था और मामले से किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने की स्थिति में पुलिस पर नजर रखने के रूप में। चूंकि अब शंकर की स्थिति नियंत्रण में थी, मैं एक सहयोगी के साथ पुलिस स्टेशन गया। मैंने शंकर की ओर से एक आवेदन दिया जिसमें एफ.आई.आर. की प्रति मांगी गई। S.H.O ने पहले हमें कोल्ड ड्रिंक की पेशकश की और हमें चिंता न करने के लिए कहा और दोहराया कि प्राथमिकी की एक प्रति सीधे मरीज को दी जाएगी, जो उसने कभी नहीं की। उन्होंने हमें दैनिक डायरी दिखाई और हमें केस नंबर, जांच अधिकारी का नाम दिया और बताया कि यह मामला विभागीय जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने अपनी फ़ाइल को सभी प्रकार से भरोसापूर्ण दिखाया। उसने हमें यह समझाने की कोशिश की कि पुलिस स्टेशन कितना कुशल और जन हितैषी है।

इस बीच हमने इस मामले को उठाने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन मामलों (HRLN) से निपटने वाले एक संगठन से बात की और वे सहमत हुए। उनके अधिवक्ता ने एफआईआर की प्रति प्राप्त की। केस दर्ज करने के लिए अस्पताल से अन्य मेडिकल कागजात भी एकत्र किए गए। इस बीच शंकर के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था और वह इस मामले को आगे ले जाने के लिए भी तैयार था।

आरबीटीबी अस्पताल में वह एक और दो महीने तक रहा। यह शंकर पहले के शंकर से काफी अलग दिख रहा था - स्वस्थ, खुश और युवा दिखने वाला। अस्पताल से उसके निर्वहन के बाद; वह आमिर खान के साथ उसकी झुग्गी में रहने आया था।

यहां से शंकर की नई यात्रा शुरू हुई।

उन्होंने साक्षरता कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया और एक अच्छे छात्र की तरह हिंदी में बुनियादी लेखन कौशल सीखा। अब तक शंकर और आमिर खान के बीच एक मजबूत रिश्ता विकसित हो चुका था। आमिर खान अभी भी उसका सहयोग कर रहा था, लेकिन शंकर उसपर या लंबे समय तक किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह कुछ काम करना चाहता था लेकिन उसके स्वास्थ्य ने अभी भी उसे अनुमति नहीं दी थी। उसने कुछ होटलों में कोई छोटा-मोटा काम किया लेकिन कुछ दिनों के लिए ही। एक सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में उपयुक्त गुणों को ध्यान में रखते हुए हमने उसे एक वेतन पर काम करते हुए वालंटियर के रूप में संगठन में रखने का फैसला किया। इससे पहले उन्हें अन्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं के साथ PRA प्रशिक्षण के लिए बिहार भेजा गया था। वहां से वह अपने गांव गया। जहाँ कहीं भी वह हो, हम प्रार्थना करते हैं कि वह स्वस्थ और खुश रहे!

यह मामला हमें स्थानीय पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों खासकर SHO के साथ कड़वे संबंधों में ले आया। इस मामले के कुछ दिनों के बाद जामा मस्जिद क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ। हमें पुलिस स्टेशन द्वारा उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा गया था क्योंकि जिस जमीन पर क्लिनिक था उसके लिए हमारे पास डीडीए से कोई अनुमति नहीं थी। मैं फिर से इस एसएचओ से पुलिस स्टेशन में मिला क्योंकि हमारा क्लिनिक बनाया जा रहा था। SHO ने DDA के शामिल होने की दलील लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास DDA से कोई औपचारिक अनुमति नहीं है लेकिन उस दिन अनुमति दी गई थी। कार्यालय में चर्चा करने के बाद, मैं डीसीपी, केंद्रीय, श्री कृष्ण से मिला। उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की और डीडीए अधिकारियों से मिलने का सुझाव दिया। अगले दिन इसी आधार पर मुहीम ने आयुक्त, डीडीए से मुलाकात की और पूरे मामले को उन्हें बताया।

डीडीए ने इस मामले को पुलिस को सौंप दिया। हम, दोनों, मुहीम और मैं फिर डीसीपी, सेंट्रल से मिलने गए। इस बार फिर, डीसीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस का इस फैसले पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब फिर से डीडीए का दौरा शुरू हुआ। अब मामला स्पष्ट रूप से डीडीए और एएए के बीच था। पुलिस यह कहते हुए भाग गई कि पुलिस एक कानून लागू करने वाली एजेंसी है जो इस मामले में निर्णय लेने वाली प्राधिकारी नहीं है।

अगला क्लिनिक हमने जामा मस्जिद की सीमा के बाहर सुलभ के पास बनाया। दशहरा उत्सव भी निकट आ रहा था। रामलीला के स्टालों के लिए उस क्षेत्र में टेंट लगाया गया था। लोगों ने हमारे लिए जगह बनाई और हमने अपने कुछ क्लीनिक लगाए। क्लिनिक के दिनों में से ही एक दिन एक कांस्टेबल जो शायद उस मामले में एक संदिग्ध था (जैसा कि शंकर ने कांस्टेबल का नाम नहीं लिया था लेकिन पहचान सकता था) मुझसे मिलने आया था। उन्होंने मुझे कांस्टेबल के परिवार के लिए पुलिस की याचिका के साथ समझौता करने का सुझाव दिया और अदालत में पुलिस के खिलाफ नहीं जाने का भी सुझाव दिया।

हम फिर डीडीए, कमिश्नर से मिलने गए। उन्होंने हमें हाईकोर्ट की सुनवाई की तारीख तक अगले 10 दिनों तक इंतजार करने का आश्वासन दिया। डीडीए पर पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त दिखाने का दवाब था। इस क्लिनिक को भी तकनीकी रूप से अतिक्रमण माना जा रहा था। हर दिन हम अपने आप को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त दुकानों और झुग्गियों के मलबे को साफ करते हुए देख रहे थे। बहुत अफरा-तफरी का माहौल था, गरीबों में हल्ला मचा हुआ था। गरीब

बेघर जो फूटपाथ पर रह रहे थे, कुछ एक तो परिवार के साथ, सभी को वहां से जबरन हटा दिया गया। कुछ जो किराया दे सकते थे, झुग्गियों में चले गए। बाकी जो बड़ी संख्या थे, वे दिन के समय गायब हो जाते थे, और रात को सोने के लिए फिर वापस आ जाते थे। पुलिस लगातार उनका भगा रही थी।

दशहरा भी आ चुका था। हमें उस क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में जाना था। इसलिए हम पुलिस चौकी के पास क्लिनिक को मुख्य सड़क पर ले गए। जब डीडीए और पुलिस की ओर से कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया, तो हमने एलजी के कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ। हमने कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क किया, जो क्षेत्र में एएए की विश्वसनीयता से काफी परिचित थे, लेकिन वह भी मदद नहीं कर सके।

अक्टूबर का पूरा महीना इसी तरह बीत गया, HIG क्लिनिक मीना बाजार के बाहर चलता रहा। उर्दू बाजार और मीना बाजार सभी बेघर और अन्य अचल अतिक्रमणों के लिए बंद हो चुका था। जामा मस्जिद इस पूरे मामले पर चुप था।

ऐसी परिस्थिति देखते हुए, AAA ने बेघर लोगों के लिए एक खुला मंच आयोजित करने योजना बनाई। उर्दू पार्क फिर से उसके लिए एक आदर्श स्थान था। इसके आयोजन के लिए इसे खोलना एक समस्या थी। हमने मदद के लिए एक बेघर मित्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यह मामला कमिश्नर, पुलिस, विशेष शाखा को भेजा गया, जिनके मौखिक आदेश जैसी अनुमति 04 नवम्बर, 2002 के दिन उर्दू पार्क में हमारे इस ख़ुला मंच आयोजन के लिए पर्याप्त साबित हुए।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, गृह मंत्रालय, नगर निगम, दिल्ली के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार, अतिथि और वक्तागण में शामिल थे। यह लगभग 500 बेघर लोगों का जमावड़ा था। वही थाना जो हमें इलाके में बेघरों के लिए क्लिनिक रखने की इजाजत नहीं दे रहा था, वह आयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाने में व्यस्त था। बेघर लोगों के समर्थन में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। वहीं मौके पर हमने HIG क्लिनिक की अपनी समस्या को संयुक्त आयुक्त (केंद्रीय) के साथ साझा किया। वह वक्तागण में से एक थे। उन्होंने स्थानीय एसएचओ से बात की और उन्हें इस क्लिनिक को फिर से उसी जगह यानी उर्दू पार्क के पास लगाने की अनुमति देने के लिए कहा।

तब से, उसी स्थान पर एचआईजी क्लिनिक संचालित किया जा रहा है : उर्दू पार्क, मीना बाजार, जामा मस्जिद के पास।

1. सुरक्षित स्थान के संदर्भ में गतिशीलता मानचित्रण

1. सुरक्षित स्थान के संदर्भ में गतिशीलता मानचित्रण

उदाहरण - गतिशीलता मानचित्र किसी व्यक्ति या समुदाय के आवागमन की समझ देता है। लोग समुदाय या स्थानीय क्षेत्रों में या उसके बाहर कितनी दूर जाते हैं, यह उन स्थानों को दर्शाता है। सुरक्षित स्थानों के संदर्भ में, यह पता लगाने के लिए मानचित्रण किया जा सकता है कि कौन से स्थान सुरक्षित हैं और कौन से असुरक्षित हैं, और किस संदर्भ में और क्यों लोग सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं। मानचित्र में किसी विशेष स्थान तक पहुंचने में सामना किए गए महत्वपूर्ण बातों और कठिनाइयों को भी दिखाया जा सकता है।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।

प्रक्रिया –

- प्रक्रिया शुरू करने से पहले, आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में इस प्रक्रिया के साथ क्या समझना चाहते हैं।
- उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रतिभागियों से पूछा जा सकता है कि वे कहाँ बार-बार या कभी-कभी आते-जाते हैं, कहाँ सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं, कठिनाई और आसानी होती है इत्यादि।
- संकेतकों को दर्शाने के लिए चिन्हों या चित्रों का उपयोग करने के लिए प्रतिभागी को प्रोत्साहित करें।
- प्रत्येक स्थान को कैसे तय किया जा सकता है, यह प्रतिभागियों द्वारा उनकी अपनी व्यवहार्यता के आधार पर तय किया जा सकता है। यहां आपको उनसे पूछना होगा कि उन्होंने एक विशिष्ट स्थान को दूर या करीब क्यों रखा है।
- प्रत्येक स्थान के महत्व को देखने के अन्य संभावित तरीके अलग-अलग रंगों या प्रकार के रेखाओं (उदाहरण के लिए, बिंदीदार रेखाओं) के माध्यम से किया जा सकता हैं, जिसका उपयोग विभिन्न कारणों से लोगों के आवागमन के संकेत देने के लिए किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, पीने के पानी के लिए, चिकित्सा के लिए इत्यादि)। अलग-अलग मोटाई की रेखाएं वहां ज्यादा या कम आने-जाने के बारे में बता सकती है (उदाहरण के लिए, एक मोटी रेखा, वहां नियमित रूप से आना-जाना बता सकती है; और एक पतली रेखा का मतलब वहां काफी कम आना-जाना हो सकता है)।
- संकेतकों में भिन्नता के कारणों को नोट के रूप में या एक अलग चार्ट पेपर पर अलग से लिखा जाना चाहिए।
- अभ्यास हो जाने के बाद, पूरी प्रक्रिया और इस सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से क्या निकला, उसे संक्षेप में बताएं।

आवश्यक सामग्री: चार्ट पेपर, स्केच पेन/मार्कर, सूचक कार्ड, रंगीन चाक, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री।

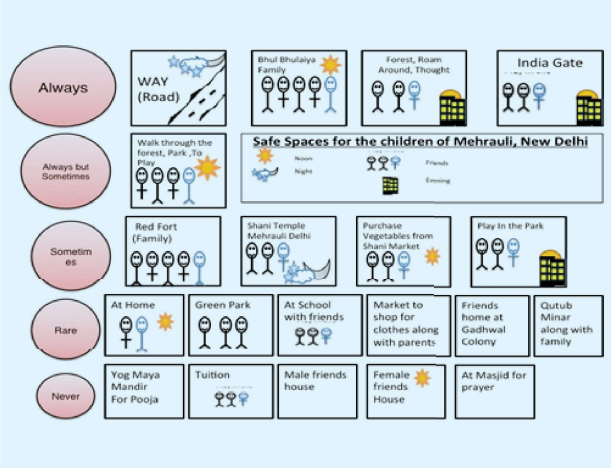

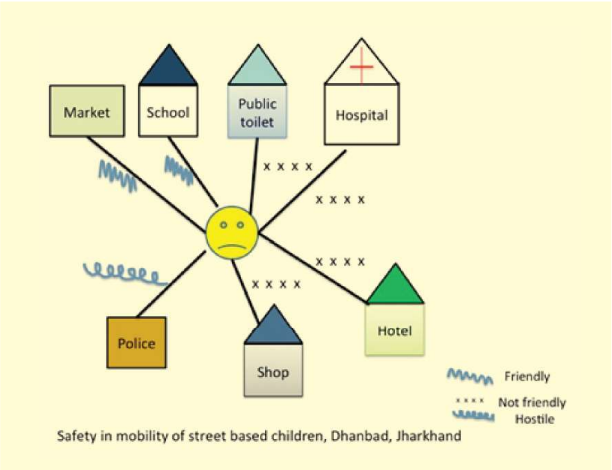

Safety in mobility of street based children, Dhanbad, Jharkhand

2. समस्या वृक्ष का विश्लेषण

इस प्रक्रिया का उद्देश्य समस्या के कारणों की परतों (जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक और आगे की परत) और समस्या के प्रभावों की पहचान करने के लिए किसी समस्या का विश्लेषण करना है। उदाहरण के लिए, महिला आश्रय की कमी के कारण और प्रभाव या आश्रय के अंदर न सोने के कई स्थानीय कारण और प्रभाव हो सकते हैं। यह प्रक्रिया ऐसे कारणों की परतों और इसके एक-दूसरे से संबंध को सामने लाता है जैसे कि यह उन प्रभावों को सामने लाता है जो समाज में समस्याओं के कारणों और प्रभावों की व्यापक श्रेणी को प्रकट करते हैं। अंततः यह प्रक्रिया एक विश्लेषणात्मक ढाँचे में एक विशेष समस्या को समझने में मदद करता है, और इसके बाद, उस समस्या के निदान के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद करता है।

प्रभाव डालने वाले कुछ बिंदु जो इस प्रक्रिया के उपयोग को समझने में मदद करेंगे :

- यह समस्याओं को करीब से देखने का एक चित्रित और सरल तरीका प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, यदि उचित स्वच्छता की कमी का विश्लेषण किया जाता है, तो स्वच्छता समस्या और इसके प्रभाव के कारणों का पता लगाया जा सकता है।
- किसी भी मुद्दे / समस्या के कारणों और प्रभावों के बीच संबंधों को पहचानें।
- कारणों को संबोधित करने और प्रभावों को कम करने में मदद करता है।

प्रक्रिया –

- अभ्यास का उद्देश्य स्पष्ट करें और प्रतिभागियों से पूछें कि जो भी मुद्दा तय किया गया है उसके कारणों पर पहले ध्यान केंद्रित करें।
- शाखाओं और जड़ के साथ एक पेड़ बनाएं। समस्या को शाखाओं पर लिखें, जिसका आप प्रतिभागियों के साथ विश्लेषण कर रहे हैं।
- जैसा कि प्रतिभागी कारणों को बताते हैं, उसे एक अलग सूचक कार्ड पर लिखा / खींचा जाना चाहिए।
- प्रत्येक कारण (सूचक कार्ड) को कारणों की पहली परत के रूप में जड़ पर रखा जाना चाहिए।
- कारणों की पहली परत को आगे देखने के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या कोई संबद्ध कारण हैं या नहीं, यदि ऐसा है तो उन कारणों की दूसरी परत के रूप में लिखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसी तरह की प्रक्रिया को दोहराया जाना चाहिए। अप्रासंगिक कारणों को वहां डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- कारणों के बीच संबंधों पर चर्चा की जानी चाहिए और कुछ संकेत के साथ चित्रित किया जाना चाहिए।
- एक बार ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक कारण सामने नहीं आ रहे हैं, तो प्रभावों पर चर्चा शुरू करें।
- फिर से कारणों और प्रभावों की सूची पढ़ें। उनसे पूछें कि क्या वे कोई बदलाव करना चाहते हैं यानी कुछ हटाना या जोड़ना है।
- यह बेहतर होगा कि अगर प्रतिभागी कार्ड पर कारणों और प्रभावों को लिख या बना सकते हों और इसे समस्या वृक्ष पर लगायें। सूत्रधार को उनकी सहायता करनी चाहिए।
- प्रभावों के लिए उसी प्रक्रिया को दोहराएं।
- सभी प्रभावों से संबंधित कार्ड को शाखाओं पर और कारणों को जड़ों के रूप में रखा जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों से बीजों या किसी उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके कारणों और प्रभावों को रैंक या स्कोर करने के लिए कहें।
- प्रतिभागियों से समस्याओं और प्रभावों में जुड़ाव और संबंध दिखाने के लिए कार्ड्स को एक तरफ से दूसरी तरफ लिंक करने के लिए कहें।
- चित्र तैयार होने के बाद, प्रतिभागियों से एक नज़र डालने के लिए कहें और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करने का सुझाव दें।

आवश्यक सामग्री :

रंगीन चाक, मार्कर / स्केच पेन, सूचक कार्ड, चार्ट पेपर, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे पत्ते, बीज, पत्थर, आदि।

उदाहरण

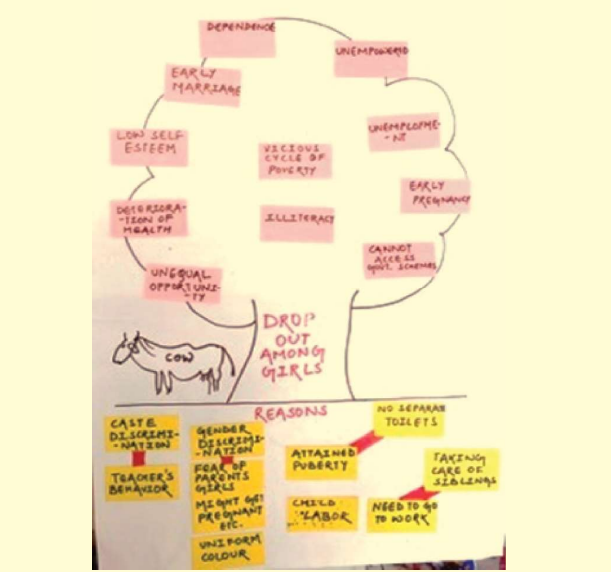

3. जोड़ी रैंकिंग पध्यति

जोड़ी रैंकिंग पद्धति में एक समय में दो वस्तुओं, विशेषताओं, कारकों आदि की तुलना की जाती है। एक समय में दो की तुलना करने की यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि सभी वस्तुओं की एक-दूसरे के साथ तुलना नहीं की जाती है। फिर आप गिनते हैं कि प्रत्येक को कितनी बार पसंद किया गया है। बार-बार किसी को चुनना, आपको लोगों की पसंद का अंदाजा देती है। अधिक बार किसी के चुने जाने पर यह जाहिर होता है कि उस वस्तु, विशेषता, या कारक के लिए प्राथमिकता अधिक है।

जैसा कि आप लोगों से विभिन्न जोड़ियों में अपनी पसंद बताने के लिए कहते हैं, लोग अपनी पसंद या प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए चर्चा में लगे रहते हैं। यह उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रक्रिया खोजपूर्ण अभ्यासों के रूप में भी उपयोगी है। जब किसी विशेष क्षेत्र की थोड़ी समझ होती है, तो जोड़ीदार रैंकिंग, उन आयामों को समझने में मददगार साबित हो सकती है जिन्हें और अधिक खोजबीन करने की आवश्यकता होती है। जोड़ी रैंकिंग विधि का उपयोग विस्तृत मैट्रिक्स स्कोरिंग या रैंकिंग पद्धति के अग्रणी के रूप में भी किया जाता है।

यहां, हम इस प्रक्रिया का उपयोग हितधारकों के वरीयता मानचित्रण के लिए कर सकते हैं।

प्रक्रिया –

- अभ्यास का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
- सूचकांक कार्ड पर हितधारकों का नाम सूचीबद्ध करना।
- X और Y ग्राफ का मैट्रिक्स तैयार करें।
- मानदंड या प्रभावित करने वाली वस्तुओं का चयन तुलना करने और प्रतिभागी इन मानदंडों से क्या समझते हैं, के लिए करें। (इसके काम आने के उद्देश्य के आधार पर तय किया जा सकता है)।
- जोड़े में कार्ड की तुलना।
- सभी प्रकार के मानदंडों के लिए जोड़े में तुलनाओं को पूरा करना और संबंधित मैट्रिक्स के खांचे में जवाब दर्ज करना।
- मानदंड के अनुसार इकठ्ठा किये सूचनाओं का विश्लेषण करना, मतलब, उस पर विभिन्न प्रकार की बारंबारता की गणना करना।
- कारणों और उसके प्रभावों पर चर्चा।

	हितधारक 1	हितधारक 2	हितधारक 3
हितधारक 1			
हितधारक 2			
हितधारक 3			
बारंबारता (कितनी बार वह जाहिर हुआ है)			

आवश्यक सामग्री -

सूचक कार्ड, चार्ट पेपर, रंगीन चॉक, स्केच पेन या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री।

अनुलग्नक 3 : अधिकारों और कानूनी ढांचे के माध्यम से बेघरपन की समझ

1. बेघर की परिभाषा
2. मौलिक अधिकार
3. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार
4. महिलाओं के अधिकार और कानूनी ढांचा

1.बेघर की परिभाषा

बेघरपन की परिभाषा

भारत की जनगणना 'आवासहीन लोगों' को परिभाषित करती है - ऐसे व्यक्ति जो 'जनगणना वाले घरों' में नहीं रहते हैं। जनगणना वाले घरों का अर्थ है, 'छत के साथ एक संरचना। इस तरह बेघरपन से वो लोग संदर्भित होते है जो अयोग्य घरों में रहते हैं – मतलब आधारभूत आश्रय के बिना, यहाँ तक कि कच्चा घर या झोंपड़ी भी नहीं।

1999 में संयुक्त राष्ट्र ने बेघर की व्याख्या की, जिसमें उनको भी शामिल किया गया, "जो आश्रय के बिना सोते हैं, ऐसा निर्माण जो रहने योग्य नहीं है, उनमें निवास करते हैं, या कल्याणकारी संस्थानों में रहते हैं।"

इससे आगे बेघरों की व्याख्या, उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित होती है जिनके पास या तो खुद का या किराए पर घर नहीं है, और इसके बजाय -

- फुटपाथों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, धार्मिक स्थलों, दुकानों और कारखानों के बाहर, निर्माण स्थलों पर, पुलों के नीचे, ह्यूम पाइपों में और खुले आसमान के नीचे या अन्य स्थानों, जो रहने योग्य नहीं होते हैं, वहां सोते हैं।
- अपनी रातें और / या दिन आश्रयों, पारगमन घरों, कम अवधि के लिए रहने वाले घरों, भिखारियों के घरों और बच्चों के घरों में बिताएं।
- दीवार के साथ या उसके बिना अस्थायी ढांचों में प्लास्टिक की चादरों या फ़ूस की छत में फुटपाथ, पार्कों, नालों के ऊपर और अन्य सामान्य स्थानों पर रहते हैं।

भारत भर के विभिन्न शहरों में बेघर लोगों की अनुमानित संख्या

- दिल्ली : 150,000 - 200,000
- चेन्नई : 40,000 - 50,000
- मुंबई : 200,000 (नवी मुंबई सहित)
- इंदौर : 10,000 - 12,000
- विशाखापट्टनम : 18,000
- बैंगलोर : 40,000 - 50,000
- हैदराबाद : 60,000
- अहमदाबाद : 100,000
- पटना : 25,000
- कोलकाता : 150,000
- लखनऊ : 19,000

2. मौलिक अधिकार

भारत का संविधान

अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार की व्याख्या आश्रय के अधिकार को भी मान्यता देते हुए किया गया है।

अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 15, भेदभाव को रोकता है।

अनुच्छेद 19, सभी भारतीय नागरिकों को भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए आवागमन की स्वतंत्रता और रहने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

बच्चों के लिए

बाल अधिकार पर कन्वेंशन – अनुच्छेद 27, पैरा 3 – राज्यों की पार्टियां, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार और उनके माध्यम से, इस अधिकार को लागू करने के लिए माता-पिता और बच्चे के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों की सहायता करने के लिए उचित उपाय करेगी। पोषण, कपड़े और आवास के संबंध में विशेष रूप से सामग्री सहायता और सहायता कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 - बेघर बच्चे अपने शिक्षा के

मौलिक अधिकारों को पाने में सक्षम हैं।

बच्चों, महिलाओं (गर्भवती और स्तनपान कराने वाली) और किशोरियों के लिए ICDS योजनाएँ – 3 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ के लिए पूरक पोषण; 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा; गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण; महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता।

3. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR-1948) में अनुच्छेद 25 (1) के तहत कहा गया है कि, "सभी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और भलाई के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, बुढ़ापे या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में आजीविका के अभाव में सुरक्षा का अधिकार है।"

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (ICESR)

यूडीएचआर में स्थापित प्रावधानों के आधार पर, 1996 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (आईसीईएसआर) पर अंतर्राष्ट्रीय करार द्वारा पर्याप्त आवास के अधिकार की विस्तृत और पुन: पुष्टि की गई, जिसका अनुच्छेद 11.1 में घोषणा की गई है कि, "वर्तमान करार में मौजूद राज्य प्रतिभागी, हर किसी के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास, और रहने की स्थिति के निरंतर सुधार सहित, अपने और अपने परिवार के लिए जीवन स्तर के पर्याप्त मानक के अधिकार को, मान्यता देती है।"

नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – अनुच्छेद 5 (ई)।

पर्याप्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र का विशेष प्रतिवेदक
"प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा और बच्चे को एक सुरक्षित घर और समुदाय हासिल करने और बनाए रखने का, जिसमें शांति और सम्मान के साथ रहना, उनका अधिकार है।"

बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन – सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षित आवास और भागीदारी में बच्चों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

इस्तांबुल घोषणा और आवास एजेंडा (A/CONF.147/18) – 1996 में मानव बस्तियों पर संयुक्त राष्ट्र के दूसरे सम्मेलन में अपनाया गया, सरकारों को कार्यकाल की कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और सभी लोगों को भूमि तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए, जिनमें महिलाएं और वे भी शामिल हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। (Para. 40 (b))

बाल अधिकार पर कन्वेंशन – अनुच्छेद 27, पैरा 3 – राज्यों की पार्टियां, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार और उनके माध्यम से, इस अधिकार को लागू करने के लिए माता-पिता और बच्चे के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों की सहायता करने के लिए उचित उपाय करेगी। पोषण, कपड़े और आवास के संबंध में विशेष रूप से सामग्री सहायता और सहायता कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है।

4. महिलाओं के लिए अधिकार और कानूनी ढांचा

महिलाओं के अधिकार

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। महिलाओं के अधिकारों का एक अंतरराष्ट्रीय बिल, किसी भी व्यक्तियों, संगठनों या उद्यमों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी कृत्यों के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और 189 राज्यों द्वारा इसे मान्यता दी गई है।

महिलाओं को संवैधानिक अधिकार -

अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अलावा भारत में महिलाओं के लिए संविधान में निहित अन्य अधिकारों और सुरक्षा उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. लिंग के आधार पर राज्य, भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा [अनुच्छेद 15 (1)]।
2. राज्य को महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाता है [अनुच्छेद 15 (3)]।
3. लिंग के आधार पर राज्य में किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा [अनुच्छेद 16 (2)]।
4. मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंधित है [अनुच्छेद 23 (1)]।
5. राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करना है

[अनुच्छेद 39 (ए)]।

6. राज्य को भारतीय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को सुरक्षित करना है [अनुच्छेद 39 (डी)]।

7. राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाए और उन्हें आर्थिक जरूरतों के लिए ऐसे कार्यों के लिए बाध्य ना किया जाए जो उनके क्षमता के अनुरूप ना हो [अनुच्छेद 39 (ई)]।

8. राज्य, काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करेगा [अनुच्छेद 42]।

9. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे [अनुच्छेद 51-ए (ई)]।

10. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी [अनुच्छेद 243-डी (3)]।

11. प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा [अनुच्छेद 243-डी (4)]।

12. प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी [अनुच्छेद 243-टी (3)]।

13. नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालय महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित किए जाएंगे जैसे राज्य विधानमंडल प्रदान कर सकता है [अनुच्छेद 243-टी (4)]।

14. अनुच्छेद 32 इस प्रकार है : यह अनुच्छेद हमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से संवैधानिक हल प्राप्त करने का अधिकार देता है।

महिलाओं के लिए कानूनी ढांचा -

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) – भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा के सभी रूपों से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो अत्याचारी के साथ संबंध में हैं / किसी भी तरह की हिंसा के शिकार हैं - शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (1956) – व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। दूसरे शब्दों में, यह महिलाओं और लड़कियों में वेश्यावृत्ति को एक संगठित जीवन जीने के रूप के उद्देश्य से तस्करी को रोकता है।

सती प्रथा (निवारण) अधिनियम (1987) – सती प्रथा और महिलाओं पर इसके महिमामंडन की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करता है।

प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (1994) – गर्भाधान से पहले या बाद में सेक्स चयन पर प्रतिबंध लगाता है और कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) – समान कार्य या एक जैसे कार्यों के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों, दोनों को, समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह भर्ती और सेवा शर्तों में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव को भी रोकता है।

मुस्लिम विवाह का विघटन अधिनियम (1939), एक मुस्लिम पत्नी को उसकी शादी के विघटन का अधिकार देता है।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (1986) – उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिनके द्वारा अपने पति से तलाक लिया गया है या जिनके पति ने उन्हें तलाक दिया है।

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम (1984) – पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।

भारतीय दंड संहिता (1860) – में भारतीय महिलाओं को दहेज हत्या, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और अन्य अपराधों से बचाने के प्रावधान हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) – में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे किसी व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का निर्वाह करे, महिला पुलिस द्वारा ही महिला की गिरफ्तारी और कई अन्य।

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (1872) – ईसाई समुदाय के बीच विवाह और तलाक से संबंधित प्रावधान हैं।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) – भारतीय महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955) – एकरूपता की शुरुआत की और कुछ निर्दिष्ट आधारों पर तलाक की अनुमति दी। इसमें विवाह और तलाक के संबंध में भारतीय पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रदान किए।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) – पुरुषों के साथ समान रूप से पैतृक संपत्ति विरासत में महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) – पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव या उनके लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी की अनुमति नहीं देता है।

माइन्स एक्ट (1952) और फैक्ट्रीज एक्ट (1948) – संध्या 7 से सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। माइंस और कारखानों में और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान करता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 - महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के अनुसार, लगभग 47 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है। वर्तमान में, भारत दुनिया में 13वें स्थान पर है जहाँ बाल विवाह होते है। चूंकि बाल विवाह सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा में डूबा हुआ है, इसलिए इसे खत्म करना कठिन है। बाल विवाह का निषेध अधिनियम, 2007 में प्रभावी किया गया था। यह अधिनियम बाल विवाह को ऐसे विवाह के रूप में परिभाषित करता है जहां दूल्हा या दुल्हन कम उम्र के होते हैं, अर्थात, दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम है या लड़का 21 वर्ष से कम है। कम उम्र की लड़कियों से शादी करवाने की कोशिश करने वाले माता-पिता इस कानून के तहत कार्रवाई के अधीन हैं। चूंकि कानून इन विवाहों को गैरकानूनी बनाता है, इसलिए यह एक बड़ी रोकथाम के रूप में काम करता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 – इस अधिनियम का उद्देश्य - कुछ मामलों में विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करना, कुछ विवाह को पंजीकरण प्रदान करना और, तलाक प्रदान करना है। भारत जैसे देश में और विविध धर्मों और जाति के साथ, जब लोग विभिन्न धर्मों और जाति के लोगों से शादी करते हैं, तो वे इसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत करते हैं। यह जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं है। यह होने वाले जीवन साथी जो भारतीय हैं और विदेशों में रहते हैं उनके लिए भी विस्तारित है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 – इस अधिनियम के अनुसार, वर या वधू और उनके परिवार द्वारा विवाह के समय दहेज लेना या देना दंडित है। दहेज प्रथा, दहेज देना और लेना, जैसी कुप्रथा भारत में प्रचलित है। दहेज अक्सर दूल्हे और उसके परिवार द्वारा दुल्हन और उसके परिवार से लिया जाता है। इस प्रथा ने मजबूत जड़ें ले ली हैं क्योंकि शादी के बाद महिलाएं या पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती हैं। इसके अलावा, सदियों से, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की कमी और तलाक के लिए वर्जित होने के परिणामस्वरूप महिलायें प्रताड़ित हो रही है। जब शादी के बाद भी लड़की के परिवारों द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं की जाती है, तो कई महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है और यहां तक कि जला दिया जाता है। यह उन बड़ी चुनौतियों में से एक है जिनसे हमारा समाज जूझ रहा है। इसके बारे में खुलकर शिकायत करने वाली महिलाओं ने इस अधिनियम का प्रचार करने में मदद की है और दूसरी महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है।

भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 – भारतीय तलाक अधिनियम में विवाह के विघटन, आपसी सहमति, विवाह की अशक्तता, न्यायिक पृथक्करण और संयुग्मन अधिकारों की बहाली की अनुमति है। ऐसे मामलों को दायर करने, सुनने और निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जाते हैं।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1861 – यह अधिनियम महिलाओं के अनिवार्य रोजगार और मातृत्व लाभ को नियंत्रित करता है। इसमें कहा गया है कि एक महिला कर्मचारी जिसने अपनी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से पहले के 12 महीने के दौरान कम से कम 80 दिनों की अवधि के लिए एक संगठन में काम किया है, वो मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार है, जिसमें मातृत्व अवकाश, नर्सिंग ब्रेक, चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 – यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ, 1975 और 2002 में संशोधन किया गया। अधिनियम का उद्देश्य अवैध गर्भपात और परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर और रुग्णता की घटना को कम करना है। यह स्पष्ट रूप से उन स्थितियों को बताता है जिनके तहत गर्भपात या गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है और यह करने के लिए योग्य व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 – कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह अधिनियम उन्हें काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उद्देशित है। फिक्की-ईवाई नवंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 36 प्रतिशत भारतीय कंपनियां और 25 प्रतिशत एमएनसी, यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में शामिल है – यौन ओवरटोन के साथ भाषा का उपयोग, पुरुष सहकर्मी के साथ महिला कर्मियों के निजी ज़िन्दगी पर टिप्पणी करना, उन्हें छूने, स्पर्श करने के लिए बहुत करीब जाना इत्यादि।

महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, 1986 – यह अधिनियम विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 – राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसे जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। ललिता कुमारमंगलम को 2014 में इसकी अध्यक्षा नियुक्त किया गया था। NCW भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए काम करना है।

भारतीय दंड न्यायालय की धारा 354डी – महिलाओं को उनका पीछा करने वालों के खिलाफ यह अधिकार है।
एक अपराधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354डी और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। महिलाओं का पीछा करना एक कानूनी अपराध माना गया है। इसको कानून द्वारा परिभाषित किया गया है, "एक महिला का अनुसरण करने और संपर्क करने के लिए, या ऐसी महिला द्वारा उदासीनता के एक स्पष्ट संकेत के बावजूद व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करना या इंटरनेट, ईमेल, या इलेक्ट्रॉनिक संचार का कोई अन्य रूप से एक महिला की निगरानी करना।"

कुछ और विधानों में महिलाओं के लिए कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय शामिल हैं :

1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948)
2. वृक्षारोपण श्रम अधिनियम (1951)
3. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (1976)
4. लीगल प्रैक्टिशनर (महिला) अधिनियम (1923)
5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925)
6. भारतीय तलाक अधिनियम (1869)
7. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (1936)
8. विशेष विवाह अधिनियम (1954)
9. विदेशी विवाह अधिनियम (1969)
10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872)
11. हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम (1956)

अनुलग्नक ४ : महत्वपूर्ण निर्णय

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में बेघर नागरिकों से संबंधित ऐतिहासिक आदेश पारित किए, जिसके चलते 2013 में NULM में शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील योजनाओं और दिशानिर्देशों की शुरुआत हुई।

दिल्ली में आश्रयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की संख्या में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस गंभीर कमेटी द्वारा किए गए हालिया आकलन में दिल्ली राज्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

आश्रय गृहों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश निम्नानुसार है :

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत आने वाले सभी शहर और 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले सभी शहरों में एक 24 घंटे, 365 दिन कार्यरत बेघर आश्रय होना चाहिए, जिसमें हर एक लाख की आबादी पर 100 व्यक्ति के रहने का इंतजाम होना चाहिए। अब, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के मिशन दस्तावेज़ में कहा गया है कि 1 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में हर एक लाख के लिए 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले शहरी बेघरों के लिए आश्रय होना चाहिए।
- गद्दे, बिस्तर-रोल, कंबल, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, नशे छुड़ाने की सुविधा और मनोरंजन सुविधाओं आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।
- इन आश्रयों में से 30% विशेष आश्रय (महिलाओं, वृद्धों और कमजोर, और रोग निवृति के लिए) होने चाहिए।
- 20 सितंबर, 2012 को दिए गए अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रैन बसेरों की उपलब्धता के बारे में जनता को सूचित करें ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोग रैन बसेरों का लाभ उठा सकें।
- सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2012 को दोहराया कि गरिमापूर्ण आश्रयों का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आवश्यक घटक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णय और आदेश -

1. **PUCL बनाम भारतीय संघ और अन्य (W.P.(C) 196/2001)**
   2010 में विशेष आयुक्तों के हस्तक्षेप के माध्यम से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बेघर होने के मुद्दे को 'भोजन के अधिकार' मामले के दायरे में लाया गया था। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रत्येक प्रमुख शहरी केंद्र में, बेघरों के लिए पर्याप्त आश्रय होने के लिए प्रति लाख आबादी के लिए कम से कम एक आश्रय के अनुपात से आश्रय होने चाहिए। यह भी कहा गया है कि आश्रयों को वर्ष भर कार्यात्मक होना चाहिए न कि केवल मौसमी सुविधा के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के मजबूत आदेशों के बावजूद, बेघरों के लिए प्रावधानों के संबंध में भारत भर के अधिकांश शहरों की स्थिति लाजिमी है।

   आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टें बेघरों के मुद्दे से संबंधित हैं। बेघरों पर आठवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट, सभी प्रमुख शहरों में, आवश्यक सेवाओं के साथ, स्थायी बेघर आश्रयों की पर्याप्त संख्या में स्थापना के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में एक व्यापक जानकारी प्रस्तुत करती है।

2. **ई.आर. कुमार व अन्य अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य (W.P.(C) 55/2003)**
   दीपन बोरा बनाम भारतीय संघ (W.P. (C) 572/2003)
   2003 में दायर बेघरों की जनहित याचिका पर आखिरकार 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संघ को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यकारी समिति की स्थापना के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और एनयूएलएम (NULM) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर एक सारांश बनानी चाहिए।

3. **सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को कार्य देते हुए कहती है कि राज्य सरकारें शहरी बेघरों को सम्मानजनक सहायता देने के लिए बाध्य हैं। दिनांक: 05/05/2010**
   भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक PUCL बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में एक आदेश दिनांक 05.05.10 को

पारित किया और इस देश में बेघर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निर्देश दिया।

यह आदेश एक रिपोर्ट के परिणाम में है, इस मामले में आयुक्तों ने शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जो सभी मौसमों में 24 घंटे खुले रहेंगे, और जहाँ गरिमा के साथ जीवनयापन को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं होंगी। शहरी भारत में बेघर लोगों की समस्याओं और कष्टों के प्रभावी निवारण के लिए आयुक्तों की इस रिपोर्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित निर्देश दिए। भारतीय संघ के लिए पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रमुख शहरों में, जिनकी आबादी पांच लाख से अधिक है, में कम से कम एक लाख की आबादी के अनुपात में रैन बसेरों की व्यवस्था की जायेगी।

विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने हलफनामों को दर्ज किया है जिसमें बेघर लोगों के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण दिया गया है। ऐसे आश्रयों में बेघर लोगों को जो सुविधाएँ प्रदान की जानी हैं, उनमें भोजन, चिकित्सा सुविधाएँ, गोपनीयता, बाल देखभाल, बच्चों की शिक्षा, सर्दियों से सुरक्षा, लॉकर, पेयजल, शौचालय और बिजली, आदि की पर्याप्त व्यवस्था शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी राज्य सरकारों को बेघर लोगों के लिए उनके द्वारा सुझाई गई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल इस तथ्य की मान्यता में है कि शहरी स्थानों में सभी श्रेणियों के बेघर लोगों को राज्य द्वारा सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह आदेश भारत के बड़े शहरों में लाखों बेघर लोगों को राहत देने के लिए निर्धारित है।

4. **दिल्ली हाई कोर्ट ने जीवन की गुणवत्ता की गारंटी के साथ झुग्गी निवासियों के स्थानांतरण का आदेश दिया**

11.02.10 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की खंडपीठ) ने निर्णय (57 पृष्ठ लंबा) सुनाया जिसमें कहा गया कि चार महीने की अवधि में, याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक पात्र को स्थानांतरण नीति के संदर्भ में एक वैकल्पिक जगह प्रदान की जाएगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस तरह के स्थानांतरण उनमें से प्रत्येक के साथ "सार्थक तरीके" से होंगे और राज्य एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि बुनियादी नागरिक सुविधाएं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार और गरिमा के अधिकार के अनुरूप हों, स्थानांतरण स्थल पर उपलब्ध कराये जाए। अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निर्देश दिया कि वह शहर में झुग्गी क्लस्टर के निवासियों के साथ-साथ स्थानांतरित स्थलों में स्थानीय भाषा में फैसले के ऑपरेटिव हिस्से और निर्देशों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे। डीएलएसए को झुग्गी समूहों और स्थानांतरित स्थलों पर समय-समय पर शिविरों का आयोजन करने के लिए निर्देशित किया गया था ताकि निवासियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके।

5. **दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ नोटिस**

जनवरी 2010 में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा एक अस्थायी आश्रय को तोड़ने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक सुओ मोटो नोटिस जारी किया, जिसमें सर्दियों के चरम पर तोड़-फोड़, जिसके परिणामस्वरूप दो बेघर व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। एसएएम-बीकेएस ने मामले के लिए अदालत को समर्थन और जानकारी प्रदान करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई, जिसका अप्रैल 2015 में 100 सुनवाई और कई प्रगतिशील आदेशों के बाद निपटारा किया गया था।

6. **राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगना अपराध नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भीख मांगने से रोकथाम वाले प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया**

8 अगस्त, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य में भीख मांगने के रोकथाम को असंवैधानिक बताते हुए बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट (1959) के कई प्रावधानों को ख़त्म कर दिया। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की खंडपीठ ने किया।

2009 में, HRLN ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जो दिल्ली राज्य में लागू अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही थी। याचिका की प्राथमिक बहस में से एक यह था कि भारत में गरीबों के खिलाफ भीख मांगने की रोकथाम वाले विरोधी कानून ने भेदभाव किया है और इस प्रकार, भारत के संविधान का उल्लंघन किया। अदालत ने जुलाई, 2009 में कहा था कि, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस मामले में गहन जाँच की आवश्यकता है," और याचिका स्वीकार की।

इसके निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कई वर्षों तक मामला चला। अगस्त, 2018 के अपने अंतिम आदेश में, अदालत ने

कहा, "सवाल सरल है, हमारे संवैधानिक ढांचे में जो हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, तो क्या राज्य भीख मांगने को गैर-कानूनी घोषित कर सकता है? नागरिक और राज्य के बीच एक सामाजिक अनुबंध है जिसके द्वारा नागरिक को उसकी स्वायत्तता को आंशिक रूप से समाप्त करने के बदले में, राज्य उसकी सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवनयापन सुनिश्चित करने का वादा करती है।"(जोर देकर कहा)

दिल्ली सरकार को संबोधित करते हुए, अदालत ने राज्य में स्थिति पर भी टिप्पणी की, जिसमें भुखमरी से हुई मौतें मीडिया में बताई जा रही थीं, और कहा कि यह अपने नागरिकों के लिए जीवनयापन की न्यूनतम अनिवार्यताओं को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थी। अदालत ने कहा, "लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है (जोर देकर कहा)... भीख मांगना एक बीमारी का लक्षण है, जिसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति सामाजिक रूप से बनाए गए सुरक्षा से बाहर हो चुका है। सरकार के पास सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जनादेश है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों के पास बुनियादी सुविधाएं हों, और भिखारियों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को यह प्रदान करने में कामयाब नहीं है।"

अदालत याचिकाकर्ताओं से सहमत है कि भिखारियों को अदृश्य बनाने के लिए 'कृत्रिम साधनों' को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है, ''अपराधीकरण का एक कदम उन्हें समस्या के मूल कारण को बताए बिना अदृश्य बना देगा।"

यह देखते हुए कि "भीख मांगने का आपराधिकरण, हमारे समाज के कुछ सबसे कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है," अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और राज्य के भीख मांगने के आपराधिकरण / भीख मांगने के रोकथाम वाले प्रावधानों को ख़त्म कर दिया।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय : सुदामा सिंह और अन्य बनाम दिल्ली सरकार और अन्य (W.P.(C) 8904-2009, 7735/2007, 7317-2009 और 9246-2009)

इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर चार रिट याचिकाएं शामिल थीं, जिसमें दिल्ली के विभिन्न झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित करने और पुनर्वास करने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिका में उनके "झुग्गी" के तोड़फोड़ के बदले स्वामित्व के अधिकार के साथ एक उपयुक्त स्थान और वैकल्पिक भूमि के प्रावधान के साथ पुनर्स्थापन व पुनर्वास की मांग की गई थी। रिट याचिकाएं आवास के अधिकार और सड़क का अधिकार (राईट टू वे) के मुद्दे से निपटती हैं, और सामूहिक रूप से इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया था। इस आदेश का एक विस्तृत विश्लेषण (Reaffirming Justiciability: Judgements on the Human Right to Adequate Housing from the High Court of Delhi) HLRN (हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क) द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो इस लिंक में दिया गया है।

अनुलग्नक ५ : शहरी शासन के प्रासंगिक पहलू

शहरी अधिकार मंच

बेघरों के मानवाधिकारों और समस्या की बहुआयामी स्वरुप को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए और दिल्ली में संकट की गंभीरता से निपटने के लिए बेघर के समूहों सहित एक मजबूत और बड़ा गठबंधन बनाने की आवश्यकता लग रही थी। इस प्रकार, इस मुद्दे पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए सितंबर 2008 में कई संगठन एक साथ आए और इस प्रकार "शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ" का निर्माण हुआ। एसएएम:बीकेएस का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों के साथ काम करने के लिए एक मंच विकसित करना है, और अंततः उन्हें अपने स्वयं के आंदोलन का नेतृत्व करने और अपने स्वयं के मानव अधिकारों की वकालत करने में सक्षम बनाना है। एसएएम:बीकेएस एक सूत्रधार होने की उम्मीद रखता है, एक नेटवर्क जो बेघर होने के मुद्दे पर पर्याप्त प्रतिक्रिया विकसित करने की प्रक्रिया का समर्थन करेगा।

DUSIB (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड)

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB), DUSIB Act, 2010 के तहत अस्तित्व में आया है, जिसे 01 अप्रैल, 2010 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। DUSIB का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली सरकार की ओर से अनुमोदित योजनाओं को लागू करके बस्तियों और झुग्गी-झोपडी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। DUSIB मुख्य रूप से राजधानी दिल्ली शहर में बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिम्मेदार है।

एनयूएलएम-एसयूएच (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - शहरी बेघरों के लिए आश्रयों की योजना) दिशानिर्देश

मानक और आश्रय के प्रकार

1. शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थायी और हर मौसम के लिए अनुकूल होना चाहिए। प्रत्येक एक लाख शहरी आबादी के लिए, न्यूनतम एक सौ व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्थायी सामुदायिक आश्रयों के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक आश्रय को प्राथमिकता के तौर पर 50 या अधिक व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। असाधारण स्थितियों में, कम क्षमता वाले आश्रयों को भी अनुमोदित किया जा सकता है।

2. इस योजना को 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी जिला मुख्यालय वाले शहरों और अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। हालांकि, दस लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों, विशेष सामाजिक शहरों, और भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक या पर्यटन महत्व दिए गए शहरों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा, आश्रयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अन्य शहरों को राज्यों के अनुरोध पर असाधारण मामलों में अनुमति दी जा सकती है।

3. इन आश्रयों में से कुछ बेघर आबादी में सबसे कमजोर वर्गों के लिए बनाये जा सकते हैं जैसे (ए) एकल महिलाएं और उनके आश्रित नाबालिग बच्चे, (बी) वृद्ध, (ग) निःशक्त, (घ) विकलांग, (ई) मानसिक रूप से विकलांग आदि। वास्तविक ब्रेक-अप स्थानीय विशिष्टताओं, और शहर के आकार और आश्रयों की कुल संख्या पर निर्भर करेगा। राज्य / शहर निकाय विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग आश्रय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं जैसे:

   a) पुरुष आश्रय : चूंकि बेघरों के बीच पुरुषों का अनुपात अधिक होता है, इसलिए पुरुषों के लिए अलग आश्रयों को मुख्य रूप से एकल कामकाजी पुरुषों के लिए बनाया जा सकता है।

   b) महिला आश्रय : महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए उनके स्थान, डिजाइन, सेवाओं और सहायता प्रणालियों के संदर्भ में, महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। प्रत्येक शहर निकाय में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आबादी कितनी कम है, महिलाओं के लिए कम से कम एक आश्रय का निर्माण किया जाएगा।

   c) परिवार आश्रय : सड़कों पर रहने वाले परिवारों के लिए,

परिवार आश्रयों को बनाया जा सकता है जिसमें आम रिक्त स्थान के साथ गोपनीयता के लिए एक विशेष डिजाइन प्रदान किया जा सकता है।

d) विशेष आश्रय : बेघर व्यक्तियों के अलग-अलग श्रेणियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बिना देखभाल के मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, स्वास्थय लाभ ले रहे रोगियों और उनके परिवारों के लिए, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के परिचारकों आदि के लिए विशेष आश्रय बनाया जा सकता है।

आश्रय में सुविधाएं

आश्रय स्थायी, पूरे वर्ष, और चौबीसों घंटे खुला रहता है, क्योंकि कई बेघर व्यक्ति रात में काम करते हैं। गरिमापूर्ण जीवनयापन के लिए आश्रयों में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं :

- अच्छे हवादार कमरे।
- पानी की व्यवस्था (पीने का पानी और अन्य जरूरतें) और स्वच्छता।
- पर्याप्त स्नानागार और शौचालय की सुविधा।
- आश्रय के लिए मानक प्रकाश व्यवस्था।
- मानदंडों के अनुसार पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा उपाय।
- प्राथमिक चिकित्सा किट।
- कीट और वेक्टर (मच्छर) नियंत्रण।
- कंबल, गद्दे और चादरों की नियमित सफाई और अन्य सेवाओं का रखरखाव।
- आम रसोई / खाना पकाने की जगह, खाना पकाने और परोसने के लिए आवश्यक बर्तन, रसोई गैस कनेक्शन आदि।
- बच्चों को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों में आश्रय से जोड़कर बच्चों की देखभाल की सुविधा।
- अन्य सेवाओं / पात्रताओं के साथ अभिसरण के लिए सुविधा।
- व्यक्तिगत भंडारण स्थान के लिए व्यक्तिगत लॉकर।
- सामूहिक मनोरंजन स्थान।

महिला आश्रय

- महिलाओं के लिए सुरक्षा और गोपनीयता : सड़कों पर होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण को देखते हुए महिला आश्रय के निवासियों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे आश्रयों को सुरक्षा इंतजाम के साथ पुरुषों के आश्रयों से अलग होना चाहिए जहां पुरुष कर्मचारियों से महिला कर्मचारियों का अनुपात अधिक होना चाहिए, और निवासियों की चौबीसों घंटे सहायता के लिए महिला कर्मचारी उपलब्ध होनी चाहिए।
- खाद्य उत्पादन इकाइयाँ : महिलाओं को आश्रय के निवासियों के लिए भोजन बनाने में शामिल किया जा सकता है और इसे एक आजीविका विकल्प भी माना जा सकता है।
- मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श व्यवस्था को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बेघर महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन शोषण और अन्य हिंसा का शिकार होती हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों के लिए परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण और आजीविका सहायता सभी महिला आश्रयों में प्रदान की जानी चाहिए। आजीविका परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे समय के साथ आत्म निर्भर बन सकें। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार की ओर से वजीफा (Stipend) भी मिलना चाहिए।
- कानूनी सहायता पर काम करने वाले नागरिक संगठनों के साथ, और मामलों के रेफरल के लिए राज्य कानूनी सहायता एजेंसी के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) से लिंक : आश्रय में रहने वाली महिलाएं जो घरेलू हिंसा की पीड़िता रही है उन्हें पीडब्ल्यूडीवीए के मौजूदा संरक्षण अधिकारी के साथ शीघ्रता से और तत्काल राहत के लिए लिंक करने की सुविधा होनी चाहिए।
- नशामुक्ति केंद्रों के साथ संबंध : प्रत्येक 10 आश्रयों के लिए एक नशामुक्ति केंद्र होना चाहिए और कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र विशेष रूप से हर शहर में महिला आश्रयों के साथ जुड़ा होना चाहिए। नशामुक्ति सेवाओं को नि:शुल्क प्रदान करना होगा क्योंकि जो लोग उनका उपयोग कर रहे हैं वे या तो इन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना चाहेंगे या / और उनके लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे।

बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

- बच्चों के लिए आश्रय स्थल के भीतर क्रेच और नर्सरी का प्रावधान होना चाहिए।
- 10 वर्ष तक के बच्चों को अपनी मां के साथ एक ही आश्रय में रहना चाहिए।

- शिक्षा के अधिकार तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 10-18 वर्ष के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
- आवासीय स्कूलों को एक व्यापक बाल संरक्षण नीति विकसित और कार्यान्वित करनी चाहिए।

पहचान और परिणाम

- योजना का अधिदेश केवल एक आश्रय का निर्माण करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी ऐसे सुरक्षित आश्रय से वंचित न हो। इसलिए, यह नगर निकायों और आश्रयों को चलाने वाली एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खुले में सो रहे क्षेत्र में कोई बेघर व्यक्ति छूटा ना हो। आश्रय चलाने वाली एजेंसी के पास बेघर व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें आश्रय में आने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी भी होगी।
- शहरी बेघरों के हित के लिए काम करने वाले CBO, NGO और किसी अन्य संगठन संवेदनशील, प्रशिक्षित होने चाहिए और बेघरों को आश्रय में लाने के लिए प्रेरित होने चाहिए।
- दुर्बल, बीमार, अपराध के शिकार, बेसहारा, नाबालिग बच्चों और अन्य कमजोर समूहों के साथ अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें सड़कों से सुरक्षित आश्रय में लाया जाना चाहिए।
- यदि आवश्यक हो, तो एजेंसी को बीमार बेघर व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए।
- रेस्क्यू की प्रक्रिया के दौरान, स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, समाज कल्याण विभाग; महिला और बाल कल्याण विभाग; या किसी अन्य संबंधित विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए ताकि उनके विशिष्ट जरूरतों से निपटने के लिए उनके विशिष्ट घरों में ठहरने और स्वास्थ्य लाभ की सुविधा उपलब्ध हो सके।

हकों और अधिकारों के साथ लिंक

आश्रय सामाजिक सुरक्षा, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के विभिन्न अधिकारों के अभिसरण और प्रावधानों के लिए एक स्थान होगा। आश्रयों में सभी बेघर व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आश्रय प्रबंधन एजेंसियां और समितियां बेघरों के लिए विभिन्न अधिकारों और लाभों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। योजनाओं / लाभों की एक ऐसी सूची, जहाँ इस तरह के अभिसरण वांछनीय है, नीचे दी गई है:

- पहचान प्रमाण पत्र और डाक पता
- मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), आधार कार्ड आदि
- वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन
- बीपीएल कार्ड, पीडीएस राशन कार्ड आदि
- बैंक, डाकघर, जन धन योजना खाता
- ICDS सेवाएं
- सरकारी स्कूलों में प्रवेश
- स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में प्रवेश
- नि:शुल्क कानूनी सहायता
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास
- DAY-NULM और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, डीएवाई-एनयूएलएम के एसईपी घटक
- बेघर सड़क विक्रेताओं को पहचान पत्र / वेंडिंग प्रमाण पत्र
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विकलांग की पुनर्वास योजना
- SWADHAR, UJJAWALA, SABLA, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन योजना, MoWCD की योजनाएं से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए रेफरल सेवाएं
- पीडीएस के तहत सब्सिडी
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- मंत्रालय की अन्य योजनाओं / सेवाओं / अधिकारों के लिए लिंक करना

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें - IGSSS द्वारा प्रकाशित बेघरों के लिए मैनुअल, और शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) योजना के माध्यम से उनके लिए बुनियादी सेवाओं को संस्थागत रूप देने के लिए IGSSS द्वारा प्रकाशित हैंडबुक।

अनुलग्नक ६ : सतत विकास लक्ष्य (SDG) 16

बेघर होने के संदर्भ में एसडीजी 16 को सबसे पहले भारतीय संदर्भ में समझने की जरूरत है। भागीदारों द्वारा इसे क्षेत्रीय स्तर के नजरिये से देखने की आवश्यकता हो सकती है। एसडीजी लक्ष्य उनके काम के लिए कितना प्रासंगिक है और फिर कैसे इसे सामने लाया जाना चाहिए।

भारत और बेघरों के संदर्भ में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं (केवल SDG 16 की प्रासंगिकता में) -

SDG 16 को संबोधित करने से पहले, IGSSS / OFFER और भागीदारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है।

1. एमडीजी से एसडीजी के विकसित होने की प्रक्रिया बताना
2. एसडीजी की मुख्य विशेषताएं - प्राथमिक प्रतिभागी, प्रमुख भागीदारी, दृष्टिकोण, संबद्ध हितधारक, साझेदारी, निगरानी और जवाबदेही इत्यादि
3. लक्ष्य और इसका बेघरपन के साथ संबंध

IGSSS / OFFER और भागीदारों द्वारा क्या किया जा सकता है (खुली चर्चा का हिस्सा होगा)

1. लक्ष्य और बेघरों के साथ जुड़ाव
2. कौन सा लक्ष्य IGSSS / OFFER के कार्य के दायरे में नहीं आता है
3. भागीदारों की सीमाएं
4. इसे IGSSS / OFFER कैसे संबोधित कर रहा है?
5. भागीदार IGSSS / OFFER के साथ या अलग से कैसे सहयोग और समर्थन कर सकते हैं?
6. निगरानी पहलुओं और सीमाओं के साथ एक कार्य योजना तैयार करें

एसडीजी 16 के बारे में

प्रसंग

SDG विकास प्राथमिकताओं की पहचान करता हैं और 2030 तक होने वाले विकास के लिए मानक आधारित योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 17 लक्ष्यों में से, लक्ष्य-16 स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए, सभी के लिए न्याय तक पहुंच का प्रावधान, और सभी स्तरों पर जवाबदेह संस्थान बनाने के लिए समर्पित है। इसमें (अन्य शासन से संबंधित लक्ष्यों के बीच) अवैध वित्तीय प्रवाह में महत्वपूर्ण कटौती, चोरी की संपत्ति की वसूली और वापसी, और भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी में पर्याप्त कटौती शामिल है। स्थानीय प्रशासन और न्यायिक प्रणालियों सहित राष्ट्रीय और वैश्विक संस्थानों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, कानून और व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लक्ष्य 16

शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति, स्थिरता, मानवाधिकार और प्रभावी शासन के बिना, हम शासन के आधार पर सतत विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अधिकतर विभाजित है।

लक्ष्य

लक्ष्य16 का क्रियान्वयन करने के लिए 10 लक्ष्य और 2 मार्गदर्शक बिंदु हैं।

16.1. हर जगह सभी प्रकार की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर को कम करना।

16.2. बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना।

16.3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कानूनी शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

16.4. 2030 तक, अवैध वित्तीय और हथियारों के प्रवाह को कम करना, चोरी की संपत्ति की वसूली और वापसी को मजबूत करना और संगठित अपराध के सभी रूपों का मुकाबला करना।

16.5. भ्रष्टाचार और रिश्वत के सभी प्रकारों में उसे कम

करना।

16.6. सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान विकसित करना।

16.7. सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, भागीदारी और प्रतिनिधिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

16.8. वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी को व्यापक और मजबूत बनाना।

16.9. 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी को कानूनी पहचान प्रदान करना।

16.10. राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार, सूचना तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।

16.a. सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में, हिंसा को रोकने और आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय संस्थानों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है, को मजबूत करना।

16.b. सतत विकास के लिए गैर-भेदभावकारी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।

आंकड़ों पर एक नजर

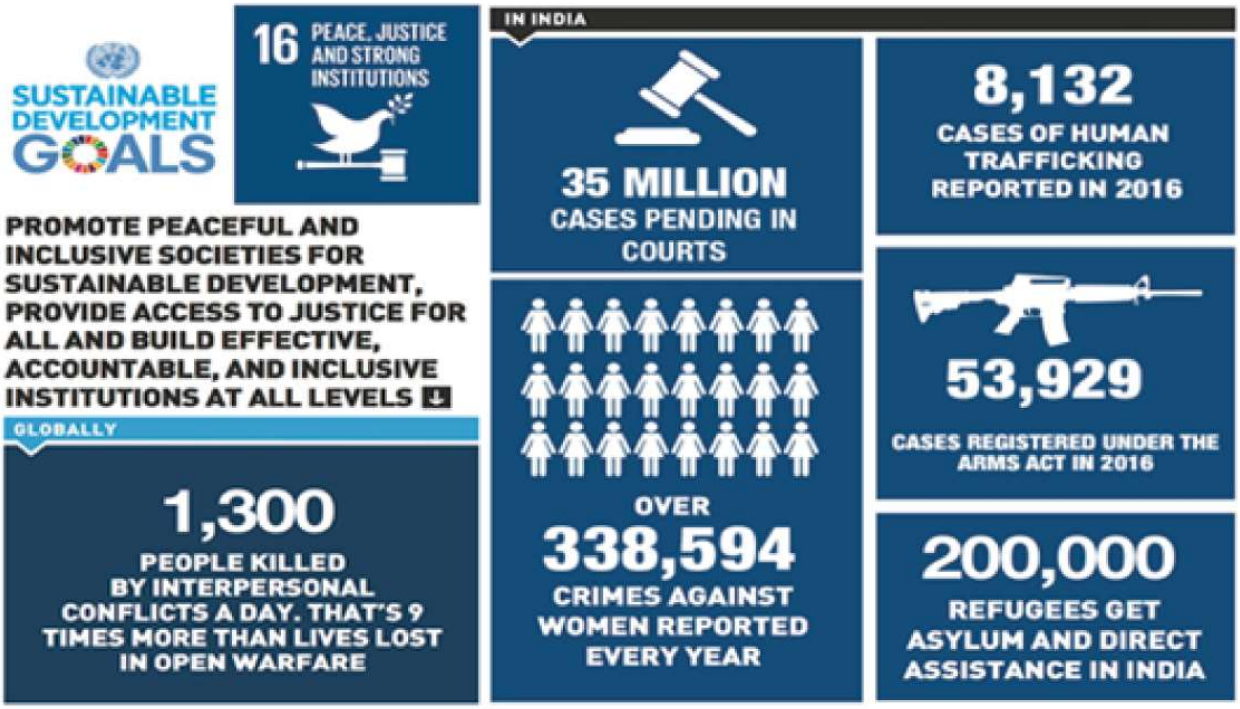

भारत में स्थिति

वर्ष 2018 में भारत में 33 मिलियन को की बड़ी संख्या के बैकलॉग के साथ, लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कारण न्यायपालिका बोझ तले दबी हुई है - अधीनस्थ न्यायालयों में 28.4 मिलियन मामले, उच्च न्यायालयों में 4.3 मिलियन और उच्चतम न्यायालय में 57,987 मामले लंबित हैं। भारत ने सरकारी पहल प्रगति मंच, एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली, और न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास, गांवों के लिए ग्राम न्यायालय सहित न्याय के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी है।

लक्ष्य 16: जैसा कि बच्चों की आंखों के माध्यम से देखा जाता है (ऊपर दिए चित्र में देखें)

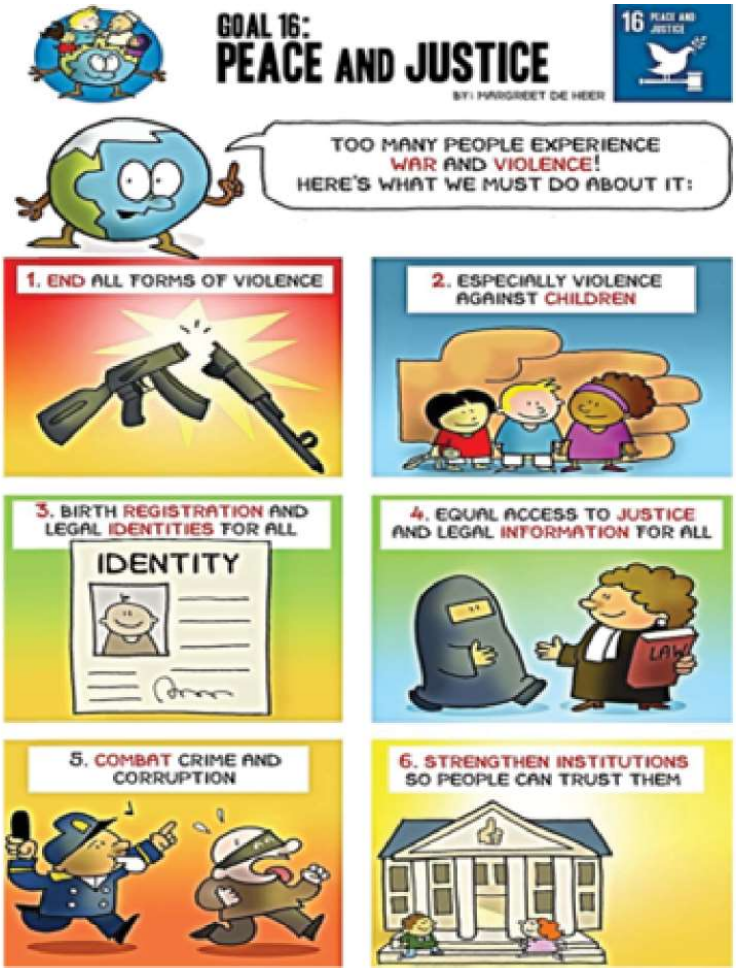

मुख्य मुद्दों के साथ लक्ष्यों की विशिष्टता

16.1. हर जगह सभी प्रकार की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर को कम करना।

- यह लक्ष्य सरकारों से राज्य के सभी लोगों और साथ ही साथ संस्कृतियों, जो समाधान के तरीकों के रूप में हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं, का संरक्षण और विकास सुनिश्चित करने के लिए कहता है।
- यह लक्ष्य कई तरह की मौतों और हिंसा को पहचानती है, जिसमें हत्या और संघर्ष से संबंधित मौतें, साथ ही शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन हिंसा शामिल हैं।

16.2. बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना।

- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बाल-संरक्षण कानूनों और प्रणालियों को लागू करना होगा ताकि बच्चों को कई प्रकार की शोषण से बचाया जा सके।
- देखभाल करने वालों द्वारा बाल यौन तस्करी, बाल श्रम, शारीरिक दंड सहित कई समस्याओं को चिन्हित किया जा सकता है।
- इस लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड (CRC), साथ ही अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय संधियों जैसे कि ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और पर्सन्स इन ट्रैफिकिंग पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल (UNCTOC) द्वारा रेखांकित किया गया है।
- इसके लिए एक सम्मिलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो घरेलू कानूनों को मजबूत करता है, उन कानूनों के पालन में सुधार और बाल अधिकारों के वैश्विक उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के पार-क्षेत्राधिकार सहयोग को बढ़ाता है।

16.3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कानूनी शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

- यह लक्ष्य यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि देशों में प्रभावी, निष्पक्ष और सुलभ कानून और न्याय प्रणालियां हो जो सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हो और आपराधिक और सिविल गलत कार्यों के निवारण के सार्थक मार्ग को सक्षम करती हैं।
- कानून के शासन को मजबूत करने के लिए, केवल उन कानूनों को पारित करने की आवश्यकता है जो लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और कथित अपराधों पर प्रभावी ढंग से जांच, मुकदमा चलाने और रोकथाम करने में सक्षम न्याय संस्थानों द्वारा उन कानूनों को लागू करते हैं।
- यह लक्ष्य एमओआई (कार्यान्वयन के साधन), लक्ष्य 16.ए और 16.बी द्वारा कार्यान्वित हैं, जो कानून और न्याय संस्थानों को मजबूत करने और भेदभाव को संबोधित करने पर केंद्रित है।

16.4. 2030 तक, अवैध वित्तीय और हथियारों के प्रवाह को कम करना, चोरी की संपत्ति की वसूली और वापसी को मजबूत करना और संगठित अपराध के सभी रूपों का मुकाबला करना।

- यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन फॉर ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (UNCTOC) और इसके तीन प्रोटोकॉल ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड ट्रैफिकिंग इन फायरआर्म्स के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- यह इस हद तक है कि यह अवैध वित्तीय प्रवाह और संपत्ति की वसूली से नाता रखता है।

16.5. भ्रष्टाचार और रिश्वत के सभी प्रकारों में उसे कम करना।

- रोकथाम और प्रवर्तन गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भ्रष्टाचार और रिश्वत को संबोधित करने के लिए।
- इस लक्ष्य के लिए सभी स्तरों पर और सभी संस्थानों में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ निष्कर्षण उद्योगों (Extractive Industries) और इस प्रकार के उद्योगों में सीमा पार से भ्रष्टाचार पर मुहर लगाने के लिए सम्मिलित न्यायी प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- यह लक्ष्य अवैध वित्तीय प्रवाह पर रोकथाम लगाने और भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित संपत्ति वसूली की सुविधा के संबंध में लक्ष्य 16.4 के साथ जुड़ा हुआ है।

16.6. सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान विकसित करना।

- संस्थानों को मजबूत करना जिससे वे जनता की सेवा में अपने जनादेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन सुनिश्चित

कर सकें।

- यह 16.7 और 16.8 लक्ष्यों के साथ-साथ MOI 16.a लक्ष्यों को मजबूत करता है और विपरीततया ये सभी लक्ष्य इसको मजबूती देते हैं।
- इस लक्ष्य में उच्च परिवर्तनकारी क्षमता है, क्योंकि इन मुद्दों को संबोधित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकार बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करके और सुशासन को बढ़ावा देकर 2030 के पूरे एजेंडे के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान कर रही है।
- प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों के आंकलन के लिए मानक और संकेतकों को सुनिश्चित करना।

16.7. सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, भागीदारी और प्रतिनिधिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

- सरकारें अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं में लोगों को अधिक समावेशी बनाये।
- यह लक्ष्य 2030 एजेंडा के 'जनकेंद्रित' प्रकृति को दर्शाता है, साथ ही एजेंडा की प्रतिबद्धता है कि 'कोई भी पीछे नहीं ना छूट जाए'।
- इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति को मापने के लिए संकेतक और मानक को सरकारों और निर्णय लेने वालों के साथ लोगों की धारणाओं और अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हुए बनाने की आवश्यकता होगी और कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं में सरकारी परामर्श प्रक्रियाओं (जैसे कि कानूनों का मसौदा तैयार करते समय) में सुधार करना होगा।

16.8. वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी को व्यापक और मजबूत बनाना।

- इस लक्ष्य के लिए वैश्विक संस्थानों को सदस्य राज्यों और नागरिक समाज के साथ काम करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय आवाज़ों और दृष्टिकोण को अपने काम में शामिल किया जा सके।
- यह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थानों के बोर्ड में विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का अधिक से अधिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए सदस्य राज्यों और नागरिक समाज के लिए भी अवसर प्रदान करता है।

16.9. 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी को कानूनी पहचान प्रदान करना।

- यह लक्ष्य पहचानता है कि आधिकारिक पहचान के आसपास के मुद्दे अक्सर किसी सरकारों और बुनियादी सेवाओं के लिए प्रभावी रूप से योजना और बजट बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने की व्यक्ति की वास्तविक और संभावित क्षमता पर निर्भर करती हैं।
- विश्व स्तर पर 2.4 बिलियन लोग कानूनी पहचान दस्तावेजों के बिना हैं। जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी व्यक्ति के लिए औपचारिक रूप से सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं से प्रभावी रूप से जुड़ना असंभव है, क्योंकि पहचान पत्रों की कमी शिक्षा, रोजगार और कल्याण तक उसकी पहुंच को बाधित कर सकती है, साथ ही अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को बनाए रखना मुश्किल बना सकती है।
- शरणार्थी, घुमंतू और कई दीर्घकालिक अवैध-अप्रवासी आबादी पहचान पत्र तक पहुंच की कमी से पीड़ित हैं। इस लक्ष्य को कम करने के लिए प्रभावी नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणालियों की आवश्यकता है जो प्रभावी रूप से जन्म, विवाह और मृत्यु के अलावा कानूनी पहचान प्रदान करते हैं।

16.10. राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार, सूचना तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।

- यह लक्ष्य इस तथ्य को दर्शाता है कि सूचना की स्वतंत्रता (एफओआई) अन्य सभी मानव अधिकारों का आधार है और सभी एसडीजी की उपलब्धि को रेखांकित करता है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक पहुंच महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में एक लक्ष्य है और जनता को अधिक प्रभावी ढंग से अपने स्वयं के विकास में संलग्न करने का एक साधन है।
- पहले से ही, सौ से अधिक देशों में एफओआई कानून का कुछ रूप है, हालांकि कार्यान्वयन भिन्न होता है।
- UNCAC विशेष रूप से सदस्य राज्यों से अनुच्छेद 10 में जानकारी तक पहुंच को प्राथमिकता देने के लिए कहता है।

16a. सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में, हिंसा को रोकने और आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय संस्थानों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है, को

मजबूत करना।

- यह एमओआई लक्ष्य संस्था-निर्माण पर लक्ष्य 16.6 का पूरक है और लक्ष्य 16.1 के उद्देश्य को पार करता है, जो विशेष रूप से हिंसक अपराध को संबोधित करता है, और लक्ष्य 16.4, जो संगठित अपराध व अन्य से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, को लक्षित करता है।
- प्रभावी संस्थान जो लोगों और उनकी सरकारों के बीच सुरक्षित, वैध बातचीत सुनिश्चित करने में सक्षम हैं, उनके बिना समावेशी और शांतिपूर्ण शासन के लक्ष्य 16 एजेंडे को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

16b. **सतत विकास के लिए गैर-भेदभावकारी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।**

- यह एमओआई लक्ष्य यह दर्शाता है कि लक्ष्य 16 का सम्पूर्ण एजेंडा एक मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण से रेखांकित किया गया है जिसे कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में गैर-भेदभाव की आवश्यकता है।
- यह दृष्टिकोण समावेशिता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक रणनीति भी है।
- आधिकारिक और अनौपचारिक भेदभाव गंभीर रूप से व्यक्तियों की उनके आसपास की दुनिया में भाग लेने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं, क्योंकि सार्वजनिक नौकरियों और सेवाओं से उनका बहिष्कार, और / या सरकार द्वारा सक्रिय उत्पीड़न और अन्य खतरनाक भेदभाव, उनके अधिकारों और विकास के अवसर पर खतरनाक असर ला सकते है।
- समावेशी और शांतिपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिए इसके सभी रूपों में भेदभाव को संबोधित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक ७: बेघरपन पर प्रशिक्षण के लिए सत्र योजना

नियत समयावधि	सत्र	प्रक्रिया	सूत्रधार
पहला दिन			
	परिचय; आशाओं का मानचित्रण; मूल सिद्धांत स्थापित करना	रस्सी वाला खेल कार्ड छांटना	
	अध्ययनों का विश्लेषण; अधिकारों की रूपरेखा; महिलाओं और बच्चों के लिए अनुकूल कार्य;	मामलों का अध्ययन, समूह कार्य उर्जा बढ़ाने वाला खुला सत्र	
भोजन विराम			
	सहभागी प्रक्रियाएं व उसका उपयोग - मूल समस्या का विश्लेषण, सुरक्षित क्षेत्रों का मानचित्रण, भागीदारों का मानचित्रण, प्रक्रिया का कार्यान्वयन	समूह कार्य उर्जा बढ़ाने वाला खुला सत्र	
चाय या कॉफ़ी विराम			
	क्षेत्र का दौरा; पहले दिन के सत्रों पर कोई प्रश्न या विचार	समूह कार्य उर्जा बढ़ाने वाला खुला सत्र	
दूसरा दिन			
	पुनरावृति / पूछताछ; हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप	गहन विचार – विमर्श खुला सत्र	
चाय या कॉफ़ी विराम			
	शहरी शासन – इसकी क्रियान्वयन प्रक्रियाएं, एसडीजी 16 और बेघरों के लिए इसका महत्व	समूह कार्य खुला सत्र	
भोजन विराम			
क्षेत्र दौरा (समुदाय के उपलब्ध होने के समय अनुसार, इसके अनुसार सत्र योजना में बदलाव किये जा सकते हैं)			

तीसरा दिन			
	पुनरावृति; क्षेत्र दौरे से उभरते विचार	समूह प्रस्तुति	
चाय या कॉफ़ी विराम			
	अधिकार ढाँचे के साथ समझ बनाना; कार्य योजना तैयार करना	खुली चर्चा समूह कार्य	
भोजन विराम			
	कार्यवाही योजना के साथ आगे बढ़ना; समग्र चिंतन; समापन	समूह कार्य खुली चर्चा	

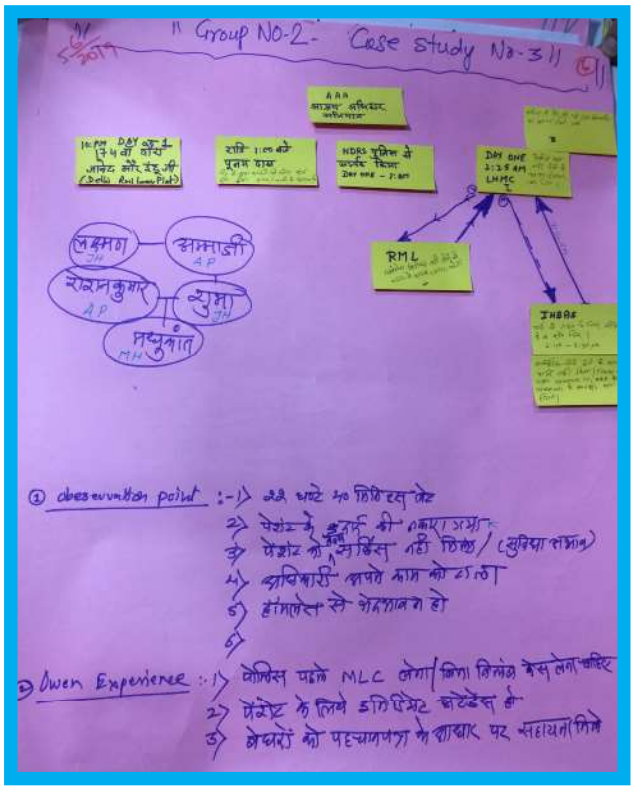

Group No-2 - Case study No-3
RML
JHBAS
① observation point
② Own Experience

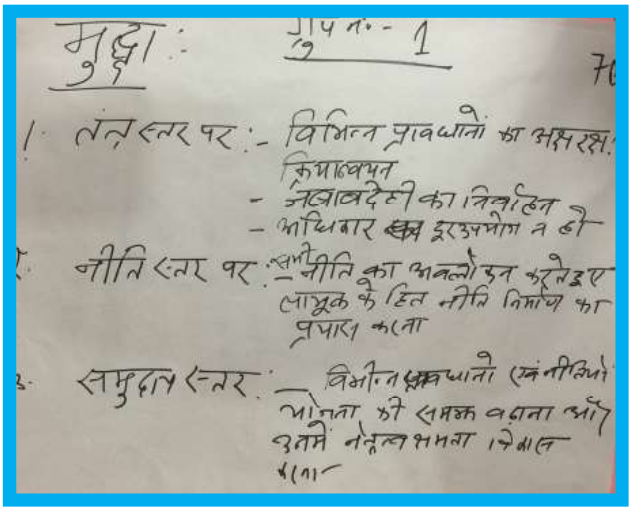

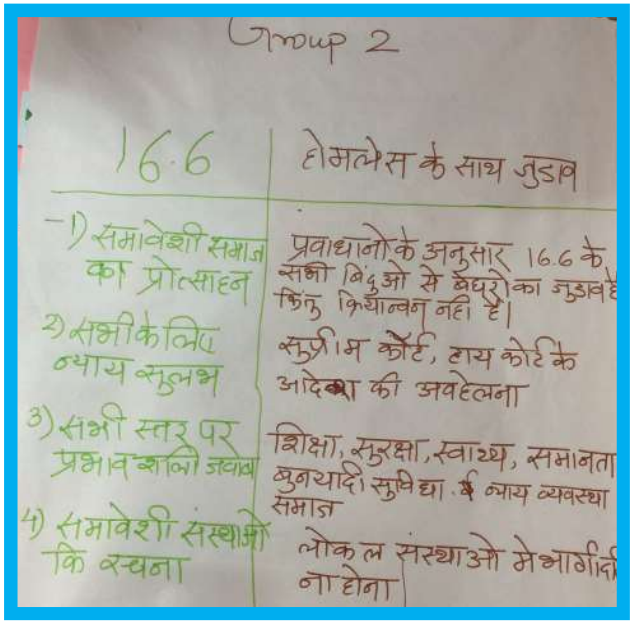

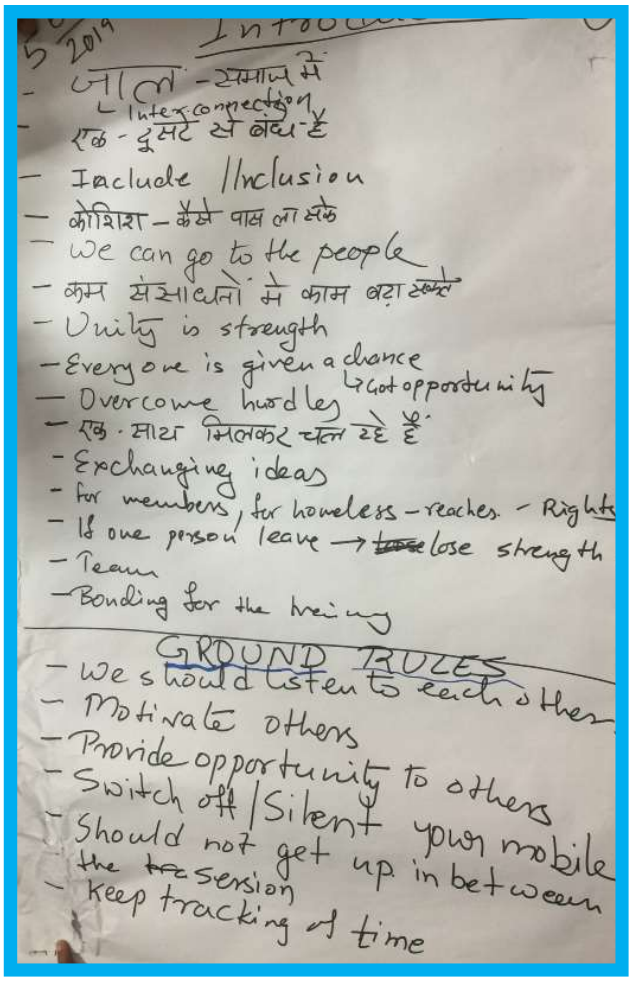

मुद्दा :
ग्रुप नं - 1
1. तंत्र स्तर पर :-
- जवाबदेही का निर्वहन
2. नीति स्तर पर
3. समुदाय स्तर

Group 2
16.6
होमलेस के साथ जुड़ाव
1) समावेशी समाज का प्रोत्साहन
प्रावधानों के अनुसार 16.6 के सभी बिंदुओं से बेघरों का जुड़ाव है किंतु क्रियान्वन नहीं है।
2) सभी के लिए न्याय सुलभ
सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट के आदेश की अवहेलना
3) सभी स्तर पर प्रभावशाली जवाब
शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समानता बुनयादी सुविधा व न्याय व्यवस्था समान
4) समावेशी संस्थाओं कि रचना
लोकल संस्थाओं मे भागीदारी होना

जाल - समाज में
Inter-connection
एक - दूसरे से बंधे हैं
Include / Inclusion
कोशिश - कैसे पास ला सके
We can go to the people
Unity is strength
Everyone is given a chance
Got opportunity
Overcome hurdles
एक साथ मिलकर चल रहे हैं
Exchanging ideas
Team
GROUND RULES
We should listen to each other
Motivate others
Provide opportunity to others
Switch off / Silent your mobile
Should not get up in between the session
Keep tracking of time

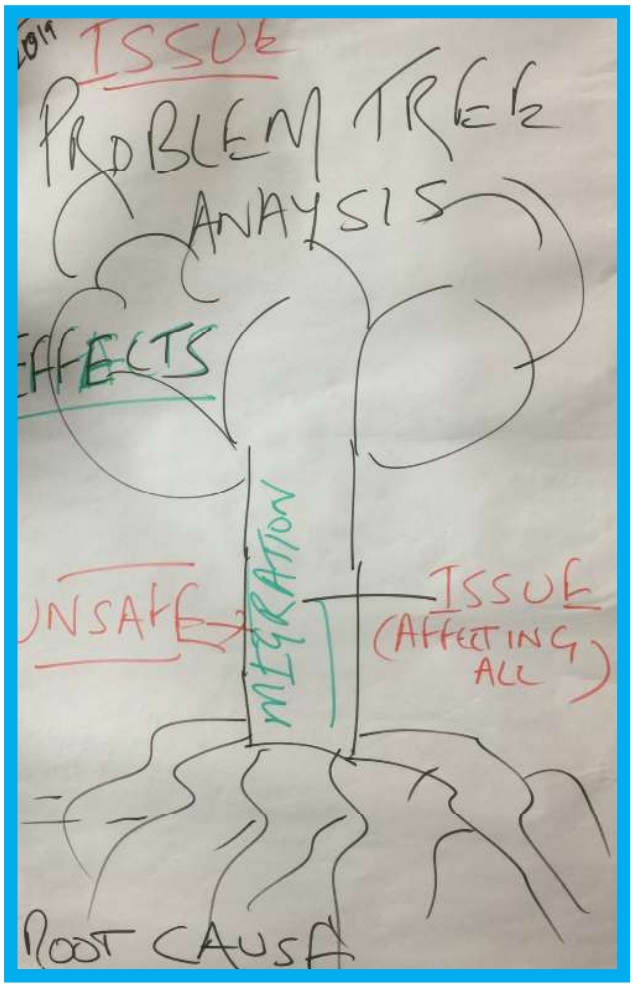
ISSUE
PROBLEM TREE
ANAYSIS
EFFECTS
MIGRATION
UNSAFE
ISSUE
(AFFECTING
ALL)
ROOT CAUSE

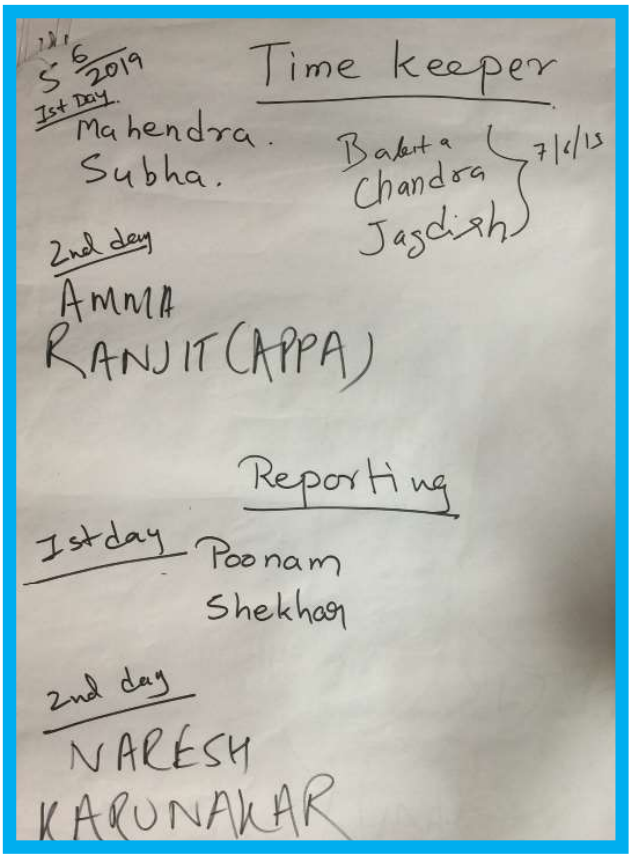
Time keeper
Ist Day.
Mahendra.
Subha.
Babita
Chandra
Jagdish
7/6/19
2nd day
AMMA
RANJIT (APPA)
Reporting
Ist day
Poonam
Shekhar
2nd day
NARESH
KARUNAKAR

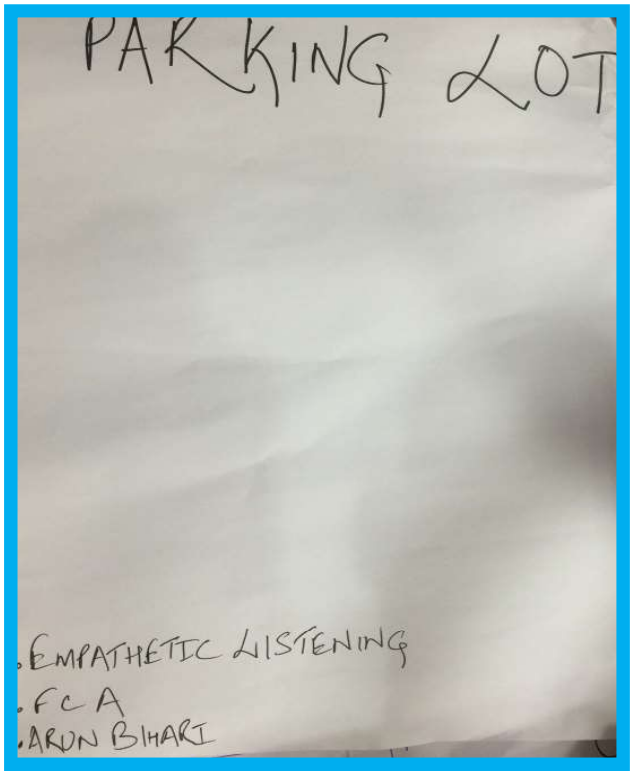
PARKING LOT
. EMPATHETIC LISTENING
. FCA
. ARUN BIHARI

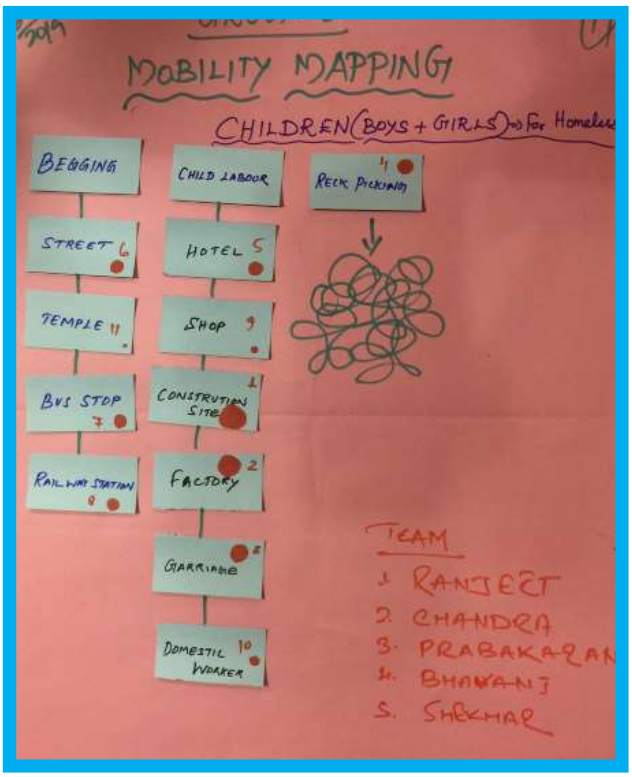
MOBILITY MAPPING
CHILDREN (BOYS + GIRLS) for Homeless
BEGGING
CHILD LABOUR
RAG PICKING
STREET
HOTEL
TEMPLE
SHOP
BUS STOP
CONSTRUCTION SITE
RAILWAY STATION
FACTORY
GARRIAGE
DOMESTIC WORKER
TEAM
1. RANJEET
2. CHANDRA
3. PRABAKARAN
4. BHAWANI
5. SHEKHAR

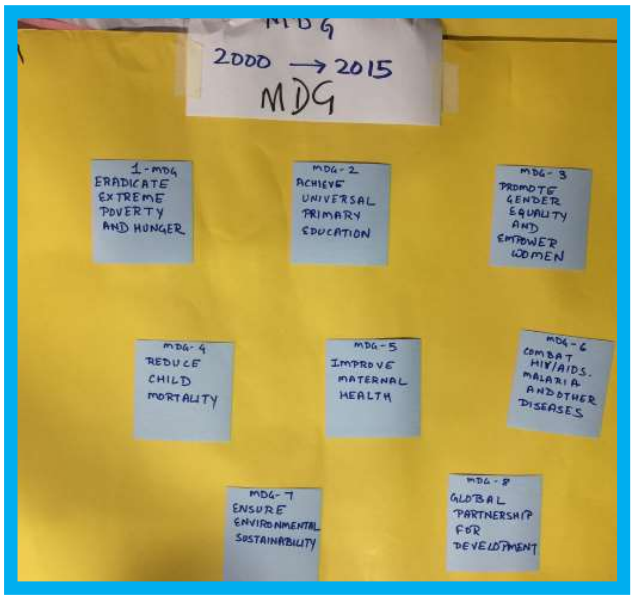

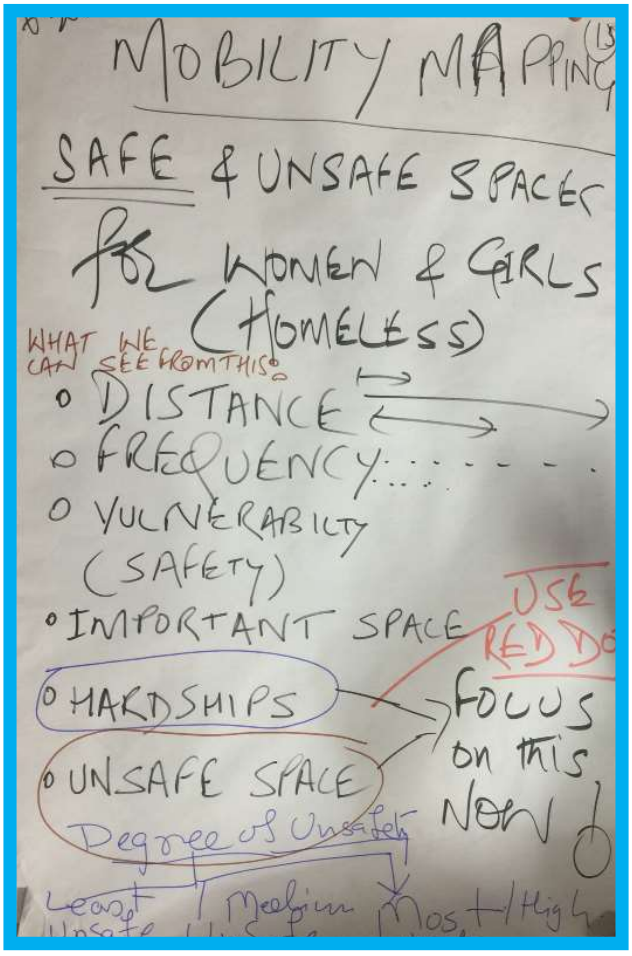

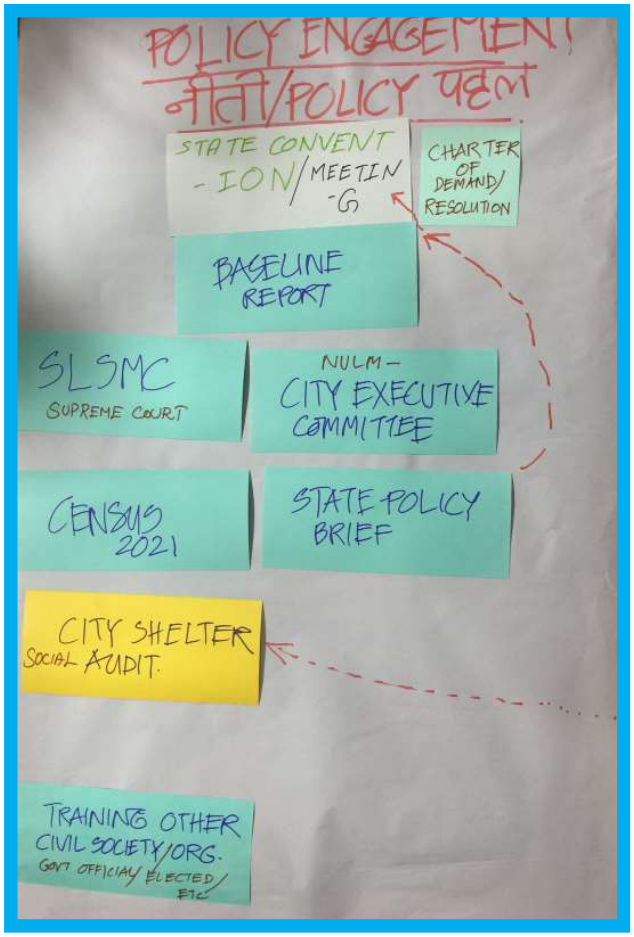

2000 → 2015
MDG
1-MDG ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
MDG-2 ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
MDG-3 PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
MDG-4 REDUCE CHILD MORTALITY
MDG-5 IMPROVE MATERNAL HEALTH
MDG-6 COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
MDG-7 ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
MDG-8 GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT

MOBILITY MAPPING
SAFE & UNSAFE SPACES
FOR WOMEN & GIRLS (HOMELESS)
WHAT WE CAN SEE FROM THIS?
DISTANCE
FREQUENCY
VULNERABILITY (SAFETY)
IMPORTANT SPACE
HARDSHIPS
UNSAFE SPACE
FOCUS ON THIS NOW
Degree of Unsafety
Least
Medium
Most/High

POLICY ENGAGEMENT
नीति/POLICY पहल
STATE CONVENTION/MEETING
CHARTER OF DEMAND/RESOLUTION
BASELINE REPORT
SLSMC SUPREME COURT
NULM-CITY EXECUTIVE COMMITTEE
CENSUS 2021
STATE POLICY BRIEF
CITY SHELTER SOCIAL AUDIT
TRAINING OTHER CIVIL SOCIETY/ORG. GOVT OFFICIAL/ELECTED/ ETC

I. ORGANISATIONAL ENGAGEMENT WITH COMMUNITY
संस्थाओं की समुदाय के साथ अनुबद्धता
ZERO (1) STAGE
NASCENT STAGE (2)
GROWING STAGE (3)
BECOMING (4) INDEPENDENT STAGE
SELF (5) RELIANT STAGE
ORGANISATION DO NOT HAVE AN UNDERSTANDING ON HOMELESS ISSUES
ORGANISATION WORKS WITH HOMELESS AND ABLE TO MOBILISE THEM
HOMELESS CAN MOBILISE THEMSELVES AND PROTEST FOR THEIR RIGHTS & ENTITLEMENTS
HOMELESS ADDRESS THEIR OWN ISSUES
HOMELESS DO NOT REQUIRE EXTERNAL SUPPORT AND ABLE TO CLAIM THEIR RIGHTS & ENTITLEMENTS

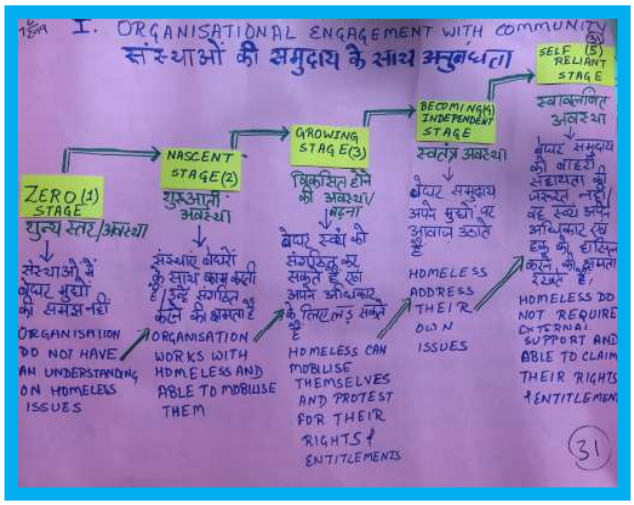

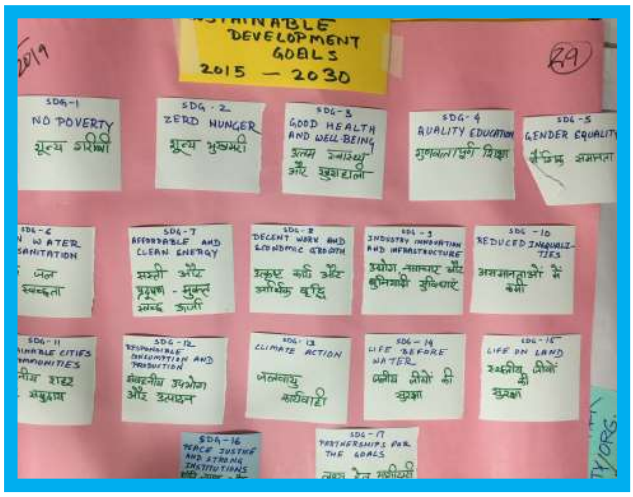

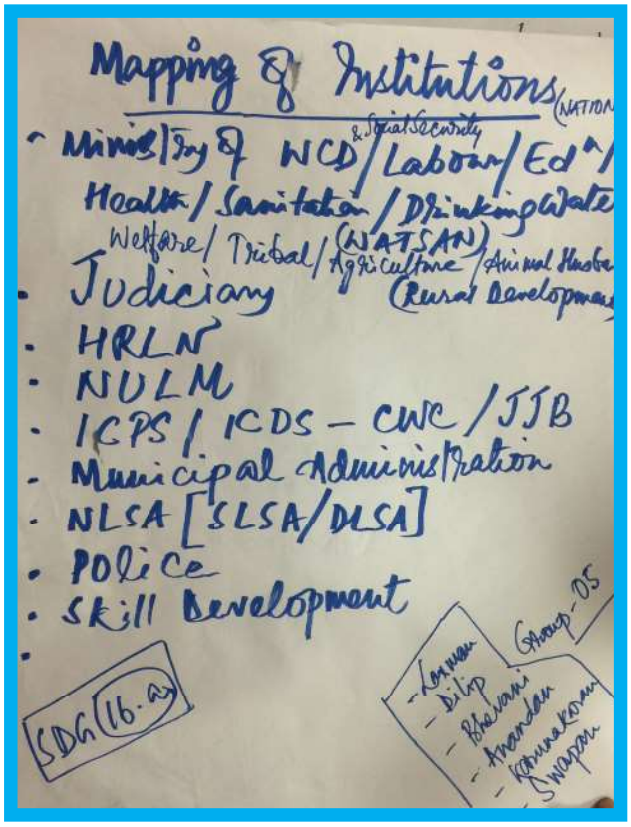

DEVELOPMENT GOALS
2015 — 2030
SDG-1 NO POVERTY
SDG-2 ZERO HUNGER
SDG-3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
SDG-4 QUALITY EDUCATION
SDG-5 GENDER EQUALITY
SDG-7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
SDG-8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
SDG-9 INDUSTRY INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
SDG-10 REDUCED INEQUALITIES
SDG-12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
SDG-13 CLIMATE ACTION
SDG-14 LIFE BEFORE WATER
SDG-15 LIFE ON LAND
SDG-16 PEACE JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
SDG-17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Mapping of Institutions (NATION
- Ministry of WCD/ & Social Security Labour/ Edn/
Health/ Sanitation/ Drinking Water (WATSAN)
Welfare/ Tribal/ Agriculture/ Animal Husb
Rural Development
- Judiciary
- HRLN
- NULM
- ICPS / ICDS – CWC / JJB
- Municipal Administration
- NLSA [SLSA/DLSA]
- Police
- Skill Development
SDG (16.a)
Group-05
- Laxman
- Dilip
- Bhavani
- Anandan
- Karunakaran
- Swapan

PAIRWISE MATRIX
SCORING & RANKING
① TO PRIORTISE
② STAKEHOLDER MAPPING / ANALYSIS
UNSAFE SPACES
WHICH STAKEHOLDERS WE NEED TO WORK WITH
• OPEN DEFECATION : MUNICIPAL CORPORATION
WARD COUNCILLOR
• CONSTRUCTION WORK : LABOUR COMMISSION
WOMEN'S COMM

II ORGANISATIONAL ENGAGEMENT AT POLICY LEVEL
ANDHRA PRADESH
TAMIL NADU
MAHARASHTRA
BIHAR
JHARKHAND
STAGE-1
STAGE-2
STAGE-3
STAGE-4
STAGE-5

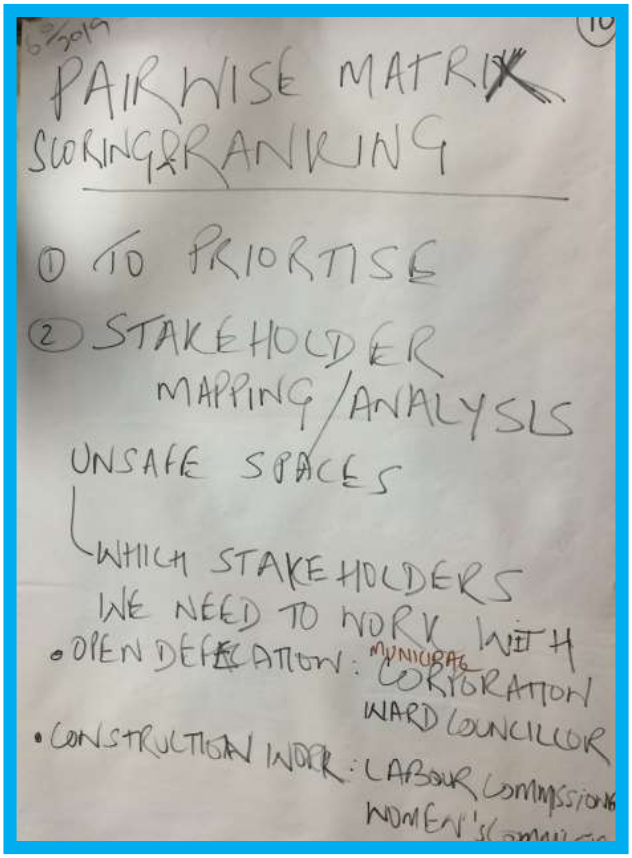

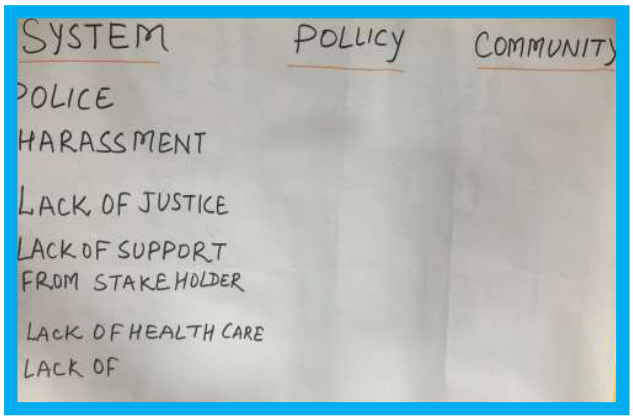

SYSTEM
POLLICY
COMMUNITY
POLICE HARASSMENT
LACK OF JUSTICE
LACK OF SUPPORT FROM STAKEHOLDER
LACK OF HEALTH CARE
LACK OF

MOBILITY MAPPING
Homeless Children [GROUP-I]
Safe and unsafe places
Distance
Schools
AWC
Ragpicking
open defication
Hospitals
Bus Stand / Railway Station
public parks
Hotels
Domestic work
hotels
hospitals
public parks
schools
AWC
Group-I
indicate → Safe place
unsafe

CL
WC
W&CD
1 CL
2 WC
3 W&CD
4 Childline CL
Scoring
Rating
Group-No-2

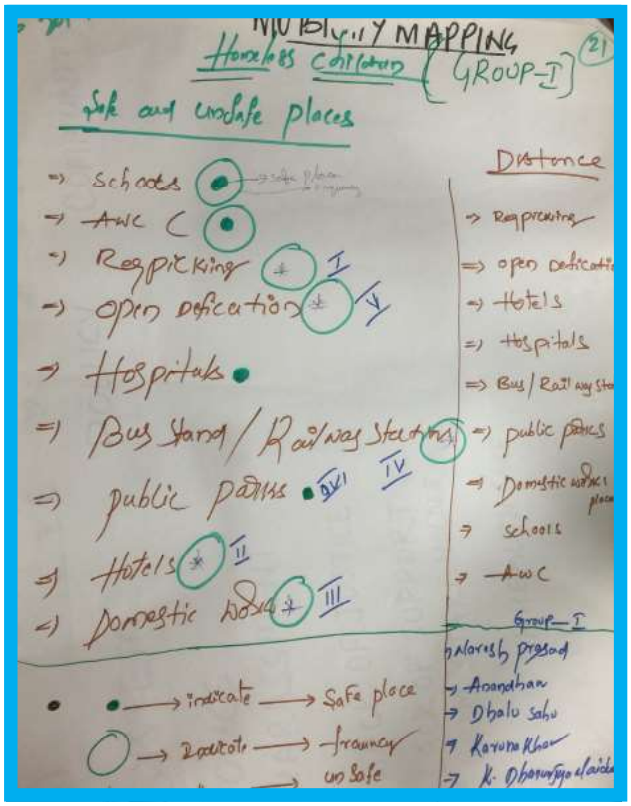

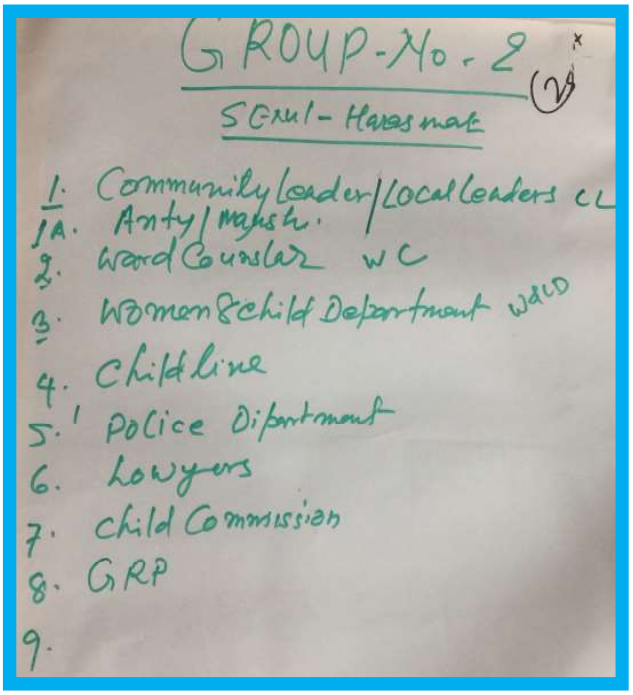

Group-5
① LAXMI
② SHUBHA
③ NIKITA
④ THANGAVEL
⑤ DOSS
शिक्षा
EDUCATION For HOMELESS
gov. School
ICDS CENTER Age-3 to 5
Middle School
Primary School
Parents Illitra
Child Labour
Fear of studing
CDPO
Local School Teacher
Counsler
Local School

GROUP-No-2
Sexual-Harasment
1. Community Leader / Local Leaders CL
1A. Anty / Mausi.
2. Ward Counslar WC
3. Women & child Department W&CD
4. Childline
5. Police Department
6. Lawyers
7. Child Commission
8. GRP
9.

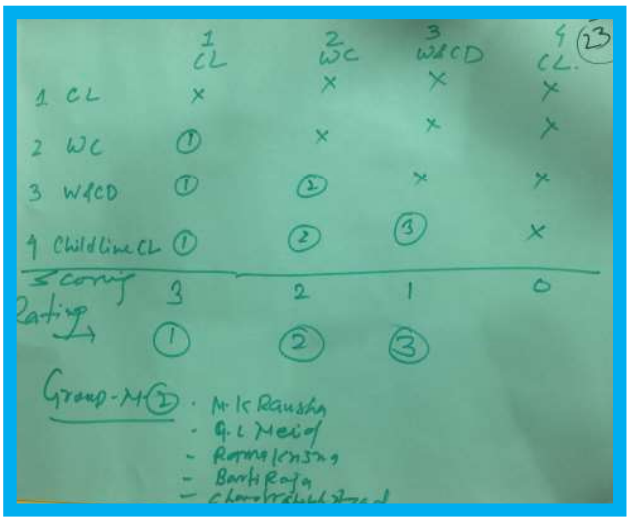

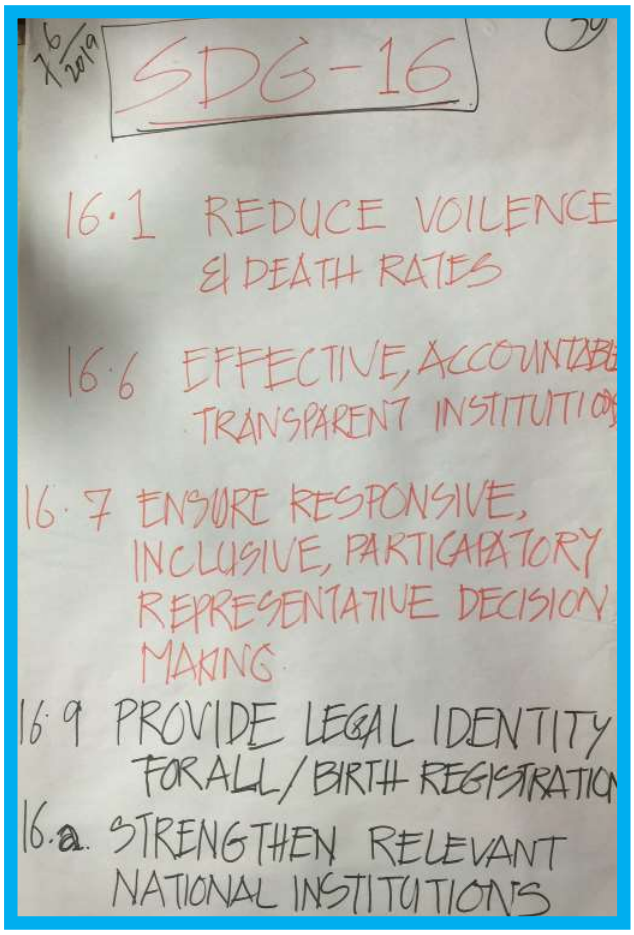

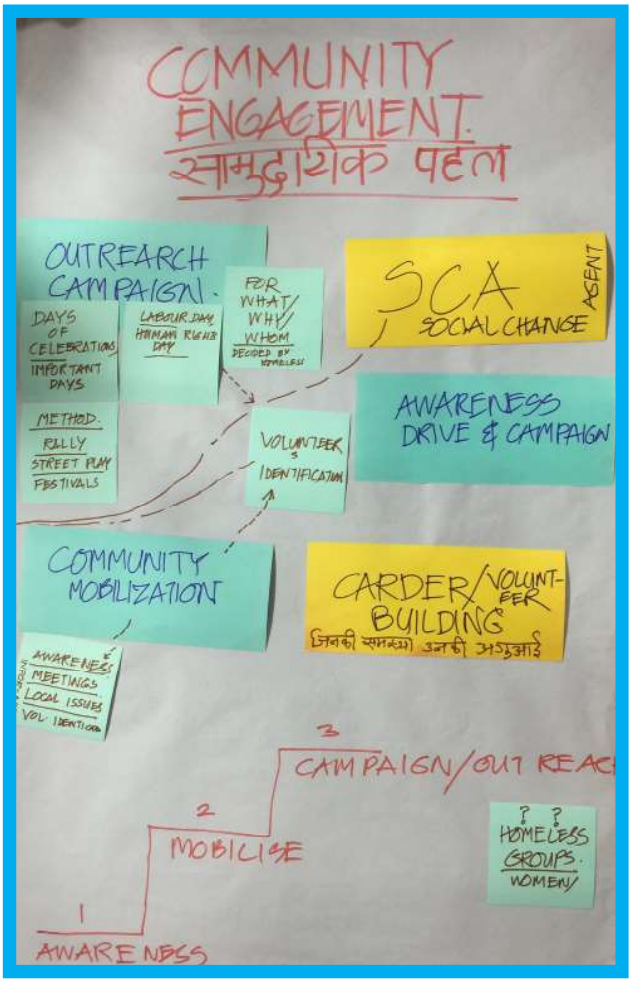

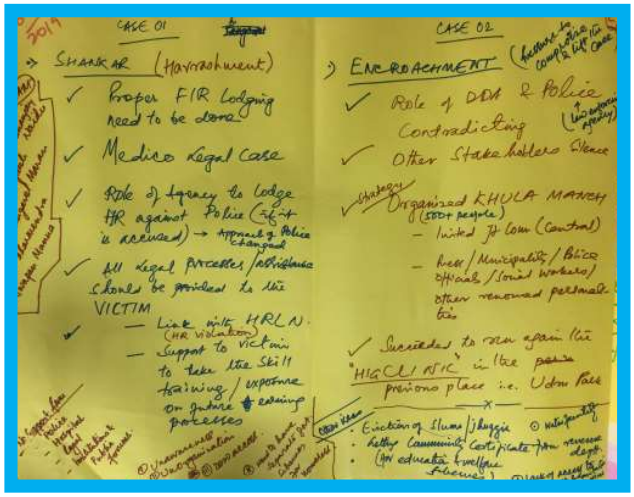

SDG-16
16·1 REDUCE VOILENCE & DEATH RATES
16·6 EFFECTIVE, ACCOUNTABLE TRANSPARENT INSTITUTIONS
16·7 ENSURE RESPONSIVE, INCLUSIVE, PARTICAPATORY REPRESENTATIVE DECISION MAKING
16·9 PROVIDE LEGAL IDENTITY FOR ALL / BIRTH REGISTRATION
16.a STRENGTHEN RELEVANT NATIONAL INSTITUTIONS

CASE 01
SHANKAR (Harrashment)
Proper FIR Lodging need to be done
Medico Legal Case
VICTIM
CASE 02
ENCROACHMENT
Other Stake holders Silence

COMMUNITY ENGAGEMENT
सामुदायिक पहल
OUTREACH CAMPAIGN
FOR WHAT/ WHY/ WHOM
DAYS OF CELEBRATIONS
IMPORTANT DAYS
METHOD
RALLY
STREET PLAY
FESTIVALS
SCA
SOCIAL CHANGE AGENT
AWARENESS DRIVE & CAMPAIGN
VOLUNTEER IDENTIFICATION
COMMUNITY MOBILIZATION
CARDER/VOLUNTEER BUILDING
AWARENESS MEETINGS
LOCAL ISSUES
AWARENESS
MOBILISE
CAMPAIGN/OUT REACH
HOMELESS GROUPS
WOMEN

आठवाँ अध्ययन : पुलिस की बर्बरता
CASE STUDY : POLICE BRUTALITY
GROUP - 03
POLICE HARASSMENT
LACK OF AWARENESS
LACK OF HEALTH CARE
LACK OF JUSTICE
LACK OF LIVELIHOOD
VIOLATION OF HUMAN RIGHT
LACK OF SUPPORT FROM COMMUNITY
LACK OF SUPPORT FROM STAKE HOLDER
SEXUAL HARASSMENT
MIGRATION
LACK OF CO-ORDINATION WITH LINE DEPT
TEAM
Mr. V KARUNAKAR
Mrs. B. BHAVANI
Mr. NARESH PRASAD
Mr. SANJAY KUMAR
RANJEET KUMAR
समय :- 6 बजे शाम
दिनांक :- 9. Sep. 2010, 31. Dec 2010

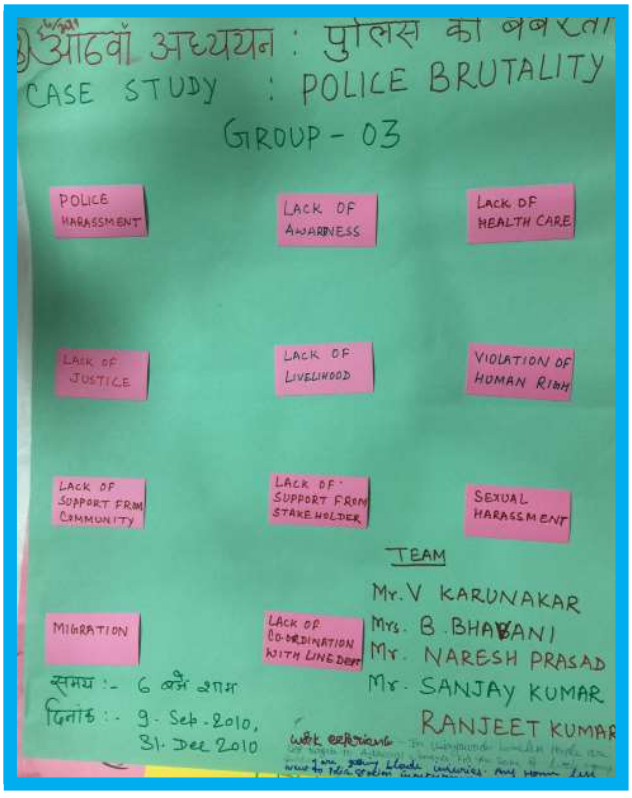

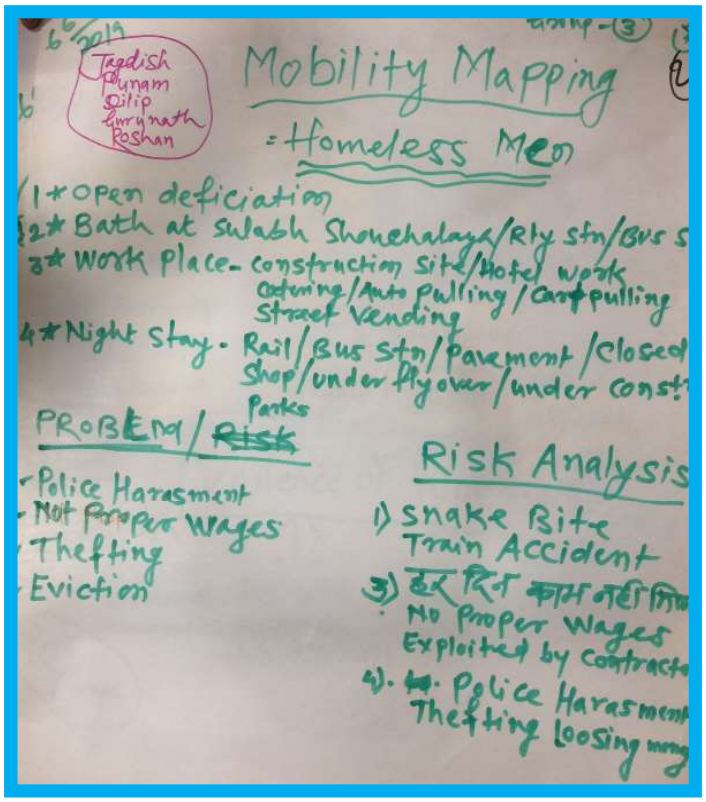

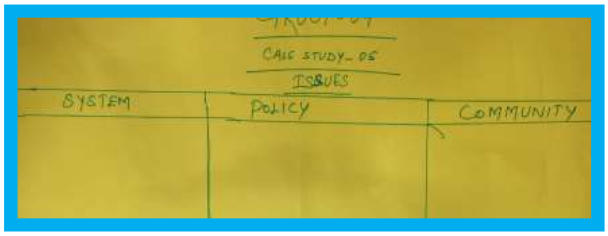

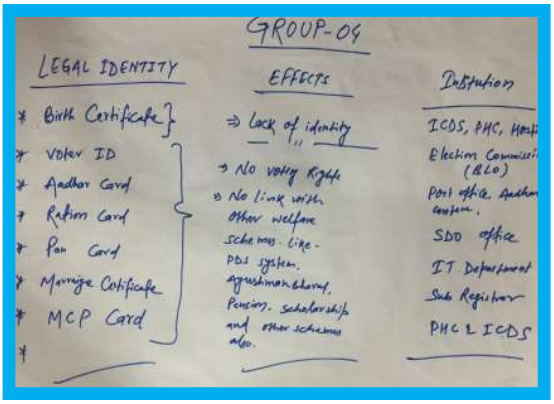

Mobility Mapping
Homeless Men
Jagdish
Punam
Dilip
Gurunath
Roshan
1* Open deficiation
2* Bath at sulabh Shouchalaya/Rly stn/Bus s
3* Work place- construction site/Hotel work
Catering/Auto Pulling/Cart pulling
Street Vending
4* Night stay- Rail/Bus stn/Pavement/closed
Shop/under flyover/under const
Parks
PROBLEM/RISK
Police Harasment
Not Proper Wages
Thefting
Eviction
Risk Analysis
1) snake Bite
Train Accident
3) हर दिन काम नहीं मिल
No Proper Wages
Exploited by contractor
4). Police Harasment
Thefting loosing money

Group-4
Problem Tree Anylisis
Family Abbused
Malnutrient
death
Impact
Food security
Accident
Insucurity
Physically Harrasment
Health Issue
Education
Mentally Harrasment
भ्रूणहत्या
अंधविश्वास
Issue
Voilence of Womens
Illiteracy
Unemployment
Drug Addiction
Gender
Family
(पुरुष नशापान)
(भेदभाव)
Root Cause

GROUP-04
LEGAL IDENTITY
EFFECTS
Institution
* Birth Certificate
⇒ Lack of identity
ICDS, PHC, Hospital
* Voter ID
→ No voting Rights
Election Commission (BLO)
* Aadhar Card
→ No link with other welfare schemes like - PDS system, Ayushman Bharat, Pension, scholarship and other schemes also.
Post office, Aadhar centre.
* Ration Card
SDO office
* Pan Card
IT Department
* Marriage Certificate
Sub Registrar
* MCP Card
PHC & ICDS

CASE STUDY - 05
ISSUES
SYSTEM
POLICY
COMMUNITY

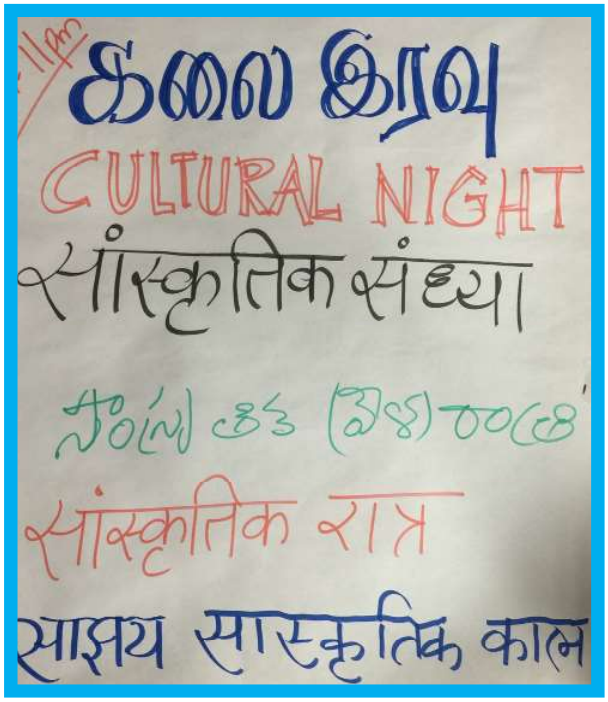

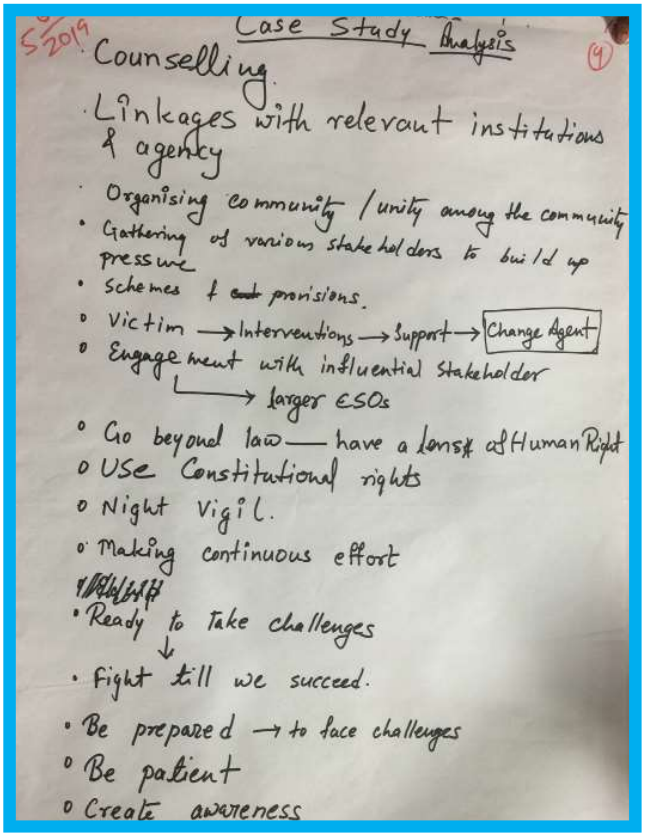

CULTURAL NIGHT
सांस्कृतिक संध्या
सांस्कृतिक रात्र

Case Study Analysis
Counselling
Linkages with relevant institutions & agency
Organising community / unity among the community
Gathering of various stakeholders to build up pressure
Schemes & provisions.
Victim → Interventions → Support → Change Agent
Engage ment with influential stakeholder
→ larger CSOs
Go beyond law — have a lens of Human Right
Use Constitutional rights
Night Vigil.
Making continuous effort
Ready to take challenges
Fight till we succeed.
Be prepared → to face challenges
Be patient
Create awareness

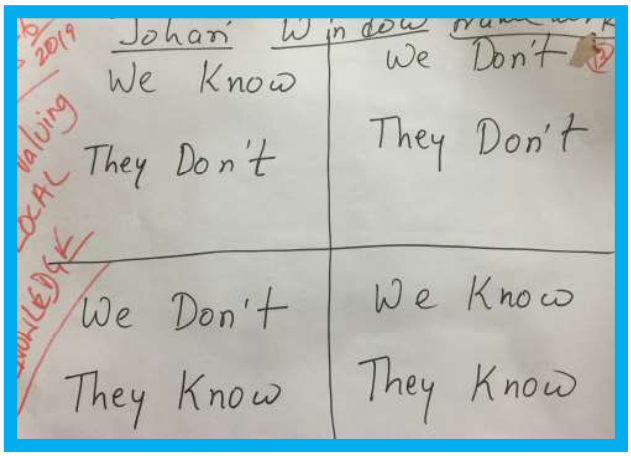

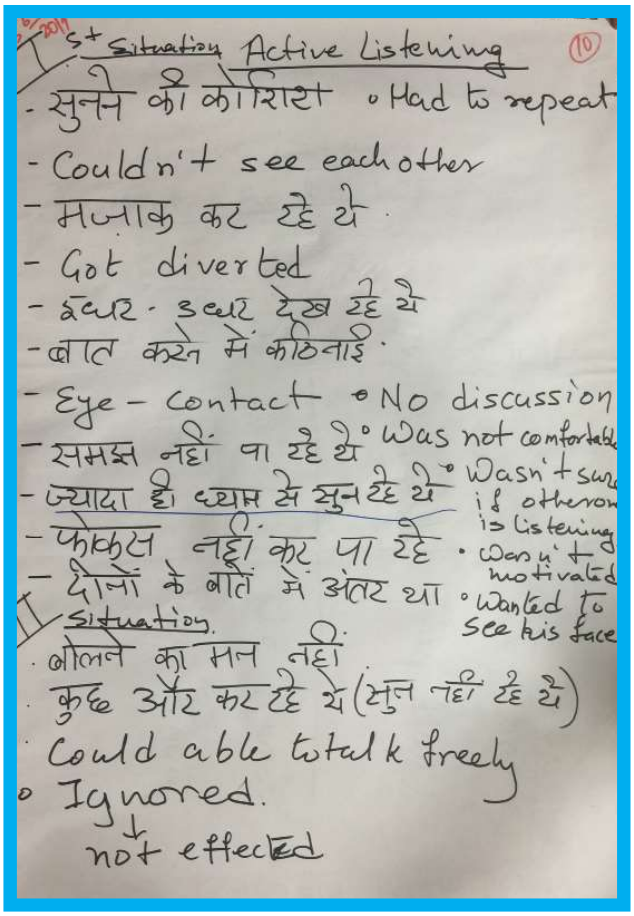

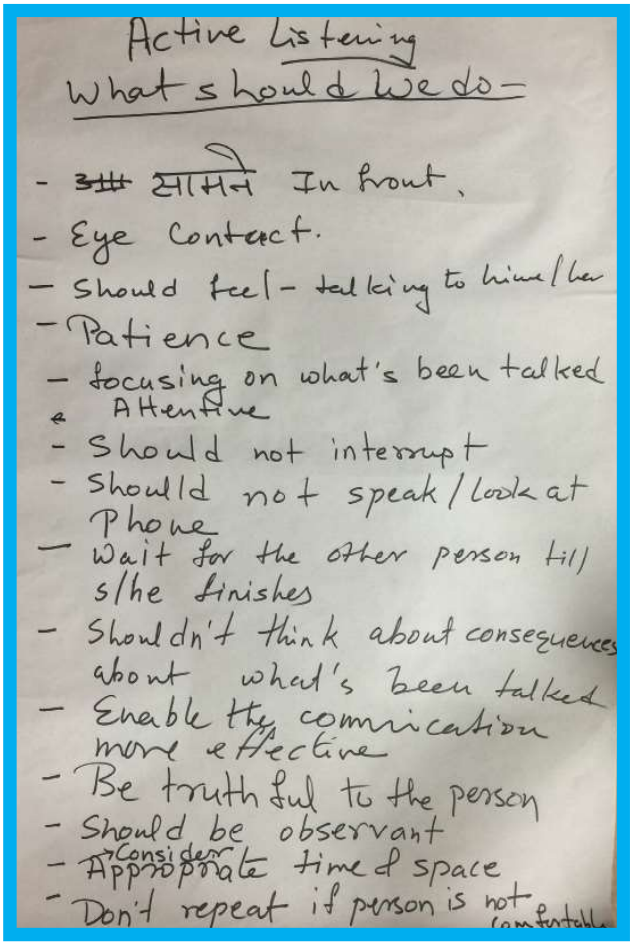

Johari Window
We Know
They Don't
We Don't
They Don't
We Don't
They Know
We Know
They Know

Situation Active Listening
- सुनने की कोशिश
• Had to repeat
- Couldn't see each other
- मजाक कर रहे थे
- Got diverted
- इधर-उधर देख रहे थे
- बात करने में कठिनाई
- Eye-contact
• No discussion
- समझ नहीं पा रहे थे
• Was not comfortable
- ज्यादा ही ध्यान से सुन रहे थे
• Wasn't sure if other one is listening
- फोकस नहीं कर पा रहे
• Wasn't motivated
- दोनों के बातों में अंतर था
• Wanted to see his face
II Situation
· बोलने का मन नहीं
· कुछ और कर रहे थे (सुन नहीं रहे थे)
· Could able to talk freely
• Ignored
not effected

Active Listening
What should we do -
- सामने In front.
- Eye Contact.
- Should feel - talking to him/her
- Patience
- focusing on what's been talked
Attentive
- Should not interrupt
- Should not speak/look at Phone
- Wait for the other person till s/he finishes
- Shouldn't think about consequences about what's been talked
- Enable the communication more effective
- Be truthful to the person
- Should be observant
- Consider Appropriate time & space
- Don't repeat if person is not comfortable

Case - No - 3
Group - 2
ISSUES
System
Policy
Comenuity
① नगरपालिका NULM के तहत रैनबसेरा का प्रावधान करे।
③ सभी बेघर वासियों को आरोग्य कार्ड मिले।

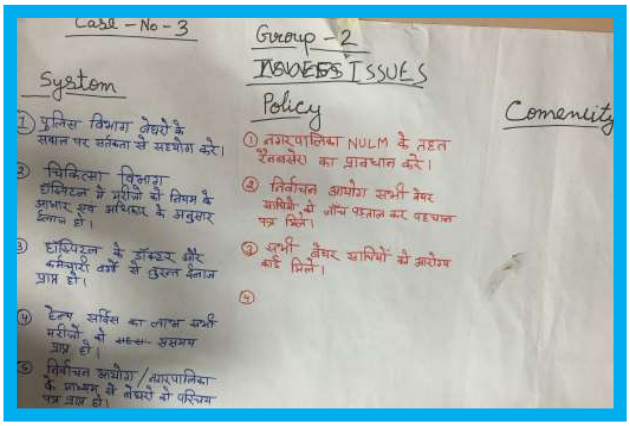

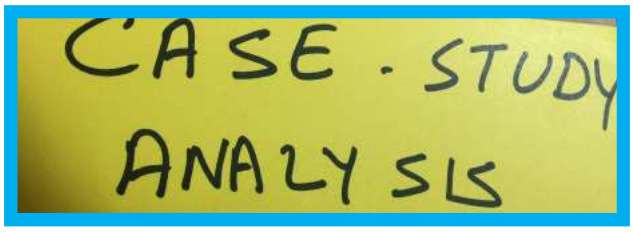

CASE . STUDY
ANALYSIS

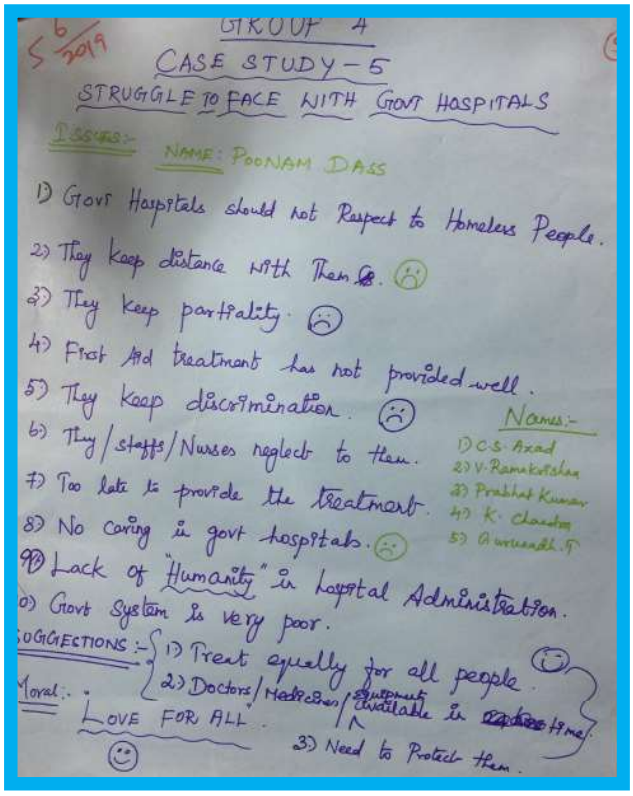

ISSUE
Harrasment of Govt. Hospital
System
Policy
Basic facility
Advocacy with High level officials.

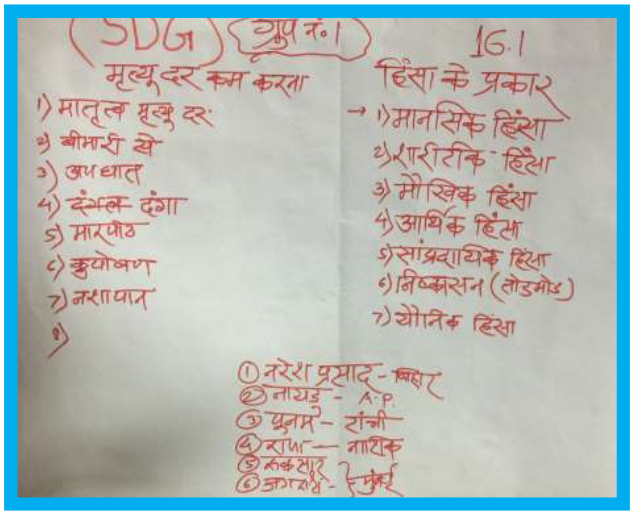

GROUP 4
CASE STUDY - 5
STRUGGLE TO FACE WITH GOVT HOSPITALS
NAME: POONAM DASS
1) Govt Hospitals should not Respect to Homeless People.
2) They keep distance with Them.
3) They keep partiality.
4) First Aid treatment has not provided well.
5) They keep discrimination.
6) They / staffs / Nurses neglect to them.
7) Too late to provide the treatment.
8) No caring in govt hospitals.
9) Lack of "Humanity" in hospital Administration.
Govt System is very poor.
SUGGESTIONS :- 1) Treat equally for all people
2) Doctors / Medicines / equipment available in time.
3) Need to Protect them.
Moral :- LOVE FOR ALL
Names:-

WE SHOULD COLLECT DATA BEFORE DISCUSSING WITH STAKEHOLDERS
SUBMIT MEMORENDUM TO THE DC/DLM
TRANSLATE ALL DOCS IN TAMIL & SHARE
INTERFACE MEETING
STATE BASE STUDY ON HOMELESSNESS
WHY IT DOESN'T REACH OUT TO THE HOMELESS
POCKET MANUAL ON NULM
BUDGET ANALYSIS — GDP / on HOMELESSNESS
PROVIDE FEEDBACK ON NEW EDU. POLICY. (30TH JUNE)
NOT MENTIONED ABOUT STREET CHILDREN
SHOULD CREATE NATIONAL ALLIANCE
SENSITISE MLA.
HOMELESS MANIFESTO FOR ADVOCACY (POLICY)
WILL CONDUCT GROUP EXERCISE IN OUR AREA
STAKEHOLDER MAPPING
ASK LAND RIGHT FOR THE HOMELESS

SDG ग्रुप नं. 1
16.1
मृत्यु दर कम करना
1) मातृत्व मृत्यु दर
2) बीमारी से
3) अपघात
4) दंगल-दंगा
5) मारपीट
6) कुपोषण
7) नशापान
हिंसा के प्रकार
1) मानसिक हिंसा
2) शारीरिक हिंसा
3) मौखिक हिंसा
4) आर्थिक हिंसा
5) सांप्रदायिक हिंसा
6) निष्कासन (तोड़फोड़)
7) यौनिक हिंसा

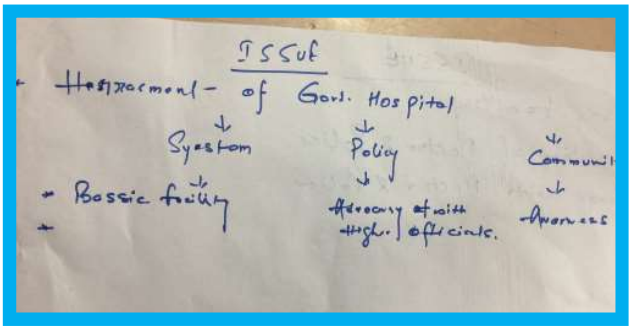

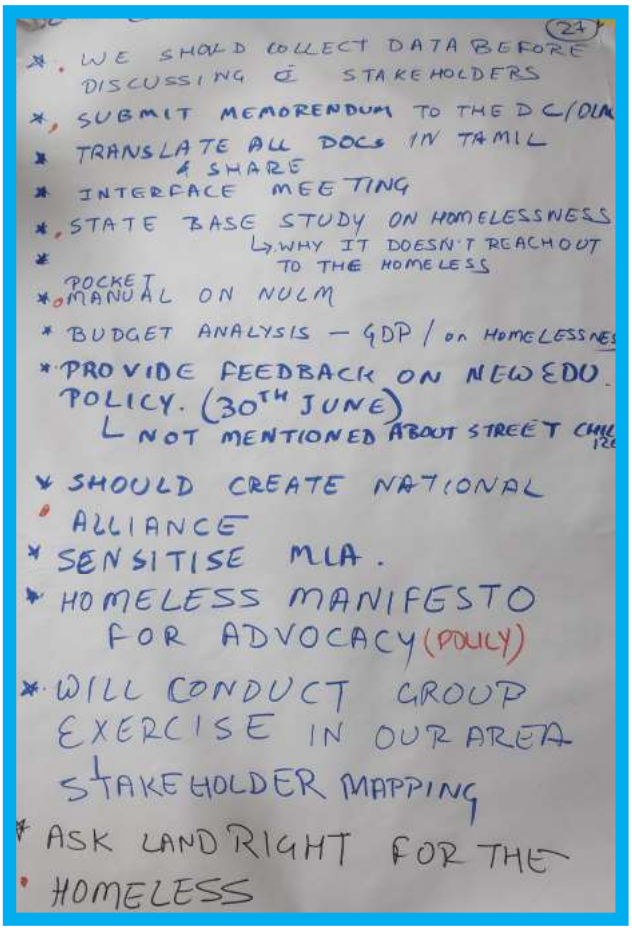

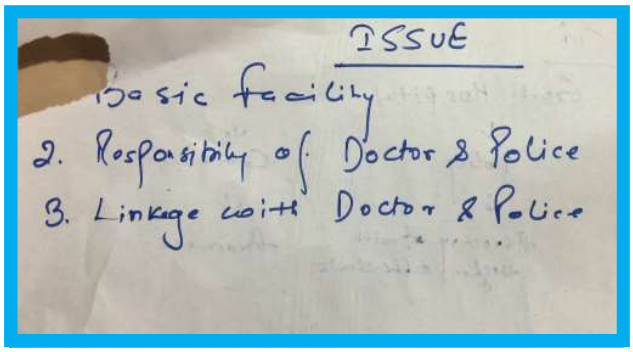

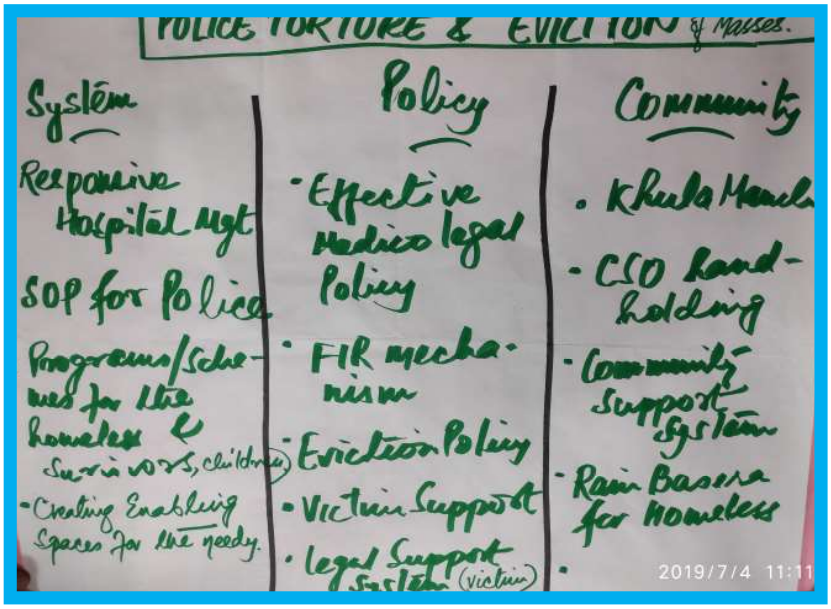

ISSUE
Basic facility
2. Responsibility of Doctor & Police
3. Linkage with Doctor & Police

POLICE TORTURE & EVICTION of Masses.
System
Responsive Hospital Mgt
SOP for Police
Programs/Schemes for the homeless & Survivors, children
Creating Enabling Spaces for the needy.
Policy
Effective Medico legal Policy
FIR mechanism
Eviction Policy
Victim Support
legal Support System (victim)
Community
CSO Land-holding
Community Support System
Rain Basera for homeless
2019/7/4 11:11

पलायन
विस्थापन
रोजगार
आजीविका
हिंसा
असंगठित
हॉकर्स/फेरीवाले
दिहाड़ी मजदूर
जाति/वर्ग
पुलिस दमन
मानवाधिकार
बुनियादी सुविधा
ग्रुप नं. 1
बिहार
झारखण्ड
महाराष्ट्र

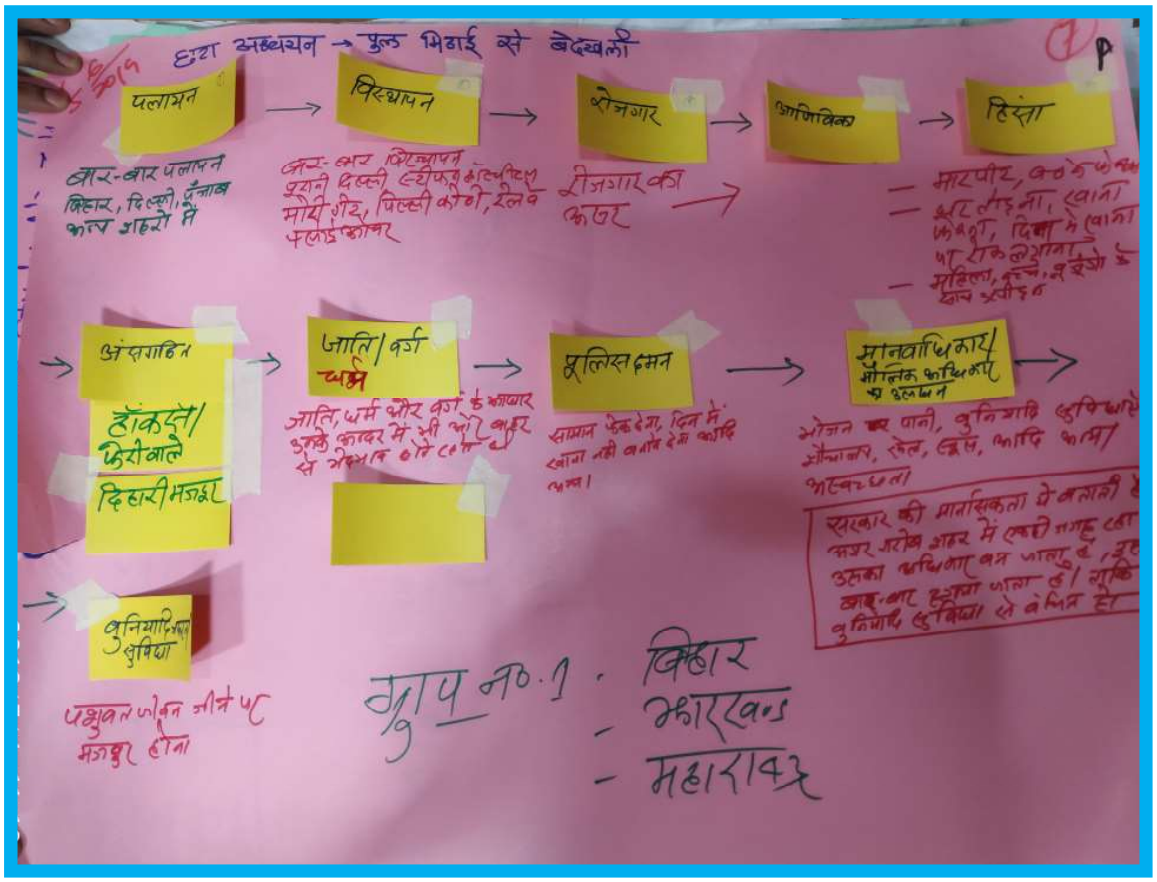

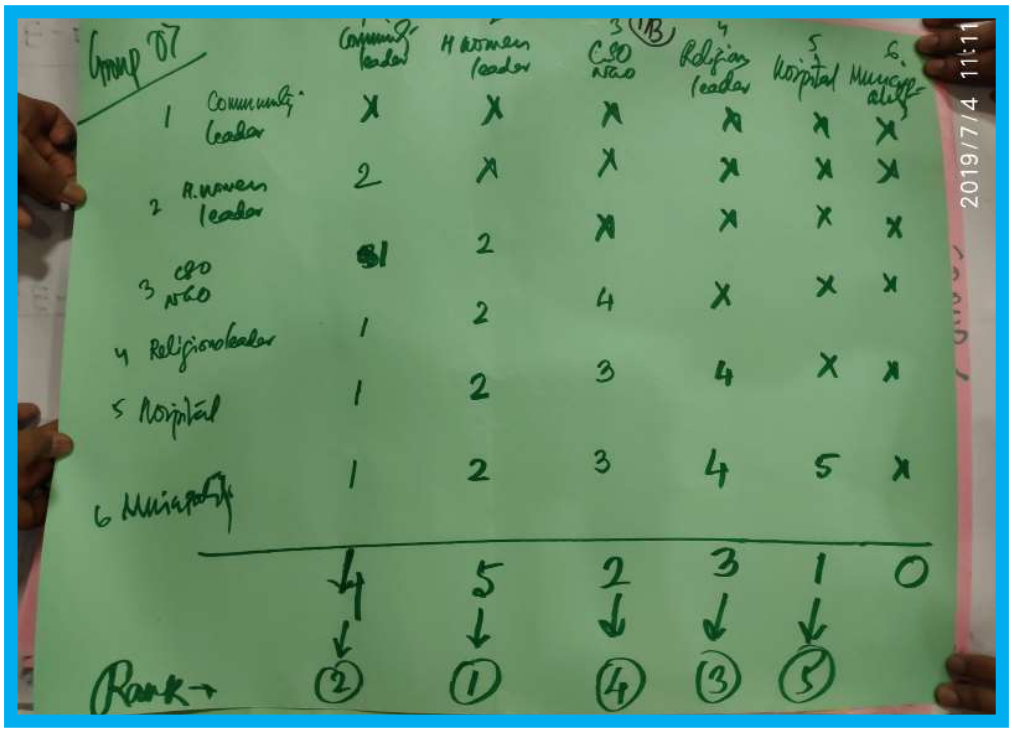

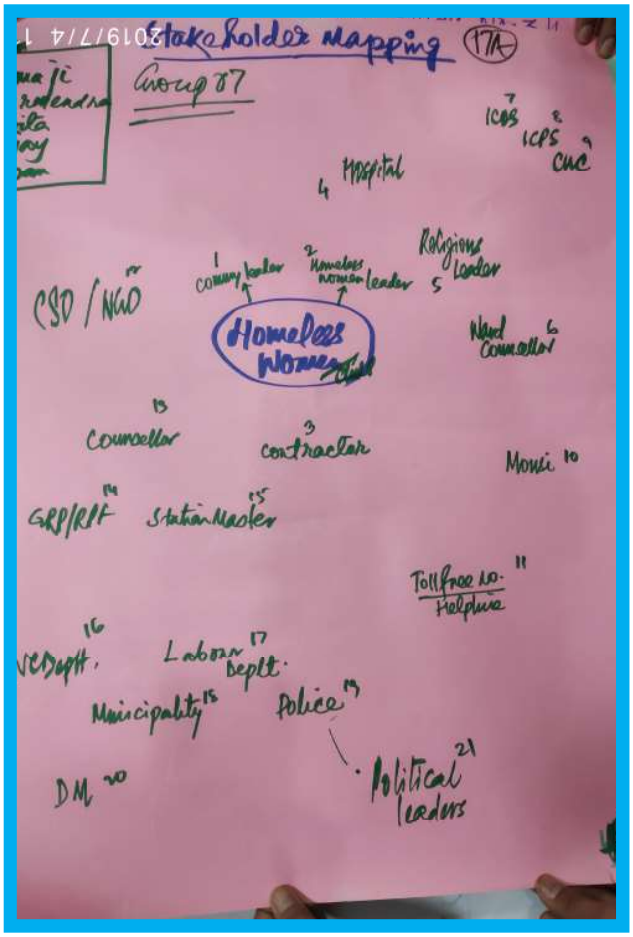

Group 07
Community leader
H women leader
CSO NGO
Religion leader
Hospital
Municipality
Rank →
2019/7/4 11:11

Stakeholder Mapping
Group 07
Homeless Women
Hospital
CSO / NGO
Counsellor
Contractor
GRP/RPF
Station Master
Tollfree no. Helpline
Labour Deptt.
Municipality
Police
Political leaders
DM

EVALUATION WHEEL
RIGHTS & Acts | SC DIRECTIVES
Working together
How to work in challenging situation
PRA TOOLS
Info collection (DATA)
SDG 16
How to interact c Community
ISSUES
ABC
Scale – 1 to 10
Avg: 7.08

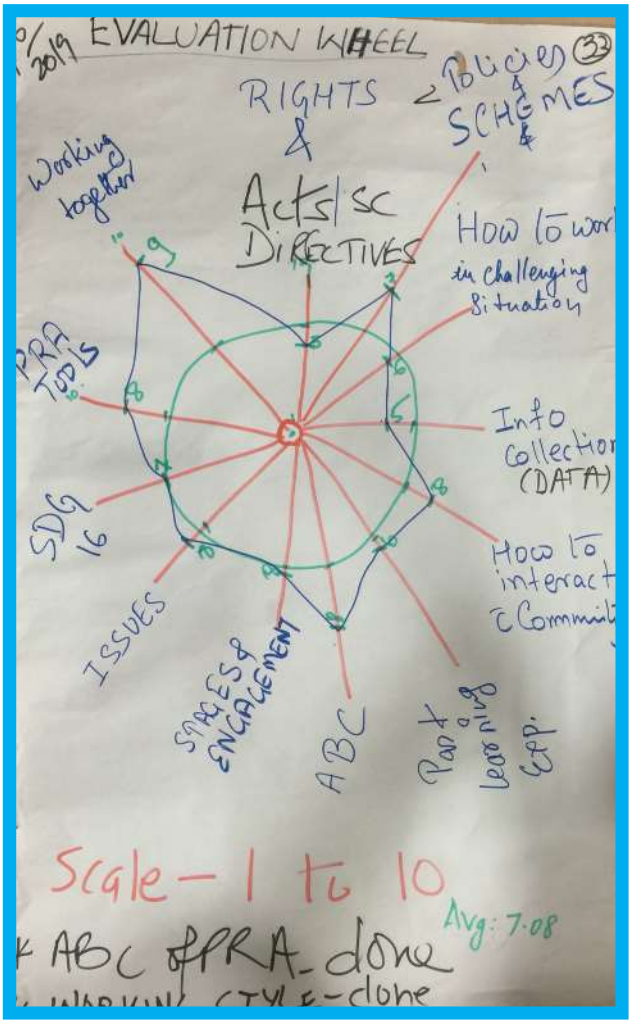

Indo-Global Social Service Society

OFFER

About IGSSS

Indo Global Social Service Society (IGSSS) is a non-profit development organization, established in 1961 to support development programmes across India, especially to empower the vulnerable communities and grassroots community based organizations. Currently, we are present in 20 states and one Union Territory of India.

Through the years, IGSSS has evolved as a major player in the development sector in India, working on the themes of Sustainable Livelihood, Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction, Urban Poverty Reduction, Gender Equity and Youth Development.

Vision

Help establish a humane social order based on equity, freedom and justice in which human rights and the dignity of every individual is upheld.

Mission

To implement and support quality development programmes across India to empower individuals and communities belonging to the poor, marginalised and vulnerable sections of society with special focus on women and children.

About OFFER

Organisation Functioning for Eytham's Respect (OFFER) is a non-political and non-religious charitable trust. It has been implementing projects in India since 1998. OFFER has the mandate to serve poor irrespective of their colour, religion, ethnicity, gender and social background. OFFER works for the upliftment and betterment of the underprivileged, particularly orphan children and their caregivers. Its programs include emergency relief and rehabilitation and development support.

However, looking at the spread of abject poverty, OFFER started to support the most poor and vulnerable people through: Sustainable Livelihood and Food Security; Social Protection and Entitlements; Disaster Response; Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaption; Inclusive Quality Education; Urban Poverty-working with homeless communities; Water, Sanitation and Hygiene (WASH) and Orphan Children Sponsorship.